उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-241 /ग्यारह-9(295) / 07-उ0प्र0 अधि-5-2008--यू0पी0 वैट नियमावली-08-आदेश-(55)-2010
लखनऊ, दिनांक : 04 फरवरी, 2010

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम स0 5 सन् 2008) की धारा 79 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है।

चूँकि राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्रवाई करनी आवश्यक हो गयी है अतएव, राज्यपाल अग्रतर उक्त अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन बिना पूर्व प्रकाशन के उपर्युक्त नियमावली बनाते है :-

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2010

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. 1- यह नियमावली उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2010 कही जायेगी
2- यह नियमावली गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन 2. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 4 में **विद्यमान उपनियम (11) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढा दिया जाएगा, अर्थात् :–**

(12) राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से कमिश्नर को किसी प्रपत्र के प्रारूप को उपांतरित या संशोधित करने एवं उक्त नियमावली के अधीन किसी प्रपत्र को जमा करने की समय सीमा को बढ़ाने का अधिकार होगा।

नियम 6 का संशोधन 3. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1) यदि कोई व्यवहारी केवल एक सहायक कमिश्नर की अधिकारिता सीमा में कारबार कर रहा है तो वह अधिकारी ऐसे व्यवहारी का कर निर्धारक प्राधिकारी होगा और वह स्थल जहाँ वह कारबार कर रहा है उसका मुख्य कारबार स्थल समझा जाएगा।	(1) यदि कोई व्यवहारी केवल एक सहायक कमिश्नर की अधिकारिता सीमा में कारबार कर रहा है तो वह अधिकारी ऐसे व्यवहारी का कर निर्धारक प्राधिकारी होगा और वह स्थल जहाँ वह कारबार कर रहा है उसका मुख्य कारबार स्थल समझा जाएगा।
(2) यदि कोई व्यवहारी एक से अधिक सहायक कमिश्नर की अधिकारिता सीमा में कारबार करता है, ऐसी स्थिति में कारबार प्रारम्भ करने के तीस दिन के भीतर वह अपने किसी एक कारबार स्थल को उत्तर प्रदेश मे मुख्य कारबार स्थल घोषित करते हुए इसकी सूचना उन सभी सहायक कमिश्नर को देगा जिनके अधिकारिता सीमा मे उसके अन्य कारबार स्थल है। जिस सहायक कमिश्नर की अधिकारिता सीमा में मुख्य कारबार स्थल घोषित किया गया है; वह इस कारबारी का कर निर्धारक प्राधिकारी होगा।	(2) **यदि आकस्मिक व्यवहारी से भिन्न कोई व्यवहारी** एक से अधिक सहायक कमिश्नर की अधिकारिता सीमा में कारबार करता है, ऐसी स्थिति में कारबार प्रारम्भ करने के तीस दिन के भीतर वह अपने किसी एक कारबार स्थल को उत्तर प्रदेश मे मुख्य कारबार स्थल घोषित करते हुए इसकी सूचना उन सभी सहायक कमिश्नर को देगा जिनके अधिकारिता सीमा मे उसके अन्य कारबार स्थल है। जिस सहायक कमिश्नर की अधिकारिता सीमा में मुख्य कारबार स्थल घोषित किया गया है; वह इस कारबारी का कर निर्धारक प्राधिकारी होगा।
प्रतिबन्ध यह है कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का विभाग या कम्पनी, निगम, उपक्रम, बोर्ड और फैडेरेशन जिसका कारबार स्थल एक से अधिक सहायक कमिश्नर की अधिकारिता सीमा में है ; कमिश्नर या उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत कोई अधिकारी, ऐसे विभाग, कम्पनी, निगम, उपक्रम, बोर्ड और फैडेरेशन के लिए प्रत्येक सहायक कमिश्नर जिनकी अधिकारिता सीमा में कारबार स्थल स्थित है, कर निर्धारक अधिकारी आदेशित कर सकता है, या ऐसे विभाग, कम्पनी, निगम, उपक्रम, बोर्ड और फैडेरेशन के किसी एक कारबार	प्रतिबन्ध यह है कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का विभाग या कम्पनी, निगम, उपक्रम, बोर्ड और फैडेरेशन जिसका कारबार स्थल एक से अधिक सहायक कमिश्नर की अधिकारिता सीमा में है ; कमिश्नर या उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत कोई अधिकारी, ऐसे विभाग, कम्पनी, निगम, उपक्रम, बोर्ड और फैडेरेशन के लिए प्रत्येक सहायक कमिश्नर जिनकी अधिकारिता सीमा में कारबार स्थल स्थित है, कर निर्धारक अधिकारी आदेशित कर सकता है, या ऐसे विभाग, कम्पनी, निगम, उपक्रम, बोर्ड और फैडेरेशन के किसी एक कारबार

स्थल को उत्तर प्रदेश में मुख्य कारबार स्थल घ ोषित करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है ; वह सहायक कमिश्नर जिसकी अधिकारिता सीमा में विभाग, कम्पनी, निगम, उपक्रम, बोर्ड और फैडेरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश में मुख्य कारबार स्थल घोषित किया गया है, कर निर्धारक अधिकारी होगा।

(3) यदि किसी व्यवहारी का मुख्य कारबार स्थल उत्तर प्रदेश से बाहर स्थित है और वह व्यवहारी उत्तर प्रदेश में केवल एक ही स्थान पर कारबार करता है तब वह सहायक कमिश्नर जिसके अधिकारिता सीमा में व्यवहारी का कारबार स्थल उत्तर प्रदेश मे है, उस व्यवहारी का कर निर्धारक प्राधिकारी होगा।

(4) यदि किसी व्यवहारी का मुख्य कारबार स्थल उत्तर प्रदेश से बाहर स्थित है और वह व्यवहारी, उत्तर प्रदेश में एक से अधिक सहायक कमिश्नर के अधिकारिता सीमा में कारबार करता है, ऐसा व्यवहारी कारबार प्रारम्भ करने के 30 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश मे एक कारबार स्थल घोषित करेगा और इसकी सूचना उन सभी सहायक कमिश्नर को देगा जिनकी अधिकारिता सीमा मे उसके अन्य कारबार स्थल है । वह सहायक कमिश्नर जिसकी अधिकारिता में इस प्रकार धोषित मुख्य कारबार स्थल है, उस व्यवहारी का कर निर्धारण प्राधिकारी होगा।

(5) यदि किसी व्यवहारी द्वारा उपनियम (2) अथवा उपनियम (4) में विर्निदिष्ट समय सीमा के अर्न्तगत घोषण नहीं की गई है, कमिश्नर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत संयुक्त कमिश्नर की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी उनकी ओर से किसी सहायक कमिश्नर को ऐसे व्यवहारी का कर निर्धारक प्राधिकारी अवधारित कर सकता है ओर यह निर्णय अन्तिम होगा।

(6) यदि किसी व्यवहारी का स्थायी कारबार स्थल नहीं है; वह सहायक कमिश्नर जिसकी अधिकारिता सीमा में ऐसा व्यवहारी सामान्यतया निवास करता है, ऐसे व्यवहारी का कर निर्धारक प्राधिकारी होगा।

(7) ऐसे प्रकरण जिसमें धारा 52 के अर्न्तगत जांच चौकी से वस्तु के पारगमन का प्राधिकार पत्र प्राप्त किया गया है, जांच चौकी का प्रभारी अधिकारी, या अन्य प्रकरण में जिस अधिकारी ने ऐसा प्राधिकार पत्र जारी किया है, वह इस अधिनियम के अर्न्तगत

स्थल को उत्तर प्रदेश में मुख्य कारबार स्थल घोषित करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है ; वह सहायक कमिश्नर जिसकी अधिकारिता सीमा में विभाग, कम्पनी, निगम, उपक्रम, बोर्ड और फैडेरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश में मुख्य कारबार स्थल घोषित किया गया है, कर निर्धारक अधिकारी होगा।

(3) यदि आकस्मिक व्यवहारी से भिन्न किसी व्यवहारी का मुख्य कारबार स्थल उत्तर प्रदेश से बाहर स्थित है और वह व्यवहारी उत्तर प्रदेश में केवल एक ही स्थान पर कारबार करता है तब वह सहायक कमिश्नर जिसके अधिकारिता सीमा में व्यवहारी का कारबार स्थल उत्तर प्रदेश मे है, उस व्यवहारी का कर निर्धारक प्राधिकारी होगा।

(4) यदि किसी आकस्मिक व्यवहारी से भिन्न किसी व्यवहारी का मुख्य कारबार स्थल उत्तर प्रदेश से बाहर स्थित है और वह व्यवहारी, उत्तर प्रदेश में एक से अधिक सहायक कमिश्नर के अधिकारिता सीमा में कारबार करता है, ऐसा व्यवहारी कारबार प्रारम्भ करने के 30 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश मे एक कारबार स्थल घोषित करेगा और इसकी सूचना उन सभी सहायक कमिश्नर को देगा जिनकी अधिकारिता सीमा मे उसके अन्य कारबार स्थल है। वह सहायक कमिश्नर जिसकी अधिकारिता में इस प्रकार घोषित मुख्य कारबार स्थल है, उस व्यवहारी का कर निर्धारण प्राधिकारी होगा।

(5) यदि किसी व्यवहारी द्वारा उपनियम (2) अथवा उपनियम (4) में विर्निदिष्ट समय सीमा के अर्न्तगत घोषणा नहीं की गई है, कमिश्नर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत संयुक्त कमिश्नर की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी उनकी ओर से किसी सहायक कमिश्नर को ऐसे व्यवहारी का कर निर्धारक प्राधिकारी अवधारित कर सकता है ओर यह निर्णय अन्तिम होगा।

(6) यदि किसी व्यवहारी का स्थायी कारबार स्थल नहीं है; वह सहायक कमिश्नर जिसकी अधिकारिता सीमा में ऐसा व्यवहारी सामान्यतया निवास करता है, ऐसे व्यवहारी का कर निर्धारक प्राधिकारी होगा।

(7) ऐसे मामलें में जिसमें धारा 50 के अर्न्तगत परिवहित माल के वाहन चालक अथवा प्रभारी व्यक्ति द्वारा धारा 52 के अर्न्तगत प्रावधानित प्रपत्र जो विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड किया गया

समस्त कार्यो के लिए कर निर्धारक प्राधिकारी होगा।	**हो, ऐसे माल को यू0पी0 बाहर ले जाने में असफल रहता है कमिश्नर, कर निर्धारण एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही हेतु , करनिर्धारण अधिकारी नामित करेगा ।**
(8) यदि किसी व्यवहारी ने उपरोक्त उपनियमों के अर्न्तगत घोषणा की है या विर्निदिष्ट समय सीमा में घोषणा करने में असफल रहा है, उसे घोषणा में परिवर्तन करने या घोषणा करने जैसी भी स्थिति हो, का अनुज्ञात नहीं रहेगा जब तक कि वह ऐसा करने के लिए कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से, और उन शर्तों के साथ जैसा वे उचित समझें, पूर्वानुमति न प्राप्त कर ले।	(8) यदि किसी व्यवहारी ने उपरोक्त उपनियमों के अर्न्तगत घोषणा की है या विर्निदिष्ट समय सीमा में घोषणा करने में असफल रहा है, उसे घोषणा में परिवर्तन करने या घोषणा करने जैसी भी स्थिति हो, का अनुज्ञात नहीं रहेगा जब तक कि वह ऐसा करने के लिए कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से, और उन शर्तों के साथ जैसा वे उचित समझें, पूर्वानुमति न प्राप्त कर ले।
(9) जहाँ भी कोई सन्देंह है, या इस नियम का कोई उपनियम लागू नहीं होता है, कमिश्नर किसी सहायक कमिश्नर को ऐसे व्यवहारी का कर निर्धारक प्राधिकारी अवधारित करेगा और कमिश्नर का यह निर्णय अन्तिम होगा।	(9) जहाँ भी कोई सन्देंह है, या इस नियम का कोई उपनियम लागू नहीं होता है, कमिश्नर किसी सहायक कमिश्नर को ऐसे व्यवहारी का कर निर्धारक प्राधिकारी अवधारित करेगा और कमिश्नर का यह निर्णय अन्तिम होगा।
(10)किसी उपनियम मे अन्य तथ्य के होते हुए भी, ऐसे प्रकरण जिसमें व्यवहारी ने किसी कर निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ के प्रथम दिनांक के उपरान्त किसी अन्य दिनांक को अपने कारबार स्थल में परिवर्तन किया है और जिसके परिणाम स्वरुप एक कर निर्धारण वर्ष के लिए एक से अधिक कर निर्धारक प्राधिकारी हो जाए, उस कर निर्धारण वर्ष के दौरान कारबार के अन्तिम भाग का कर निर्धारक प्राधिकारी सम्पूर्ण कर निर्धारण वर्ष के लिये कर निर्धारक प्राधिकारी होगा।	(10)किसी उपनियम मे अन्य तथ्य के होते हुए भी, ऐसे प्रकरण जिसमें व्यवहारी ने किसी कर निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ के प्रथम दिनांक के उपरान्त किसी अन्य दिनांक को अपने कारबार स्थल में परिवर्तन किया है और जिसके परिणाम स्वरुप एक कर निर्धारण वर्ष के लिए एक से अधिक कर निर्धारक प्राधिकारी हो जाए, उस कर निर्धारण वर्ष के दौरान कारबार के अन्तिम भाग का कर निर्धारक प्राधिकारी सम्पूर्ण कर निर्धारण वर्ष के लिये कर निर्धारक प्राधिकारी होगा।
(11)उपनियम (7) एवं (10) के अतिरिक्त अन्य समस्त उपनियम ट्रांसपोर्टर (परिवहन कर्ता), संवाहक, अथवा अग्रेषण अभिकर्ता, रेलवे कन्टेनर कान्ट्रैक्टर और वेयर हाउस, शीतगृह या गोदाम का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति जो राज्य में परिवहन, संवाहक या अग्रेषण अभिकर्ता या भणडारण का कार्य करता है, पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा।	(11) **उपनियम (7) एवं (10) के अतिरिक्त अन्य समस्त उपनियम रेलवे कन्टेनर कान्ट्रैक्टर, एयर कारगो आपरेटर अथवा कोरियर सर्विस प्रोवाईडर और शीतगृह या गोदाम का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति जो राज्य में रेलवे कन्टेनर कान्ट्रैक्टर, एयर कारगो आपरेटर अथवा कोरियर सर्विस प्रोवाईडर अथवा भणडारण का कार्य करता है, पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा।**

नियम 8 का संशोधन

4. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
कर योग्य बिक्री आवर्त के अवधारण हेतु, नियम-7 के अनुरुप अवधारित बिक्री आवर्त मे से निम्नलिखित	कर योग्य बिक्री आवर्त के अवधारण हेतु, नियम-7 के अनुरुप अवधारित बिक्री आवर्त मे से निम्नलिखित

धनराशि कम कर दी जाएगी यदि यह बिक्री आवर्त मे सम्मिलित हैं -

(एक) वह समस्त धनराशियॉ जो छूट के रुप मे प्रदान की गई है, प्रतिबन्ध यह है कि व्यवहारी द्वारा यह छूटे, कारबार की सामन्य प्रक्रिया के अनुरूप प्रदान की गई हो ।

(दो) इस अधिनियम के प्रविधानों के अध्यधीन, बिक्री के 6 माह के भीतर की गई माल वापिसी के लिए विक्रेता द्वारा क्रेता को अनुमन्य धनराशियॉ ;
प्रतिबन्ध यह है कि -
(क) विक्रेता व्यवहारी, क्रेता व्यवहारी को क्रेडिट नोट जारी करे, तथा क्रेता व्यवहारी से डेबिट नोट प्राप्त करे ।
(ख) लेखो मे माल बिक्री एवं माल वापिसी का दिनांक और वह दिनांक जिसमे उक्त वापिसी की धनराशि या क्रेडिट नोट अनुमन्य किया गया हो, दर्शित हों

(तीन) व्यवहारी द्वारा अपना कारबार समग्र रुप से विक्रय करने के फलस्वरुप प्राप्त धनराशि ।

(चार) नान वैट वस्तुओ को प्रान्त भीतर से खरीद कर पुर्नविक्रय करने से प्राप्त धनराशि ।

(पाँच) अधिनियम मे करमुक्त वस्तुओ की बिक्री आवर्त की सम्पूर्ण धनराशि ।

(छः) वस्तुओं की वह समस्त बिक्री आवर्त की धनराशि जो धारा (7) के बन्ध (ग) के प्राविधानों के अनुसार कर मुक्त है ।

(सात) उन वस्तुओ की बिक्री आवर्त की समस्त धनराशि जिनके सम्बन्ध मे व्यवहारी द्वारा वास्तविक देयकर के स्थान पर अधिनियम की धारा 6 मे एक मुश्त भुगतान योजना का विकल्प चुना है ।

(आठ) वस्तु की बिक्री पर देय कर की वह समस्त धनराशि जो विक्रेता द्वारा क्रेता से कर के रूप मे टैक्स इन्वाइस मे अलग से वसूल की गई है।

(नौ) ऐसे व्यवहारी, जिसके सम्बन्ध में धारा 6 लागू होती है, से भिन्न व्यवहारी की दशा में जहाँ किसी विक्रय के सम्बन्ध में कर देय है और व्यवहारी ने देय कर अलग से वसूल नही किया है, कर की धनराशि का आगणन निम्न सूत्र से किया जाएगा :-

$$\text{कर की धनराशि} = \frac{\text{बिक्री आवर्त} \times \text{कर}}{100 + \text{कर की दर}}$$

धनराशि कम कर दी जाएगी यदि यह बिक्री आवर्त मे सम्मिलित हैं -

(एक) वह समस्त धनराशियॉ जो कैश अथवा ट्रेड डिस्काउन्ट के रुप मे बिक्री के समय बीजक से परिलक्षित होती है ।

(दो) इस अधिनियम के प्रविधानों के अध्यधीन, बिक्री के 6 माह के भीतर की गई माल वापिसी के लिए विक्रेता द्वारा क्रेता को अनुमन्य धनराशियॉ ;
प्रतिबन्ध यह है कि -
(क) विक्रेता व्यवहारी, क्रेता व्यवहारी को क्रेडिट नोट जारी करे, तथा क्रेता व्यवहारी से डेबिट नोट प्राप्त करे ।
(ख) लेखो मे माल बिक्री एवं माल वापिसी का दिनांक और वह दिनांक जिसमे उक्त वापिसी की धनराशि या क्रेडिट नोट अनुमन्य किया गया हो, दर्शित हों

(तीन) व्यवहारी द्वारा अपना कारबार समग्र रुप से विक्रय करने के फलस्वरुप प्राप्त धनराशि ।

(चार) नान वैट वस्तुओ को प्रान्त भीतर से खरीद कर पुर्नविक्रय करने से प्राप्त धनराशि ।

(पाँच) अधिनियम मे करमुक्त वस्तुओ की बिक्री आवर्त की सम्पूर्ण धनराशि ।

(छः) वस्तुओं की वह समस्त बिक्री आवर्त की धनराशि जो धारा (7) के बन्ध (ग) के प्राविधानों के अनुसार कर मुक्त है ।

(सात) उन वस्तुओ की बिक्री आवर्त की समस्त धनराशि जिनके सम्बन्ध मे व्यवहारी द्वारा वास्तविक देयकर के स्थान पर अधिनियम की धारा 6 मे एक मुश्त भुगतान योजना का विकल्प चुना है ।

(आठ) वस्तु की बिक्री पर देय कर की वह समस्त धनराशि जो विक्रेता द्वारा क्रेता से कर के रूप मे टैक्स इन्वाइस मे अलग से वसूल की गई है।

(नौ) ऐसे व्यवहारी, जिसके सम्बन्ध में धारा 6 लागू होती है, से भिन्न व्यवहारी की दशा में जहाँ किसी विक्रय के सम्बन्ध में कर देय है और व्यवहारी न तो अलग से कर वसूलने के लिए अधिकृत है न तो देय कर अलग से वसूल किया हो, कर की धनराशि की गणना निम्न सूत्र से किया जाएगा :-

$$\text{कर की धनराशि} = \frac{\text{बिक्री आवर्त} \times \text{कर}}{100 + \text{कर की दर}}$$

प्रतिबन्ध यह है कि सकर्म कार्य संविदा एवं वस्तु के प्रयोग का अधिकार हस्तान्तरण के मामले मे हस्तान्तरित वस्तु का बिक्री आवर्त एवं कर देय बिक्री आवर्त का अवधारण नियम 9 एवं नियम 10 के प्राविधानो के अनुसार किया जाएगा।

प्रतिबन्ध यह है कि सकर्म कार्य संविदा एवं वस्तु के प्रयोग का अधिकार हस्तान्तरण के मामले मे हस्तान्तरित वस्तु का बिक्री आवर्त एवं कर देय बिक्री आवर्त का अवधारण नियम 9 एवं नियम 10 के प्राविधानो के अनुसार किया जाएगा।

नियम 9 का संशोधन

5. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 9 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(1) इस नियमावली के अन्य प्राविधानो के अधीन रहते हुए, सकर्म कार्य संविदा के निष्पादन मे प्रयुक्त वस्तु, जिसका बिक्री के उपरान्त सम्पत्ति के रुप मे (चाहे वस्तु के रूप मे अथवा अन्य किसी रूप मे) अंतरण हुआ है, की बिक्री आवर्त पर कर की गणना कर योग्य वस्तु की कर योग्य बिक्री आवर्त पर की जाएगी एवं अधोलिखित विनिर्दिष्ट राशिया यदि सकर्म कार्य संविदा मे प्राप्त हुई है, या प्राप्त होने वाली धनराशियों में सम्मिलित है, तो इन्हे घटा दिया जाएगा।

(क) सकर्म कार्य संविदा के निष्पादन मे खपत हो गई वस्तुओं, जिनका अंतरण सम्पत्ति के रूप में नही हुआ है, के मूल्य की समस्त धनराशियाँ ;

(ख) करमुक्त वस्तुओं के लाभ सहित मूल्य, की समस्त धनराशियाँ ;

(ग) सकर्म कार्य संविदा के निष्पादन हेतु भाड़े पर ली गई मशीन एवं उपकरण पर भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य भाड़ा की समस्त धनराशियाँ ;

(घ) सेवा और मजदूरी एवं इस पर लाभ, की समस्त धनराशियाँ;

(ङ) सकर्म कार्य संविदा के निष्पादन मे अन्तर्ग्रस्त विक्रीत वस्तु का मूल्य जिसका सम्पत्ति के रुप मे अंतरण अर्न्तराज्यीय व्यापार या वाणिज्य मे हुआ है।

(च) सकर्म कार्य संविदा के निष्पादन मे अन्तर्ग्रस्त बिक्रीत वस्तु का मूल्य जिसका सम्पत्ति के रुप मे अंतरण भारत की सीमा के बाहर निर्यात मे या भारत की सीमा के भीतर आयात मे हुआ है।

(छ) उन समस्त वस्तुओ का मूल्य जिसका बिक्री के उपरान्त अंतरण सम्पत्ति के रुप मे प्रान्त से बाहर हुआ है।

(ज) सकर्म संविदा कार्य का निष्पादन करने वाला व्यवहारी, जो ऐसी वस्तुओं की खरीद पर कर देने के लिए स्वयं दायी है, के द्वारा प्रान्त के भीतर से खरीदे गए नान वैट गुडस की समस्त धनराशियाँ ;

(झ) व्यवहारी द्वारा पंजीकृत व्यवहारी से खरीदी गई नान-वैट वस्तुओ के मूल्य की समस्त धनराशियाँ;

(ञ) संविदी के द्वारा मजदूर उपलब्ध कराने एवं सेवा प्रदान करने से सम्बन्धित स्थापना का खर्च और इस प्रकार के अन्य खर्चे, एवं इन पर लाभ की धनराशि।

स्पष्टीकरण - खण्ड (क), एवं (ङ) से (ज) तक निर्दिष्ट

स्तम्भ-2

एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(1) इस नियमावली के अन्य प्राविधानो के अधीन रहते हुए, सकर्म कार्य संविदा के निष्पादन मे प्रयुक्त वस्तु, जिसका बिक्री के उपरान्त सम्पत्ति के रुप मे (चाहे वस्तु के रूप मे अथवा अन्य किसी रूप मे) अंतरण हुआ है, की बिक्री आवर्त पर कर की गणना कर योग्य वस्तु की कर योग्य बिक्री आवर्त पर की जाएगी एवं अधोलिखित विनिर्दिष्ट राशिया यदि सकर्म कार्य संविदा मे प्राप्त हुई है, या प्राप्त होने वाली धनराशियों में सम्मिलित है, तो इन्हे घटा दिया जाएगा।

(क) सकर्म कार्य संविदा के निष्पादन मे खपत हो गई वस्तुओं, जिनका अंतरण सम्पत्ति के रूप में नही हुआ है, के मूल्य की समस्त धनराशियाँ ;

(ख) करमुक्त वस्तुओं के लाभ सहित मूल्य, की समस्त धनराशियाँ ;

(ग) सकर्म कार्य संविदा के निष्पादन हेतु भाड़े पर ली गई मशीन एवं उपकरण पर भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य भाड़ा की समस्त धनराशियाँ ;

(घ) सेवा और मजदूरी एवं इस पर लाभ, की समस्त धनराशियाँ;

(ङ) सकर्म कार्य संविदा के निष्पादन मे अन्तर्ग्रस्त विक्रीत वस्तु का मूल्य जिसका सम्पत्ति के रुप मे अंतरण अर्न्तराज्यीय व्यापार या वाणिज्य मे हुआ है।

(च) सकर्म कार्य संविदा के निष्पादन मे अन्तर्ग्रस्त बिक्रीत वस्तु का मूल्य जिसका सम्पत्ति के रुप मे अंतरण भारत की सीमा के बाहर निर्यात मे या भारत की सीमा के भीतर आयात मे हुआ है।

(छ) उन समस्त वस्तुओ का मूल्य जिसका बिक्री के उपरान्त अंतरण सम्पत्ति के रुप मे प्रान्त से बाहर हुआ है।

(ज) सकर्म संविदा कार्य का निष्पादन करने वाला व्यवहारी, जो ऐसी वस्तुओं की खरीद पर कर देने के लिए स्वयं दायी है, के द्वारा प्रान्त के भीतर से खरीदे गए नान वैट गुडस की समस्त धनराशियाँ ;

(झ) व्यवहारी द्वारा पंजीकृत व्यवहारी से खरीदी गई नान-वैट वस्तुओ के मूल्य की समस्त धनराशियाँ;

(ञ) संविदी के द्वारा मजदूर उपलब्ध कराने एवं सेवा प्रदान करने से सम्बन्धित स्थापना का खर्च और इस प्रकार के अन्य खर्चे, एवं इन पर लाभ की धनराशि।

(प) **उपसंविदाकार को, कार संविदा के निष्पादन के**

वस्तुओं के मूल्य मे उस पर लाभ भी सम्मिलित रहेगा।

(2) संविदा की किसी शर्त का उल्लघन होने के कारण संविदी द्वारा संविदा मूल्य से काटी गई धनराशि उस संविदा के लिए संविदाकार को भुगतान की जाने वाली राशि मानी जाएगी।

(3) यदि संविदाकार द्वारा रखे गए लेखो मे मजदूरी एवं सेवाओ का मूल्य, तथा इस पर अर्जित लाभ अलग से दर्ज न हो या व्यवहारी द्वारा रखे गए लेखे विश्वास योग्य न हो, या व्यवहारी ने कोई लेखे रखे ही न हो, ऐसी दशा मे सम्पत्ति के रुप मे अंतरित वस्तु के मूल्य आवर्त को अवधारित करने के लिए नीचे की सारणी मे वर्णित कार्यो के अतिरिक्त अन्य कार्यों मे व्यवहारी को प्राप्त हो चुकी या प्राप्त होने वाली सकल धनराशि का बीस प्रतिशत मजदूरी, सेवा तथा उस पर अर्जित लाभ की मद मे सकल आवर्त से घटा दिया जाएगा और उक्त की सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लिखित या वर्णित प्रकरणों मे उनके सम्मुख स्तम्भ 3 मे अंकित प्रतिशत दर से मजदूरी एवं सेवा मूल्य तथा उस पर अर्जित लाभ की गणना करके सकल आवर्त से घटा दिया जाएगा।

सारणी

क्र0 सं0	संकर्म संविदा का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)
1	संयत्र एवं मशीनरी का निर्माण एवं संस्थापन	10%
2	सरचनाओ का निर्माण एवं उन्हे खड़ा करना जिसमे लोहे के ट्रसेस, परलाइन का निर्माण,पूर्ति एवं खड़ा करना सम्मिलित है	10%
3	क्रेन तथा उत्तोलक का निर्माण एवं संस्थापन	10%
4	लिफ्ट एवं एस्केलेटर्स का निर्माण एवं संस्थापन	10%
5	वातानुकूलन संयत्र, जिसमे डीप फ्रीजर, शीतग्रह संयत्र, आद्रीकरण संयत्र (हयूमिडीफिकेशन प्लान्ट) एवं अनाद्रिकरण (डिन्हयूमिडी फायर) सम्मिलित है,	10%

फलस्वरुप भुगतान की गयी धनराशि के संबंध में, उपसंविदाकार के कर निर्धारक प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा जिससे यह प्रमाणित हो कि

(i) उपसंविदाकार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है

(ii) उपसंविदाकार द्वारा सम्बन्धित कर अवधि के लिए जमा किए गए रिटर्न में टर्न ओवर घोषित किया गया है तथा एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत कर का भुगतान किया गया है

(फ) भवन (बिल्डिंग) के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली भूमि का आनुपातिक मूल्य, जैसा कि बिल्डिंग कान्ट्रेक्टर द्वारा उस भूमि के मूल्य को खरीदार से प्राप्त धनराशि अथवा प्राप्त होने वाली धनराशि में शामिल हो :

स्पष्टीकरण :-

(1) बिन्दु (क) तथा (ड.) से (ज) तक, में जहाँ भी माल का मूल्य सन्दर्भित किया गया हो, उसमें लाभ की धनराशि भी शामिल है।

(2) बिल्डर कान्ट्रेक्टर द्वारा भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाली भूमि का वास्तविक मूल्य का तात्पर्य संबंधित जिलाधिकारी द्वारा स्टैम्प एक्ट 1899 के अन्तर्गत भूमि के मूल्य के संबंध में देय डियूटी निर्धारण के उद्देश्य से बनाई गई प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य होगा।

(2) संविदा की किसी शर्त का उल्लघन होने के कारण संविदी द्वारा संविदा मूल्य से काटी गई धनराशि उस संविदा के लिए संविदाकार को भुगतान की जाने वाली राशि मानी जाएगी।

(3) यदि संविदाकार द्वारा रखे गए लेखो मे मजदूरी एवं सेवाओ का मूल्य, तथा इस पर अर्जित लाभ अलग से दर्ज न हो या व्यवहारी द्वारा रखे गए लेखे विश्वास योग्य न हो, या व्यवहारी ने कोई लेखे रखे ही न हो, ऐसी दशा मे सम्पत्ति के रुप मे अंतरित वस्तु के मूल्य आवर्त को अवधारित करने के लिए नीचे की सारणी मे वर्णित कार्यो के अतिरिक्त अन्य कार्यों मे व्यवहारी को प्राप्त हो चुकी या प्राप्त होने वाली सकल धनराशि का बीस प्रतिशत मजदूरी, सेवा तथा उस पर अर्जित लाभ की मद मे सकल आवर्त से घटा दिया जाएगा और उक्त की सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लिखित या वर्णित प्रकरणों मे उनके सम्मुख स्तम्भ 3 मे अंकित प्रतिशत दर से मजदूरी एवं सेवा मूल्य तथा उस पर अर्जित लाभ की गणना करके सकल आवर्त से घटा दिया जाएगा।

सारणी

क्र0 सं0	संकर्म संविदा का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)
1	संयत्र एवं मशीनरी का निर्माण एवं संस्थापन	10%
2	सरचनाओ का निर्माण एवं उन्हे खड़ा करना जिसमे लोहे के ट्रसेस, परलाइन का निर्माण,पूर्ति एवं खड़ा करना सम्मिलित है	10%
3	क्रेन तथा उत्तोलक का निर्माण एवं संस्थापन	10%
4	लिफ्ट एवं एस्केलेटर्स का निर्माण एवं संस्थापन	10%
5	वातानुकूलन संयत्र, जिसमे डीप फ्रीजर, शीतग्रह संयत्र, आद्रीकरण संयत्र (हयूमिडीफिकेशन प्लान्ट) एवं अनाद्रिकरण (डिन्हयूमिडी फायर) सम्मिलित है,	10%

	की आपूर्ति एवं संस्थापन	
6	वातानुकूलन एवं वायु प्रशीतक की आपूर्ति एवं सस्थापन	10%
7	बिजली सामान की आपूर्ति एवं फिटिंग, बिजली उपकरण जिसमें ट्रॉसफारमर सम्मिलित है की पूर्ति एवं सस्थापन	10%
8	फर्नीचर एव फिक्सचर, विभाजक की आपूर्ति एव फिक्सिंग तथा आंतरिक सज्जा का कार्य	10%
9	रेलवे द्वारा आपूर्ति किये गये अन्डर कैरिज पर रेलवे कोच और वैगन का निर्माण	10%
10	मोटर वाहन की बाडी और ट्रेलर का निर्माण	10%
11	रोलिंग शटर एव कोलेप्सबिल गेट का निर्माण एव सस्थापंन	30%
12	सिविल कार्य जैसे भवन, पुल, सडक, बॉध, बैराज, स्पिल वे एव डाईवर्जन, सीवेज एवं ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण।	30%
13	दरवाजे,दरवाजे का ढॉचा, खिड़की, खिड़की का ढ़ाचा एवं ग्रिल का संस्थापन	30%
14	टाइल्स, स्लैव, पत्थर एवं शीटस की आपूर्ति एवं फिक्सिगं	30%
15	प्लम्बिग, ड्रेनेज या सीवेज सिस्टम की सैनेटरी फिटिंग	30%
16	पुताई, पेन्टिग, एवं पौलिशिंग।	40%

स्पष्टीकरण :- यदि किसी संकर्म संविदा का निष्पादन कई टैक्स पीरियड या कई कर निर्धारण वर्ष मे किया जाता है तब इस नियम के लिए मजदूरी एवं सेवा और उस पर अर्जित लाभ के मद मे की गई कटौती का योग इस प्रकार की सकर्म संविदा के लिए प्राप्त होने वाली सकल धनराशि पर इस मद मे देय कुल कटौती के प्रतिशत से अधिक नही होगा।

(4) सन्देह के निराकरण के लिए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस नियम के अन्तर्गत सकर्म संविदा के निष्पादन मे बिक्रीत माल की धनराशि का आगणन करने हेतु निम्नलिखित प्रकृ ति की धनराशियॅा सकल प्राप्तियो से कटौती नही की जाएगी --

(क) वह धनराशि जो किसी कर, शुल्क या लेवी के रुप मे कटौती की जानी प्रस्तावित हो।

(ख) संविदाकार से संविदा की किसी शर्त का उल्लघन होने से हुए नुकसान या दंड या जुर्माना या अन्य किसी नाम से संविदी द्वारा की गई कटौती की धनराशि।

(ग) संविदाकार से क्षतिपूर्ति के रुप मे संविदी द्वारा कटौती की धनराशि।

	की आपूर्ति एवं संस्थापन	
6	वातानुकूलन एवं वायु प्रशीतक की आपूर्ति एवं सस्थापन	10%
7	बिजली सामान की आपूर्ति एवं फिटिंग, बिजली उपकरण जिसमें ट्रॉसफारमर सम्मिलित है की पूर्ति एवं सस्थापन	10%
8	फर्नीचर एव फिक्सचर, विभाजक की आपूर्ति एव फिक्सिंग तथा आंतरिक सज्जा का कार्य	10%
9	रेलवे द्वारा आपूर्ति किये गये अन्डर कैरिज पर रेलवे कोच और वैगन का निर्माण	10%
10	मोटर वाहन की बाडी और ट्रेलर का निर्माण	10%
11	रोलिंग शटर एव कोलेप्सबिल गेट का निर्माण एव सस्थापंन	30%
12	सिविल कार्य जैसे भवन, पुल, सडक, बॉध, बैराज, स्पिल वे एव डाईवर्जन, सीवेज एवं ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण।	30%
13	दरवाजे,दरवाजे का ढॉचा, खिड़की, खिड़की का ढ़ाचा एवं ग्रिल का संस्थापन	30%
14	टाइल्स, स्लैव, पत्थर एवं शीटस की आपूर्ति एवं फिक्सिगं	30%
15	प्लम्बिग, ड्रेनेज या सीवेज सिस्टम की सैनेटरी फिटिंग	30%
16	पुताई, पेन्टिग, एवं पौलिशिंग।	40%

स्पष्टीकरण :-

(क) इस नियम के अधीन यदि किसी संकर्म संविदा का निष्पादन कई टैक्स पीरियड या कई कर निर्धारण वर्ष मे किया जाता है अथवा

(ख) जहॉ उप-संविदाकार को दिया गया संविदाकार्य, अन्य वर्ग की कार्य संविदा के श्रेणी में आता हो अथवा

(ग) जहॉ पूरा या कार्य संविदा का कोई भाग उप-संविदाकार को निष्पादन हेतु आवंटित किया जाता है मजदूरी एवं सेवा और उस पर अर्जित लाभ,जिसका दावा संविदाकार अथवा उप-संविदाकार द्वारा किया गया हो, वह सम्पूर्ण धनराशि के प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जो कि कार्य संविदा के प्रत्येक कार्य के निष्पादन में प्राप्त हुई है अथवा प्राप्त होने वाली है।

(4) सन्देह के निराकरण के लिए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस नियम के अन्तर्गत सकर्म संविदा के निष्पादन मे बिक्रीत माल की धनराशि का आगणन करने हेतु निम्नलिखित प्रकृ ति की धनराशियॅा सकल प्राप्तियो से कटौती नही की जाएगी --

(क) वह धनराशि जो किसी कर, शुल्क या लेवी के रुप मे कटौती की जानी प्रस्तावित हो।

(ख) संविदाकार से संविदा की किसी शर्त का उल्लघन होने से हुए नुकसान या दंड या जुर्माना या अन्य किसी नाम से संविदी द्वारा की गई कटौती की धनराशि।

(ग) संविदाकार से क्षतिपूर्ति के रुप मे संविदी द्वारा कटौती की धनराशि।

नियम 21 का संशोधन

6. नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उक्त नियमावली के नियम-21 के उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान उप खण्ड

(2) उन वस्तुओ के सम्बन्ध मे जिन्हे :-

(क) प्रान्त बाहर बिक्री न करके अन्य प्रकार से प्रान्त बाहर उसी रुप एवं दशा मे पारेषित किया गया है, जिस रुप व दशा मे खरीदा गया था;

(ख) किसी ऐसे कर योग्य माल के निर्माण या प्रसंस्करण अथवा ऐसी वस्तु की पैकिंग मे प्रयोग या खपत हुआ हो, जिसे प्रान्त बाहर बिक्री न करके अन्य प्रकार से प्रान्त बाहर पारेषित किया गया हो, सूत्र {पी x आर / 100} का प्रयोग करके इन्पुट टैक्स क्रेडिट के अंशिक भाग का लाभ दिया जाना अनुमन्य नही है :-

जहाँ :-

(एक) "पी" का तात्पर्य पारेषित की गई, या प्रयुक्त या खपत की गई वस्तु का क्रय मूल्य है।

(दो) "आर" का तात्पर्य केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विहित कर की दर है।

स्तम्भ-2

एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उप खण्ड

(2) उन वस्तुओ के सम्बन्ध मे जिन्हे :-

(क) प्रान्त बाहर बिक्री न करके अन्य प्रकार से प्रान्त बाहर उसी रुप एवं दशा मे पारेषित किया गया है, जिस रुप व दशा मे खरीदा गया था;

(ख) किसी ऐसे कर योग्य माल के निर्माण या प्रसंस्करण अथवा ऐसी वस्तु की पैकिंग मे प्रयोग या खपत हुआ हो, जिसे प्रान्त बाहर बिक्री न करके अन्य प्रकार से प्रान्त बाहर पारेषित किया गया हो, सूत्र {पी x आर / 100} का प्रयोग करके इन्पुट टैक्स क्रेडिट के अंशिक भाग का लाभ दिया जाना अनुमन्य नही है :-

जहाँ :-

(एक) "पी" का तात्पर्य पारेषित की गई, या प्रयुक्त या खपत की गई वस्तु का क्रय मूल्य है।

(दो) "आर" कर की वह दर है जो उन वस्तुओं पर लागू है जिनपर एक्ट के अन्तर्गत 4 प्रतिशत से कम कर है अथवा अन्य मामलों नें 4 प्रतिशत के बराबर होगा।

नियम 22 का संशोधन

7. नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उक्त नियमावली के नियम-22 के उप नियम (3) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान उप खण्ड

(3) किसी वस्तु की ऐसी मात्रा या माप, जिसे व्यापारी ने प्रान्त के बाहर बिक्री न करके अन्य प्रकार से प्रान्त बाहर पारेषित किया है, पर उत्क्रमित इन्पुट टैक्स की गणना निम्न सूत्र से की जाएगी :-

$$\frac{\text{पी x आर}}{100}$$

जिसमे प्रान्त के बाहर पारेषित किये गए माल की मात्रा एवं माप के संदर्भ मे :-

(एक) "पी" का तात्पर्य बिक्री बीजक के अनुसार उस क्रय मूल्य से है जिस पर क्रेता से कर वसूल किया गया है और इस सम्पूर्ण इन्पुट टैक्स की पूरी-पूरी धनराशि का इन्पुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है।

(दो) "आर" का तात्पर्य केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम-1956 की धारा 8 की उपधारा (1) मे विहित कर की दर है।

स्तम्भ-2

एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उप खण्ड

(3) किसी वस्तु की ऐसी मात्रा या माप, जिसे व्यापारी ने प्रान्त के बाहर बिक्री न करके अन्य प्रकार से प्रान्त बाहर पारेषित किया है, पर उत्क्रमित इन्पुट टैक्स की गणना निम्न सूत्र से की जाएगी :-

$$\frac{\text{पी x आर}}{100}$$

जिसमे प्रान्त के बाहर पारेषित किये गए माल की मात्रा एवं माप के संदर्भ मे :-

(एक) **"पी" का तात्पर्य टैक्स इनवाइस अथवा खरीद के बीजक के अनुसार उस क्रय मूल्य से है जिस पर क्रेता से कर वसूल किया गया है और इस सम्पूर्ण इन्पुट टैक्स की पूरी-पूरी धनराशि का इन्पुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है।**

(दो) **"आर" कर की वह दर है जो उन वस्तुओं पर लागू है जिनपर एक्ट के अन्तर्गत 4 प्रतिशत से कम कर है अथवा अन्य मामलों में 4 प्रतिशत के बराबर होगा।**

नियम 24 का संशोधन 8. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 24 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
उन वस्तुओं के संबंध में जिनका इन्पुट टैक्स क्रेडिट का दावा प्रस्तुत करने हेतु व्यवहारी अधिकृत है, का दावा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा :-	उन वस्तुओं के संबंध में जिनका इन्पुट टैक्स क्रेडिट का दावा प्रस्तुत करने हेतु व्यवहारी अधिकृत है, का दावा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा :-
(क) निर्माण में प्रयोग होने वाले पूँजी माल के इन्पुट टैक्स की धनराशि के लिए इन्पुट टैक्स क्रेडिट का दावा तीन बराबर धनराशि की वार्षिक किस्तो में कर निर्धारण वर्ष के प्रथम टैक्स अवधि के टैक्स रिर्टन मे प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार की प्रथम किस्त का दावा, जिस कर निर्धारण वर्ष में पूँजी माल की खरीद की गई है उससे अगले कर निर्धारण वर्ष के प्रथम टैक्स अवधि के टैक्स रिर्टन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा तथा अगली किश्तों का दावा अगले कर निर्धारण वर्षों के प्रथम टैक्स अवधि मे किया जाएगा। प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ निर्मित वस्तुए अधिनियम के अन्तर्गत कर मुक्त है और इस प्रकार निर्मित वस्तुओं को अलग-अलग प्रकार से निस्तारित किया गया है, इन्पुट टैक्स क्रेडिट की वार्षिक किस्त का दावा आंशिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा और व्यवहारी को उसी सीमा तक अनुमन्य किया जाएगा जिस अनुपात में भारत की सीमा से बाहर वस्तु का निर्यात हुआ है। अग्रतर प्रतिबंध यह हैं कि प्रग्रहणीय विद्युत संयत्र के मामले में, जहाँ विद्युत ऊर्जा का प्रतिशत उपभोग नब्बे प्रतिशत से कम हों वहाँ इनपुट टैक्स केडिट के किश्त की केवल आनुपातिक धनराशि अनुमन्य होगी।	(क) निर्माण में प्रयोग होने वाले पूँजी माल के इन्पुट टैक्स की धनराशि के लिए इन्पुट टैक्स क्रेडिट का दावा तीन बराबर धनराशि की वार्षिक किस्तो में कर निर्धारण वर्ष के प्रथम टैक्स अवधि के टैक्स रिर्टन मे प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार की प्रथम किस्त का दावा, जिस कर निर्धारण वर्ष में पूँजी माल की खरीद की गई है उससे अगले कर निर्धारण वर्ष के प्रथम टैक्स अवधि के टैक्स रिर्टन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा तथा अगली किश्तों का दावा अगले कर निर्धारण वर्षों के प्रथम टैक्स अवधि मे किया जाएगा। **प्रतिबन्ध यह है कि जहां निर्मित वस्तु का विभिन्न प्रकार से निस्तारण किया गया हो, चाहे बिकी अथवा अन्यथा, केवल आनुपातिक धनराशि जो कि वार्षिक किश्त से समानुपातिक रुप से आंगणित की जायेगी, का दावा उस सीमा तक प्रस्तुत किया जायेगा तथा स्वीकार किया जायेगा जिस सीमा तक यह अनुमन्य होगा ।** **अग्रेतर प्रतिबंध यह हैं कि प्रग्रहणीय विद्युत संयत्र के मामले में, जहाँ विद्युत ऊर्जा का प्रतिशत उपभोग नब्बे प्रतिशत से कम हों वहाँ इनपुट टैक्स केडिट के वार्षिक किश्त की केवल आनुपातिक धनराशि का दावा किया जायेगा तथा अनुमन्य किया जायेगा ।**
(ख) उन वस्तुओ के सबन्ध में जिनकी खरीद अध्यादेश प्रारम्भ होने के पूर्व छह माह के भीतर की गयी है तथा अध्यादेश प्रारम्भ होने के दिनांक में स्टाक में है, पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट का दावा, 6 बराबर धनराशि की मासिक अथवा त्रैमासिक किस्तो में किया जाएगा, और ऐसी प्रथम किस्त उस टैक्स पीरियड के टैक्स रिटर्न के साथ प्रस्तुत की जाएगी जो टैक्स पीरियड अध्यादेश प्रारम्भ होने के दिनांक के पाँच माह बाद प्रारम्भ हो रहा है, और अगली मसिक या त्रैमासिक किश्ते जैसी भी स्थिति हो, अगले टैक्स पीरियड के रिटर्न मे प्रस्तुत की जाएगी।	(ख) उन वस्तुओ के सबन्ध में जिनकी खरीद अध्यादेश प्रारम्भ होने के पूर्व छह माह के भीतर की गयी है तथा अध्यादेश प्रारम्भ होने के दिनांक में स्टाक में है, पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट का दावा, 6 बराबर धनराशि की मासिक अथवा त्रैमासिक किस्तो में किया जाएगा, और ऐसी प्रथम किस्त उस टैक्स पीरियड के टैक्स रिटर्न के साथ प्रस्तुत की जाएगी जो टैक्स पीरियड अध्यादेश प्रारम्भ होने के दिनांक के पाँच माह बाद प्रारम्भ हो रहा है, और अगली मसिक या त्रैमासिक किश्ते जैसी भी स्थिति हो, अगले टैक्स पीरियड के रिटर्न मे प्रस्तुत की जाएगी।
(ग) उन मामलो मे जिनमें व्यवहारी अध्यादेश प्रारम्भ होने के उपरान्त के किसी दिनांक से कर योग्य होता है, उसके कर योग्य होने के दिनांक में धारित आरम्भिक रहतिया की वस्तु के सम्बन्ध में इन्पुट टैक्स क्रेडिट का दावा 6 बराबर धनराशि की मासिक या त्रैमासिक किस्तो में, जैसी भी स्थिति हो, प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार की पहली किस्त का दावा, व्यवहारी को पंजीयन प्रार्थना पत्र जारी होने के दिनांक से चार माह बाद प्रारम्भ होने वाले टैक्स पीरियड के टैक्स रिर्टन के साथ प्रस्तुत होगा और अगली मासिक या त्रैमासिक किश्ते जैसी भी स्थिति हो, अगले टैक्स पीरियड	(ग) उन मामलो मे जिनमें व्यवहारी अध्यादेश प्रारम्भ होने के उपरान्त के किसी दिनांक से कर योग्य होता है, उसके कर योग्य होने के दिनांक में धारित आरम्भिक रहतिया की वस्तु के सम्बन्ध में इन्पुट टैक्स क्रेडिट का दावा 6 बराबर धनराशि की मासिक या त्रैमासिक किस्तो में, जैसी भी स्थिति हो, प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार की पहली किस्त का दावा, व्यवहारी को पंजीयन प्रार्थना पत्र जारी होने के दिनांक से चार माह बाद प्रारम्भ होने वाले टैक्स पीरियड के टैक्स रिर्टन के साथ प्रस्तुत होगा और अगली मासिक या

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
के टैक्स रिटर्न मे प्रस्तुत की जाएगी।	त्रैमासिक किश्ते जैसी भी स्थिति हो, अगले टैक्स पीरियड के टैक्स रिटर्न मे प्रस्तुत की जाएगी।
(घ) धारा 6 मे समाधान अवधि की समाप्ति के दिन अन्तिम रहतिये मे बची वस्तुओ के सम्बन्ध मे, इन्पुट टैक्स का दावा समाधान अवधि के समापन के बाद मे आने वाला दिन, जिस टैक्स अवधि मे है उस अवधि के टैक्स रिटर्न के साथ प्रस्तुत किया जाएगा	(घ) धारा 6 मे समाधान अवधि की समाप्ति के दिन अन्तिम रहतिये मे बची वस्तुओ के सम्बन्ध मे, इन्पुट टैक्स का दावा समाधान अवधि के समापन के बाद मे आने वाला दिन, जिस टैक्स अवधि मे है उस अवधि के टैक्स रिटर्न के साथ प्रस्तुत किया जाएगा
(ङ) अन्य सभी मामलो में, उस टैक्स अवधि के टैक्स रिर्टन के साथ जिसमे वह वस्तु खरीदी गई है।	(ङ) अन्य सभी मामलो में, उस टैक्स अवधि के टैक्स रिर्टन के साथ जिसमे वह वस्तु खरीदी गई है।
स्पष्टीकरण :-	**स्पष्टीकरण :-**
(1) इस नियम के बन्ध (ब), (स) एवं (द) के सदर्भ मे स्टाक मे बचे सामान में वह वस्तुए भी सम्मिलित है जो स्टाक में उपलब्ध निर्मित माल में प्रयोग हुई हो या अर्धनिर्मित माल के निर्माण की प्रकिया में प्रयोग हुई हो।	(1) इस नियम के बन्ध (ब), (स) एवं (द) के संदर्भ मे स्टाक मे बचे सामान में वह वस्तुए भी सम्मिलित है जो स्टाक में उपलब्ध निर्मित माल में प्रयोग हुई हो या अर्धनिर्मित माल के निर्माण की प्रकिया में प्रयोग हुई हो।
(2) इस नियम के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए यदि नियम 45 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित कर अवधि में **पंचम्** माह समाप्त हो जाता है तो प्रथम किश्त का दावा उस टैक्स पीरियड के टैक्स रिटर्न के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें **पंचम्** माह समाप्त हो रहा है।	**(2) इस नियम के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए यदि नियम 45 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित कर अवधि में पंचम् अथवा चतुर्थ माह समाप्त हो जाता है तो प्रथम किश्त का दावा उस टैक्स पीरियड के टैक्स रिटर्न के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें पंचम् अथवा चतुर्थ माह समाप्त हो रहा है।**

नियम 28 का संशोधन 9. नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उक्त नियमावली के नियम-28 के उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान उप खण्ड	स्तम्भ-2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उप खण्ड
(1) इन्पुट टैक्स क्रेडिट की अनुमन्य धनराशि एवं उत्क्रमित इन्पुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि की गणना के उद्देश्य से प्रत्येक व्यापारी प्रान्त के भीतर से की गई प्रत्येक खरीद को एक रजिस्टर में दर्ज करेगा।	(1) इन्पुट टैक्स क्रेडिट की अनुमन्य धनराशि एवं उत्क्रमित इन्पुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि की गणना के उद्देश्य से प्रत्येक व्यापारी प्रान्त के भीतर से की गई प्रत्येक खरीद को एक रजिस्टर में दर्ज करेगा **जो फार्म एल में होगा।**

नियम 30 का संशोधन 10. नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उक्त नियमावली के नियम-30 के उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान उप खण्ड	स्तम्भ-2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उप खण्ड
(2) यदि कोई व्यवहारी अधिनियम प्रारम्भ होने के बाद की किसी दिनांक मे करदायी हुआ है, उस व्यवहारी के द्वारा कर दायित्व आने के दिनांक के उपरान्त अपँजी कृत रहने की अवधि मे की गई खरीदो पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट, विक्रेता द्वारा धारा 22 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अनुरूप जारी बिक्री बीजक पर दिया जाएगा।	(2) यदि कोई व्यवहारी अधिनियम प्रारम्भ होने के बाद की किसी दिनांक मे करदायी हुआ है, उस व्यवहारी के द्वारा कर दायित्व आने के दिनांक के उपरान्त अपँजी कृत रहने की अवधि मे की गई खरीदो पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट, विक्रेता द्वारा **धारा 22 की उपधारा (3) के अनुरूप जारी बिक्री बीजक पर दिया जाएगा।**

नियम 32 का संशोधन 11. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 32 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
1- अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु, व्यवहारी सरकारी विभाग होने की दशा में फार्म-सात (छ) में, अन्यथा फार्म-सात में, जैसी भी स्थिति हो, पूर्ण रुपेण भरा हुआ एक प्रार्थना पत्र उस मंडल के, जिसमें उसका मुख्य	1- अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु, **आकस्मिक व्यवहारी के अतिरिक्त** व्यवहारी सरकारी विभाग होने की दशा में फार्म-सात (छ) में,

कारबार स्थल स्थित है, पंजीयन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

2- प्रत्येक पंजीयन प्रार्थना पत्र के साथ देय शुल्क व विलम्ब शुल्क यदि कोई हो, तथा अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अर्थदण्ड जहाँ देय हो, के जमा के संतोषजनक प्रमाण के साथ निम्नलिखित में से किन्ही दो की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करनी होगी :-
   (क) भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र।
   (ख) भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड)
   (ग) पासपोर्ट
   (घ) बैंक पासबुक

   प्रतिबंध यह है कि पंजीयन अधिकारी अपूर्ण पंजीयन आवदेन पत्र स्वीकार नही करेगा।

3- धारा 17 की उपधारा (5) में संदर्भित उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकन हेतु प्रार्थना पत्र, व्यवहारी अधिनियम प्रारम्भ होने के 60 दिन के भीतर पंजीयन प्राधिकारी के समक्ष पूर्ण रुप से भरे हुए फार्म-आठ में उसके संलग्नको सहित प्रस्तुत करेगा।

4- धारा 18 की उपधारा (2) में संदर्भित प्रत्येक व्यवहारी उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र को रोक रखने हेतु, अधिनियम प्रारम्भ होने के 30 दिन के भीतर पंजीयन अधिकारी के समक्ष पूर्ण रुप से भरे हुए फार्म-नौ में उसके संलग्नकों सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा।

5- धारा 18 की उपधारा (3) में संदर्भित प्रत्येक व्यवहारी, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र को रोक रखने हेतु अधिनियम प्रारम्भ होने के 30 दिन के भीतर पंजीयन अधिकारी के समक्ष पूर्ण रुप से भरे हुए फार्म-दस मे, उसके संलग्नकों सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा।

   प्रतिबन्ध यह है कि, उपनियम (3), (4) और (5) में संदर्भित प्रत्येक व्यवहारी प्रार्थना पत्र के साथ पूर्ण रुपेण भरा हुआ फार्म-सात व सात छ जैसाकि उसके मामलें में लागू हो, भी प्रस्तुत करेगा।

6- उपनियम (1), (3), (4) व (5) में संदर्भित प्रत्येक प्रार्थना पत्र निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) में वार्णित व्यक्ति द्वारा उचित रुप से भरा व हस्ताक्षरित किया जायेगा और ऐसे व्यक्ति द्वारा तालिका के स्तंभ 3 में वार्णित प्रस्थिति कोड का प्रयोग किया जायेगा।

अन्यथा फार्म-सात में, जैसी भी स्थिति हो, पूर्ण रुपेण भरा हुआ एक प्रार्थना पत्र उस मंडल के, जिसमें उसका मुख्य कारबार स्थल स्थित है, पंजीयन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

2- प्रत्येक पंजीयन प्रार्थना पत्र के साथ देय शुल्क व विलम्ब शुल्क यदि कोई हो, तथा अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अर्थदण्ड जहाँ देय हो, के जमा के संतोषजनक प्रमाण के साथ निम्नलिखित में से किन्ही दो की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करनी होगी :-
   (क) भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र।
   (ख) भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड)
   (ग) पासपोर्ट
   (घ) बैंक पासबुक

   प्रतिबंध यह है कि पंजीयन अधिकारी अपूर्ण पंजीयन आवदेन पत्र स्वीकार नही करेगा।

3- **धारा 17 की उपधारा (5) में संदर्भित प्रार्थना पत्र व्यवहारी द्वारा पंजीयन प्राधिकारी के समक्ष पूर्ण रुप से भरे हुए फार्म-आठ में उसके संलग्नको सहित प्रस्तुत करेगा।**

4- धारा 18 की उपधारा (2) में संदर्भित प्रत्येक व्यवहारी उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र को रोक रखने हेतु, अधिनियम प्रारम्भ होने के 30 दिन के भीतर पंजीयन अधिकारी के समक्ष पूर्ण रुप से भरे हुए फार्म-नौ में उसके संलग्नकों सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा।

5- धारा 18 की उपधारा (3) में संदर्भित प्रत्येक व्यवहारी, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र को रोक रखने हेतु अधिनियम प्रारम्भ होने के 30 दिन के भीतर पंजीयन अधिकारी के समक्ष पूर्ण रुप से भरे हुए फार्म-दस मे, उसके संलग्नकों सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा।

   प्रतिबन्ध यह है कि, उपनियम (3), (4) और (5) में संदर्भित प्रत्येक व्यवहारी प्रार्थना पत्र के साथ पूर्ण रुपेण भरा हुआ फार्म-सात व सात छ जैसाकि उसके मामलें में लागू हो, भी प्रस्तुत करेगा।

6- उपनियम (1), (3), (4) व (5) में संदर्भित प्रत्येक प्रार्थना पत्र निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) में वार्णित व्यक्ति द्वारा उचित रुप से भरा व हस्ताक्षरित किया जायेगा और ऐसे व्यक्ति द्वारा तालिका के स्तंभ 3 में वार्णित प्रस्थिति कोड का प्रयोग किया जायेगा।

क्रम सं0	विवरण
1.	स्वामित्व के व्यापार के मामले में स्वामी ; या
2.	साझेदारी के व्यापार के मामले में अन्य सभी साझेदारो द्वारा अधिकृत साझेदार ; या
3.	संयुक्त हिन्दू परिवार के मामले में कर्ता ; या
4.	लिमिटेड कम्पनी के मामले में प्रबंध निदेशक या निदेशक या निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत व्यक्ति ; या
5.	सोसाइटी या क्लब के मामले में अध्यक्ष या सचिव ; या
6.	केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के विभाग के मामले में कार्यालयाध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति ; या
7.	जहाँ कारबार किसी नाबालिग के नाम है, ऐसी स्थिति मे नाबालिग का अभिभावक ; या
8.	जहाँ कारबार किसी अक्षम व्यक्ति के नाम है, उचित रुप से अधिकृत व्यक्ति जिसे जनरल पावर आफ अटार्नी प्राप्त हो
9.	न्यास के मामले में न्यासी ; या
10.	अन्य मामलों में व्यवहारी द्वारा उचित रुप से अधिकृत व्यक्ति या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति

7- उपनियम (1) में प्राप्त प्रत्येक प्रार्थना पत्र धारा 17 में उपबंधित रीति से निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निस्तरित किया जायेगा :-

(क) बायोमेट्रिक डेटा व उसका मूल अभिलेख से सत्यापन एक सप्ताह

(ख) व्यापार स्थल का निरीक्षण व उसका डिजिटल छाया चित्र - एक सप्ताह

(ग) प्रतिभूति प्रसंस्करण, यदि वॉछित हो- 10 दिन

(घ) करदाता की पहचान संख्या (टिन) जारी करना-6 दिन

8- ऐसी जॉच के बाद जैसा कि वह उचित समझता है, पंजीयन अधिकारी यदि संतुष्ट है कि पंजीयन प्रार्थना पत्र यथावॉछित है और दी गई सूचना व प्रस्तुत किये गये अभिलेख सही व वास्तविक है, व्यवहारी का प्रार्थना पत्र प्राप्ति के दिनांक से प्रभावी पंजीकरण करेगा।

प्रतिबंध यह है कि जहाँ पंजीयन अधिकारी द्वारा धारा 19 के अन्तर्गत प्रतिभूति मॉगी गई है, व्यवहारी तभी पंजीकृत किया जायेगा और उसे पंजीयन प्रमाण पत्र दिया जायेगा जब उसने पंजीयन अधिकारी के संतोषानुसार जमानत प्रस्तुत कर दी हो,

पुनः प्रतिबंध यह है कि संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक), यदि वह संतुष्ट है कि ऐसे कारण विद्यमान है जिनसे पंजीयन अधिकारी 30 दिन के भीतर पंजीयन प्रार्थना पत्र का निस्तारण नही कर सकता था, पंजीयन प्रार्थना पत्र के 30 दिन के बाद निस्तारण हेतु अनुमति दे सकता है।

9- यदि पंजीयन अधिकारी संतुष्ट है कि प्रार्थना पत्र उचित नही है या इसमें दी गयी सूचना सही नही है या प्रस्तुत दस्तावेज वास्तविक नही है और कूटरचित है या मॉगी गई जमानत नही दी गई है, तो वह पंजीयन प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर देगा और व्यवहारी को तद्नुसार सूचित करेगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि पंजीयन आवेदन पत्र अस्वीकार करने के पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

क्रम सं0	विवरण
1.	स्वामित्व के व्यापार के मामले में स्वामी ; या
2.	साझेदारी के व्यापार के मामले में अन्य सभी साझेदारो द्वारा अधिकृत साझेदार ; या
3.	संयुक्त हिन्दू परिवार के मामले में कर्ता ; या
4.	लिमिटेड कम्पनी के मामले में प्रबंध निदेशक या निदेशक या निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत व्यक्ति ; या
5.	सोसाइटी या क्लब के मामले में अध्यक्ष या सचिव ; या
6.	केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के विभाग के मामले में कार्यालयाध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति ; या
7.	जहाँ कारबार किसी नाबालिग के नाम है, ऐसी स्थिति मे नाबालिग का अभिभावक ; या
8.	जहाँ कारबार किसी अक्षम व्यक्ति के नाम है, उचित रुप से अधिकृत व्यक्ति जिसे जनरल पावर आफ अटार्नी प्राप्त हो
9.	न्यास के मामले में न्यासी ; या
10.	अन्य मामलों में व्यवहारी द्वारा उचित रुप से अधिकृत व्यक्ति या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति

7- उपनियम (1) में प्राप्त प्रत्येक प्रार्थना पत्र धारा 17 में उपबंधित रीति से निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निस्तरित किया जायेगा :-

(क) बायोमेट्रिक डेटा व उसका मूल अभिलेख से सत्यापन एक सप्ताह

(ख) व्यापार स्थल का निरीक्षण व उसका डिजिटल छाया चित्र - एक सप्ताह

(ग) प्रतिभूति प्रसंस्करण, यदि वॉछित हो- 10 दिन

(घ) करदाता की पहचान संख्या (टिन) जारी करना-6 दिन

उपर्युक्त व्यवस्था के होते हुए भी जहां कमिश्नर सहमत हो, कि ऐसा करना जनहित में उचित है, वह लिखित आदेश द्वारा पंजीयन प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की अवधि को पुर्न निर्धारित कर सकता है

8- ऐसी जॉच के बाद जैसा कि वह उचित समझता है, पंजीयन अधिकारी यदि संतुष्ट है कि पंजीयन प्रार्थना पत्र यथावॉछित है और दी गई सूचना व प्रस्तुत किये गये अभिलेख सही व वास्तविक है, व्यवहारी का प्रार्थना पत्र प्राप्ति के दिनांक से प्रभावी पंजीकरण करेगा।

प्रतिबंध यह है कि जहाँ पंजीयन अधिकारी द्वारा धारा 19 के अन्तर्गत प्रतिभूति मॉगी गई है, व्यवहारी तभी पंजीकृत किया जायेगा और उसे पंजीयन प्रमाण पत्र दिया जायेगा जब उसने पंजीयन अधिकारी के संतोषानुसार जमानत प्रस्तुत कर दी हो,

पुनः प्रतिबंध यह है कि संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक), यदि वह संतुष्ट है कि ऐसे कारण विद्यमान है जिनसे पंजीयन अधिकारी 30 दिन के भीतर पंजीयन प्रार्थना पत्र का निस्तारण नही कर सकता था,

10- पंजीयन अधिकारी पंजीयन प्रमाण पत्र फार्म-ग्यारह में जारी करेगा।

11- उपनियम (8) के अन्तर्गत जारी प्रत्येक पंजीयन प्रमाण पत्र पर करदाता पहचान संख्या अंकित रहेगी।

12- उपनियम (11) के अन्तर्गत संदर्भित करदाता पहचान संख्या ग्यारह अंको की होगी और प्रत्येक अंक या अंको का वर्ग कमिश्नर द्वारा निश्चित किया हुआ कोड व्यक्त करेगा।

13- जहॉ किसी मंडलं में कोई पंजीयन अधिकारी नही है, व्यवहारी के मुख्य व्यापार स्थल का क्षेत्राधिकार रखने वाला कर निर्धारण अधिकारी उसका पंजीयन अधिकारी होगा।

14- यदि कोई व्यवहारी उपनियम (3), (4) या (5) मे विर्निदिष्ट प्रार्थना पत्र निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत नही करता है, तब उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु जिस व्यक्ति ने पंजीयन आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किया था, केवल वही व्यक्ति टैक्स इनवाइस या अन्य दस्तावेज अभि प्रमाणित करने हेतु अधिकृत होगा।

स्पष्टीकरण :- उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्रदत्त करदाता पहचान सख्या इस अधिनियम के अर्न्तगत जारी करदाता पहचान संख्या समझी जायेगी।

15- समय समय पर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रार्थना पत्र के निस्तारण और पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने व पंजीयन से संबधित अन्य मामलों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबध में कमिश्नर निर्देश जारी कर सकता है।

पंजीयन प्रार्थना पत्र के 30 दिन के बाद निस्तारण हेतु अनुमति दे सकता है।

9- यदि पंजीयन अधिकारी संतुष्ट है कि प्रार्थना पत्र उचित नही है या इसमें दी गयी सूचना सही नही है या प्रस्तुत दस्तावेज वास्तविक नही है और कूटरचित है या मॉगी गई जमानत नही दी गई है, तो वह पंजीयन प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर देगा और व्यवहारी को तद्नुसार सूचित करेगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि पंजीयन आवेदन पत्र अस्वीकार करने के पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

10- पंजीयन अधिकारी पंजीयन प्रमाण पत्र फार्म-ग्यारह में जारी करेगा।

11- उपनियम (8) के अन्तर्गत जारी प्रत्येक पंजीयन प्रमाण पत्र पर करदाता पहचान संख्या अंकित रहेगी।

12- उपनियम (11) के अन्तर्गत संदर्भित करदाता पहचान संख्या ग्यारह अंको की होगी और प्रत्येक अंक या अंको का वर्ग कमिश्नर द्वारा निश्चित किया हुआ कोड व्यक्त करेगा।

13- जहॉ किसी मंडलं में कोई पंजीयन अधिकारी नही है, व्यवहारी के मुख्य व्यापार स्थल का क्षेत्राधिकार रखने वाला कर निर्धारण अधिकारी उसका पंजीयन अधिकारी होगा।

14- यदि कोई व्यवहारी उपनियम (3) मे विर्निदिष्ट प्रार्थना पत्र **उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-17 के उपधारा-5 में निर्धारित सीमा में प्रस्तुत नहीं करता है, पंजीयन प्रार्थना पत्र प्रभावहीन हो जायेगा।**

स्पष्टीकरण :- उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्रदत्त करदाता पहचान सख्या इस अधिनियम के अर्न्तगत जारी करदाता पहचान संख्या समझी जायेगी।

15- समय समय पर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रार्थना पत्र के निस्तारण और पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने व पंजीयन से संबधित अन्य मामलों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबध में कमिश्नर निर्देश जारी कर सकता है।

नियम 32-क का बढाया जाना

12. उक्त नियमावली में, नियम 32 के पश्चात निम्नलिखित नियम बढा दिया जाएगा, अर्थात् :—

32-क आकस्मिक व्यवहारी का पंजीयन

(1) अधिनियम की धारा-26ए के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु, प्रत्येक आकस्मिक व्यवहारी फार्म 7क में पूर्ण रुपेण भरा हुआ एक प्रार्थना पत्र उस मंडल के जिसमें उसका कारबार स्थल स्थित है, पंजीयन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(2) उपनियम एक के अधीन प्रत्येक पंजीयन प्रार्थना पत्र के साथ सौ रूपये देय शुल्क प्रमाण के साथ निम्नलिखित में से किन्हीं एक की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

(क) भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र।

(ख) भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड)

(ग) पासपोर्ट।

(घ) बैंक पासबुक।

प्रतिबंध यह है कि पंजीयन अधिकारी अपूर्ण पंजीयन आवेदन पत्र स्वीकार नही करेगा।

अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि यदि व्यवहारी धारा-26क में विहित समय के अंतर्गत आवेदन करने में असफल रहता है, तो वह पचास रूपये प्रतिदिन देय विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन कर सकता है।

(3) आवेदन पत्र प्राप्त करते समय पंजीयन अधिकारी प्रस्तुत दस्तावेजो की जॉच करेगा एवं आवेदनकर्ता का शपथपूर्वक बयान लेने के पश्चात् वह जमानत की राशि एवं स्वरूप प्रस्तुत करने का आदेश करेगा।

(4) ऐसी जॉच के पश्चात् जैसा कि पंजीयन अधिकरी उचित समझता है एवं संतुष्ट है कि-

(क) प्रार्थनापत्र यथा वॉछित है तथा प्रस्तुत की गयी सूचना एवं अभिलेख सही व वास्तविक है।

(ख) मॉगी गयी प्रतिभूति जमा है एवं

(ग) आवेदक का बायोमेट्रिक डाटा लिया गया है।

वह, व्यवहारी को प्रार्थना पत्र प्राप्ति के दिनांक से प्रभावी पंजीकरण जब तक आकस्मिक व्यापार चालू रहेगा, जारी करेगा।

(5) यदि पंजीयन अधिकारी संतुष्ट है कि प्रार्थना पत्र उचित नही है या इसमें दी गयी सूचना सही नही है या प्रस्तुत दस्तावेज वास्तविक नही है और कूटरचित है या मॉगी गयी जमानत नही दी गयी है, तो वह पंजीयन प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर देगा और व्यवहारी को तद्नुसार सूचित करेगा,

प्रतिबंध यह है कि पंजीयन आवेदन पत्र अस्वीकार करने के पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

(6) पंजीयन अधिकारी पंजीयन प्रमाण पत्र फार्म -11क में जारी करेगा।

(7) उपनियम-6 के अंतर्गत जारी प्रत्येक पंजीयन प्रमाण पत्र पर करदाता पहचान संख्या अंकित रहेगी।

(8) उपनियम-7 के अंतर्गत संदर्भित करदाता पहचान संख्या ग्यारह अंको की होगी तथा प्रत्येक अंक या अंको का वर्ग कमिश्नर द्वारा निश्चित किया गया कोड व्यक्त करेगा।

(9) यदि किसी मण्डल में कोई पंजीयन अधिकारी नही है, व्यवहारी के मुख्य व्यापार स्थल का क्षेत्राधिकार रखने वाला कर निर्धारक प्राधिकारी उसका पंजीयन अधिकारी होगा।

(10)नियम-35,36 एवं 37ए के प्राविधान जैसा कि अन्य व्यवहारियों के पंजीयन प्रमाणपत्र के मामलें में प्रभावी है, उसी तरह आकस्मिक व्यवहारी में भी प्रभावी होंगे।

(11)जहॉ पर आकस्मिक व्यवहारी द्वारा व्यापार भिन्न कर निर्धारक प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में किया जा रहा है, वह प्रत्येक व्यापार स्थल के लिए संबंधित कर निर्धारक प्राधिकारी से अलग-अलग पंजीयन प्राप्त करेगा।

(12)आकस्मिक व्यवहारी के पंजीयन एवं आवेदन प्रार्थना पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया से संबंधित निर्देश कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा समय-समय पर जारी किया जा सकता है।

नियम 33 का संशोधन

13. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 33 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
1- धारा 75 के अन्तर्गत व्यापार में परिवर्तन की सूचना पंजीयन अधिकारी को फार्म-बारह में फार्म-सात व सात (छ) जैसा भी	1- धारा 75 के अन्तर्गत व्यापार में परिवर्तन की सूचना पंजीयन अधिकारी को फार्म-बारह में फार्म-सात व सात (छ) जैसा भी

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
मामला हो के साथ दी जायेगी और यह सूचना नियम 32 के उपनियम (6) मे संदर्भित व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित होगी।	मामला हो के साथ दी जायेगी और यह सूचना नियम 32 के उपनियम (6) मे संदर्भित व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित होगी।
2- उपनियम (1) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र के साथ पंजीयन प्रमाण पत्र व परिवर्तन के प्रमाण में साक्ष्य संलग्न किया जायेगा।	2- **उपनियम (1) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र के साथ पंजीयन प्रमाण पत्र एवं व्यापार स्थल के परिवर्तन के प्रमाण में साक्ष्य संलग्न किया जायेगा।**
	3- **उपनियम (1) में निर्दिष्ट ऐसी सूचना प्राप्त होने पर पंजीयन अधिकारी या कर निर्धारक प्राधिकारी जैसा भी हो, सूचना की सत्यता की जॉच करेगा और जैसा उचित समझता है जॉच जिसमें व्यापार स्थल की जॉच सम्मिलित है, करेगा एवं यथा सम्भव 30 दिन के अन्दर उचित आदेश पारित करेगा तथा आवश्यक संशोधन संबंधित अभिलेखों एवं पंजीयन प्रमाण पत्र में करेगा।**

नियम 34 का संशोधन

14. नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उक्त नियमावली के नियम-34 के उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान उप खण्ड	स्तम्भ-2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उप खण्ड
(2) (क) प्रत्येक पंजीकृत व्यवहारी TIN और उसकी वैधता की प्रभावी दिनांक, अपनी दुकान के संकेत बोर्ड पर 6 सेमी0 से अधिक की ऊचाई के शब्दों व अंको में इस ढंग से पेन्ट कराएगा कि वे सड़क से सुगमता से पठनीय हो; या अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर 60 सेमी0 X 30 सेमी0 से अधिक आकार के बोर्ड पर 6 सेमी0 से अधिक उँचाई के शब्दों व अंको में टिन व उसकी वैधता के दिनांक पेन्ट कराते हुए प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा।	(2) (क) प्रत्येक पंजीकृत व्यवहारी TIN और उसकी वैधता की प्रभावी दिनांक, अपनी दुकान के संकेत बोर्ड पर 6 सेमी0 से अधिक की ऊचाई के शब्दों व अंको में इस ढंग से पेन्ट कराएगा कि वे सड़क से सुगमता से पठनीय हो; या अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर 60 सेमी0 X 30 सेमी0 से अधिक आकार के बोर्ड पर 6 सेमी0 से अधिक उँचाई के शब्दों व अंको में टिन व उसकी वैधता के दिनांक पेन्ट कराते हुए प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा।
(ख) प्रत्येक पंजीकृत व्यवहारी प्रत्येक टैक्स इनवाइस, सेल इन्वाइस, बिल, कैश मेमो, परचेज इनवाईस, क्रेडिट नोट व डेबिट नोट, चालान या ट्रासंफर इनवाइस पर टिन व उसकी वैधता की प्रभावी दिनांक छपवायेगा।	(ख) **प्रत्येक पंजीकृत व्यवहारी प्रत्येक टैक्स इनवाइस, सेल इन्वाइस, परचेज इनवाईस, क्रेडिट नोट व डेबिट नोट, चालान या ट्रासंफर इनवाइस पर टिन व उसकी वैधता की प्रभावी दिनांक छपवायेगा।**

नियम 37 का संशोधन

15. नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उक्त नियमावली के नियम-37 के उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान उप खण्ड	स्तम्भ-2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उप खण्ड
1- (क) स्वामी, साझीदार, संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता, कम्पनी, सोसाइटी, क्लब या ऐसोसिऐशन, जैसी भी स्थिति हो, की अचल सम्पति बंधक रखकर बंधक सम्पत्तियों के रजिस्ट्रार कार्यालय से उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में प्रथम भार मानकर पंजीकृत कराना होगा।	1- (क) स्वामी, साझीदार, संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता, कम्पनी, सोसाइटी, क्लब या ऐसोसिऐशन, जैसी भी स्थिति हो, की अचल सम्पति बंधक रखकर बंधक सम्पत्तियों के रजिस्ट्रार कार्यालय से उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में प्रथम भार मानकर पंजीकृत कराना होगा।
(ख) दो ऐसे व्यापारियों की जमानत जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 या उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत कम से कम तीन पूर्ण कर निर्धारण वर्ष से पंजीकृत हो और जो इस अधिनियम या उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम या केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत डिफाल्टर न हो।	(ख) दो ऐसे व्यापारियों की जमानत जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 या उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत कम से कम तीन पूर्ण कर निर्धारण वर्ष से पंजीकृत हो और जो इस अधिनियम या उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम या केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956, **उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम एवं उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 के अन्तर्गत डिफाल्टर न हो।**
(ग) दो जमानतियों का जमानती बांड देकर जो उनके निवास स्थल का जनपद के कलेक्टर द्वारा सत्यापित	

हो ;

प्रतिबंध यह है कि जहाँ किसी व्यवहारी द्वारा दी गई जमानत सत्यापन पर झूठी पाई जाती है, तो वे इस अधिनियम या लागू अन्य किसी कानून के अन्तर्गत किसी अन्य कार्यवाही को प्रभावित किये बिना, कर निर्धारण अधिकारी व्यवहारी से उपनियम (2) में उल्लिखित स्वरुपों में से किसी अन्य स्वरुप में जमानत मॉंग सकता है।

(ग) दो जमानतियों का जमानती बांड देकर जो उनके निवास स्थल का जनपद के कलेक्टर द्वारा सत्यापित हो ;

प्रतिबंध यह है कि जहाँ किसी व्यवहारी द्वारा दी गई जमानत सत्यापन पर झूठी पाई जाती है, तो वे इस अधिनियम या लागू अन्य किसी कानून के अन्तर्गत किसी अन्य कार्यवाही को प्रभावित किये बिना, कर निर्धारण अधिकारी व्यवहारी से उपनियम (2) में उल्लिखित स्वरुपों में से किसी अन्य स्वरुप में जमानत मॉंग सकता है।

नियम 38 का संशोधन

16. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 38 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

ट्रासंपोर्टर, कैरियर, फारवार्डिग एजेन्ट रेलवे कन्टेनर कान्ट्रैक्टर, गोदाम भंडार गृह या शीत गृह के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति का पंजीयन

(1) अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक मे अथवा तिथी के उपरान्त प्रत्येक वह व्यक्ति जो, ट्रासंपोर्टर, कैरियर, फारवर्डिग एजेन्ट, रेलवे कन्टेनर कान्ट्रैक्टर, गोदाम, भंडार गृह या शीत गृह का कारबार प्रारम्भ करता है, कारबार प्रारंभ करने के 30 दिन के भीतर फार्म-चौदह में पंजीयन अधिकारी के समक्ष पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन करेगा।

प्रतिबंध यह है कि यदि कोई ट्रांसपोर्टर, कैरियर या रेलवे कन्टेनर कान्ट्रैक्टर, गोदाम, भंडारगृह, शीतगृह अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व से कारबार कर रहा है तो वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के 30 दिन के भीतर पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र देगा

पुनः प्रतिबंध यह है कि यदि कोई ट्रांसपोर्टर, कैरियर या फारबर्डिग एजेन्ट अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक के पूर्व के दिनांक या बाद के दिनांक से कारबार कर रहा है और उसके पास "दी कैरेज बाई रोड एक्ट, 2007" के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र है, तो उसके लिये इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र देना आवश्यक नही होगा।

(2) ऐसा प्रत्येक ट्रांसपोर्टर, कैरियर या फारवडिग एजेन्ट जिसके पास "दी कैरेज बाई रोड एक्ट 2007" के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र है वह पूर्ण रुप से भरे हुए फार्म-चौदह के साथ "दी कैरिज वाई रोड एक्ट 2007" मे जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए फार्म-पन्द्रह में सूचना कर निर्धारण अधिकारी को इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के 30 दिन के भीतर देगा।

(3) उपनियम (1) में संदर्भित प्रार्थना पत्र के साथ रु0 100/- शुल्क व विलम्ब शुल्क,

स्तम्भ-2

एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम

ट्रासंपोर्टर, से भिन्न रेलवे कन्टेनर कान्ट्रेक्टर, एयर काग्रो आपरेटर, गोदाम भण्डार गृह या शीत गृह के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, का पंजीयन

(1) (क) अधिनियम के प्रारम्भ होने अथवा तिथि के उपरान्त धारा-17 की उपधारा-6 में निर्दिष्ट व्यापार के लिए प्रत्येक व्यक्ति जो ट्रासंपोर्टर, से भिन्न रेलवे कन्टेनर कान्ट्रेक्टर, एयर काग्रो आपरेटर, गोदाम भण्डार गृह या शीत गृह के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, का पंजीयन, या

(ख) अधिनियम के प्रारम्भ होने के अथवा तिथि के उपरान्त धारा-17 की उपधारा-6 में निर्दिष्ट व्यापार के लिए प्रत्येक व्यक्ति जो ट्रासंपोर्टर, से भिन्न रेलवे कन्टेनर कान्ट्रेक्टर, एयर काग्रो आपरेटर, गोदाम भण्डार गृह या शीत गृह के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति माल के संग्रहण का व्यापार करता है एवं ट्रासंपोर्टर से भिन्न रेलवे कन्टेनर कान्ट्रेक्टर, एयर काग्रो आपरेटर, गोदाम भण्डार गृह या शीत गृह के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति माल के संग्रहण का व्यापार जारी रखता है, वह व्यापार प्रारम्भ होने के 30 दिन के अन्दर अथवा इस नियम की अधिसूचना के प्रकाशन के 90 दिन के अन्दर जो भी बाद में हो सर्विस प्रोवाईडर नम्बर के लिए पंजीयन अधिकारी के समक्ष आवेदन करेगा।

(2) उपनियम (1) में संदर्भित प्रत्येक प्रार्थना पत्र के साथ एक सौ रूपये शुल्क जमा करने का प्रमाण संलग्न किया जायेगा।

प्रतिबंध यह है कि उपनियम (1) में संदर्भित व्यक्ति निर्धारित समयान्तर्गत सेवा प्रदाता संख्या जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र देने में, इस एक्ट के अंतर्गत किसी अन्य दायित्व की पूर्व अवधारणा से बिना प्रभावित हुये, असमर्थ रहता है, वह पचास

यदि कोई हो, के जमा करने का प्रमाण भी दिया जायेगा।

(4) प्रत्येक प्रार्थना पत्र उचित रुप से भरा हुआ होगा और अधोलिखित तालिका के स्तंभ (2) में वर्णित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा और व्यवहारी तालिका के स्तंभ (3) में वर्णित प्रास्थिति कोड का प्रयोग करेगा

क्रम सं0	विवरण	प्रास्थिति कोड
1.	स्वामित्व के व्यापार के मामले में स्वामी ; या	01
2.	साझेदारी के व्यापार के मामले में अन्य सभी साझेदारो द्वारा अधिकृत साझेदार ; या	02
3.	संयुक्त हिन्दू परिवार के मामले में कर्ता ; या	03
4.	लिमिटेड कम्पनी के मामले में प्रंबध निदेशक या निदेशक या निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत व्यक्ति ; या	04
5.	सोसाइटी या क्लब के मामले में अध्यक्ष या सचिव ; या	05
6.	केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के विभाग के मामले में कार्यालयाध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति ; या	06
7.	जहाँ कारबार किसी नाबालिग के नाम है, ऐसी स्थिति मे नाबालिग का अभिभावक ; या	07
8.	जहाँ कारबार किसी अक्षम व्यक्ति के नाम है, उचित रुप से अधिकृत व्यक्ति जिसे जनरल पावर आफ अटार्नी प्राप्त हो	08
9.	न्यास के मामले में न्यासी ; या	09
10.	अन्य मामलों में व्यवहारी द्वारा उचित रुप से अधिकृत व्यक्ति या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति	10

(5) प्रार्थना पत्र के परीक्षण और ऐसी जॉच के बाद जैसाकि वह उचित समझता है, जहाँ पंजीयन अधिकारी संतुष्ट है कि दिया गया विवरण सही व पूर्ण है और वॉछित शुल्क व विलम्ब शुल्क यदि कोई हो, जमा किया जा चुका है, पंजीयन अधिकारी ट्रांसपोर्टर, कैरियर, फारवर्डिग एजेन्ट रेलवे कन्टेनर कान्ट्रैक्टर, गोदाम, भंडार गृह या शीत गृह के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति को पंजीकृत करेगा।

(6) उपनियम (5) में पंजीकृत प्रत्येक कान्ट्रैक्टर, कैरियर, फारवर्डिग एजेन्ट, गोदाम, भंडार गृह या शीत गृह के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति को फार्म-सोलह में पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा जिस पर एक पंजीयन संख्या होगी जो कि कमिश्नर द्वारा निश्चित की गयी न्यूमेरिक अथवा अल्फा न्यूमेरिक अंको से बनेगी।

(7) नियम 33, 34, 35, व 36 के प्राविधान ट्रांसपोर्टर, कैरियर या फारवर्डिग एजेन्ट को जारी पंजीयन में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगे जैसाकि वे व्यहारियों के मामलें में लागू होते है।

(8) माल का परिवहन या भंडार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निम्नलिखित अभिलेख रखेगा :-

(अ) परिवहन या भण्डारण के लिए प्राप्त माल

रूपया प्रति माह अथवा तदनुसार आंशिक विलम्ब शुल्क , विलम्बित अवधि के लिए जमा करके प्रार्थना पत्र दे सकता है।

(3) प्रत्येक प्रार्थना पत्र उचित रुप से भरा हुआ होगा और अधोलिखित तालिका के स्तंभ (2) में वर्णित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा और व्यवहारी तालिका के स्तंभ (3) में वर्णित प्रास्थिति कोड का प्रयोग करेगा

क्रम सं0	विवरण	प्रास्थिति कोड
1.	स्वामित्व के व्यापार के मामले में स्वामी ; या	01
2.	साझेदारी के व्यापार के मामले में अन्य सभी साझेदारो द्वारा अधिकृत साझेदार ; या	02
3.	संयुक्त हिन्दू परिवार के मामले में कर्ता ; या	03
4.	लिमिटेड कम्पनी के मामले में प्रंबध निदेशक या निदेशक या निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत व्यक्ति ; या	04
5.	सोसाइटी या क्लब के मामले में अध्यक्ष या सचिव ; या	05
6.	केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के विभाग के मामले में कार्यालयाध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति ; या	06
7.	जहाँ कारबार किसी नाबालिग के नाम है, ऐसी स्थिति मे नाबालिग का अभिभावक ; या	07
8.	जहाँ कारबार किसी अक्षम व्यक्ति के नाम है, उचित रुप से अधिकृत व्यक्ति जिसे जनरल पावर आफ अटार्नी प्राप्त हो	08
9.	न्यास के मामले में न्यासी ; या	09
10.	अन्य मामलों में व्यवहारी द्वारा उचित रुप से अधिकृत व्यक्ति या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति	10

(4) प्रार्थना पत्र के परीक्षण और ऐसी जॉच के बाद जैसाकि वह उचित समझता है, जहाँ पंजीयन अधिकारी संतुष्ट है कि दिया गया विवरण सही व पूर्ण है और वॉछित शुल्क व विलम्ब शुल्क यदि कोई हो, जमा किया जा चुका है, पंजीयन अधिकारी रेलवे कन्टेनर कान्ट्रैक्टर या एयर कार्गो आपरेटर या कोरियर सर्विस प्रोवाईडर या गोदाम, भंडार गृह या शीत गृह के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति को पंजीकृत करेगा।

(5) उपनियम (4) में पंजीकृत ट्रान्सपोर्टर एवं कैरियर से भिन्न, रेलवे कन्टेनर कान्ट्रैक्टर या एयर कार्गो आपरेटर या कोरियर सर्विस प्रोवाईडर या गोदाम, भंडार गृह या शीत गृह के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति को फार्म-सोलह में पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा जिस पर एक पंजीयन संख्या होगी जो कि कमिश्नर द्वारा निश्चित की गयी न्यूमेरिक अथवा अल्फा न्यूमेरिक अंको से बनेगी।

(6) नियम 33, 34, 35, 36 व 37-क की प्राविधान रेलवे कन्ट्रेनर कन्ट्रेक्टर, एयर कार्गो आपरेटर, अथवा कोरियर सर्विस प्रदाता अथवा गोदाम स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, अथवा शीतगृह स्वामी अथवा प्रभारी व्यक्ति अथवा वेयर हाउस का स्वामी अथवा प्रभाारी व्यक्ति, ट्रान्सपोर्टर या कैरियर से भिन्न व्यवहारी को जारी पंजीयन में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू

के प्रत्येक कन्साइन मेंट के सम्बन्ध में एक रजिस्टर। (ब) परिवहन या भण्डारण के लिये प्राप्त माल के प्रत्येक कन्साइनमेंट के सम्बन्ध में जारी माल रसीद या कन्साइनमेन्ट नोट की कार्यालय प्रति। (स) वाहन के चालक या प्रभारी व्यक्ति को देने के लिए उसके द्वारा तैयार किये गये चालान की कार्यालय प्रति (द) उसके द्वारा प्राप्त और डिलवरी किये गये माल के प्रत्येक कन्साइनमेट के संबध में माल प्राप्ति व डिलीवरी रजिस्टर। (9) (अ) जहाँ ट्रांसपोर्टर, कैरियर या फारवर्डिग एजेन्ट, रेलवे कन्टेनर कान्ट्रैक्टर किसी व्यक्ति से किसी स्थान को परिवहन हेतु माल प्राप्त करता है, वह उस व्यक्ति से फार्म-सत्रह मे एक घोषण पत्र प्रस्तुत करायेगा और उसी प्रकार जहाँ ट्रांसपोर्टर, कैरियर या फारवर्डिग एजेन्ट या रेलवे कन्टेनर, कान्ट्रैक्टर डिलीवरी हेतु कोई माल प्राप्त करता है, वह माल की डिलीवरी के समय डिलवरी लेने वाले व्यक्ति से फार्म-अट्ठारह में एक घोषणा पत्र प्राप्त करेगा (ब)जहाँ गोदाम, भंडार गृह या शीत गृह का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति भण्डारण के लिये कोई माल प्राप्त करता है, वह माल स्वामी से भण्डारण के लिये माल प्राप्त करते समय फार्म-उन्नीस में एक घोषणा पत्र प्राप्त करेगा और उसी प्रकार जहाँ गोदाम भण्डार, गृह या शीत गृह का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति माल की डिलीवरी देता है, वह माल की डिलीवरी देते समय माल स्वामी से प्राप्त फार्म-बीस मे एक घोषणाा पत्र प्राप्त करेगा। (10)प्रत्येक ट्रांसपोर्टर, कैरियर और फारवर्डिग एजेन्ट, रेलवे कन्टेनर कान्ट्रैक्टर, गोदाम, भण्डार गृह या शीत गृह का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति उसके द्वारा रखे जा रहे सभी अभिलेखों को उस कर निर्धारण वर्ष जिससे की सम्बन्धित है, की समाप्ति के बाद 08 वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखेगा। (11)इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रार्थना पत्रो के निस्तारण व पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबध में कमिश्नर समय-समय पर निर्देश जारी कर सकता है।	**होंगे जैसा कि व्यवहारियों के मामलें में लागू होते है।** **(7) माल का परिवहन या भंडार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निम्नलिखित अभिलेख रखेगा :-** **(अ) परिवहन या भण्डारण के लिए प्राप्त माल के प्रत्येक कन्साइन मेंट के सम्बन्ध में एक रजिस्टर।** **(ब) परिवहन या भण्डारण के लिये प्राप्त माल के प्रत्येक कन्साइनमेंट के सम्बन्ध में जारी माल रसीद या कन्साइनमेन्ट नोट की कार्यालय प्रति।** **(स) वाहन के चालक या प्रभारी व्यक्ति को देने के लिए उसके द्वारा तैयार किये गये चालान की कार्यालय प्रति** **(द) उसके द्वारा प्राप्त और डिलवरी किये गये माल के प्रत्येक कन्साइनमेट के संबध में माल प्राप्ति व डिलीवरी रजिस्टर।** **(8) (अ) जहाँ रेलवे कन्टेनर कान्ट्रैक्टर या एयर कार्गो आपरेटर या कोरियर सर्विस प्रोवाईडर किसी व्यक्ति से किसी स्थान को परिवहन हेतु माल प्राप्त करता है, वह उस व्यक्ति से फार्म-सत्रह मे एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करायेगा और उसी प्रकार जहाँ रेलवे कन्टेनर कान्ट्रैक्टर या एयर कार्गो आपरेटर या कोरियर सर्विस प्रोवाईडर डिलीवरी हेतु कोई माल प्राप्त करता है, वह माल की डिलीवरी के समय डिलवरी लेने वाले व्यक्ति से फार्म-अट्ठारह में एक घोषणा पत्र प्राप्त करेगा** **(ब) जहाँ गोदाम, भंडार गृह या शीत गृह का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति ट्रान्सपोर्टर अथवा कैरियर से भिन्न व्यक्ति भण्डारण के लिये कोई माल प्राप्त करता है, वह माल स्वामी से भण्डारण के लिये माल प्राप्त करते समय फार्म-उन्नीस में एक घोषणा पत्र प्राप्त करेगा और उसी प्रकार जहाँ गोदाम भण्डार, गृह या शीत गृह का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति ट्रान्सपोर्टर अथवा कैरियर से भिन्न व्यक्ति माल की डिलीवरी देता है, वह माल की डिलीवरी देते समय माल स्वामी से प्राप्त फार्म-बीस मे एक घोषणाा पत्र प्राप्त करेगा।** **(9) प्रत्येक रेलवे कन्टेनर कान्ट्रैक्टर, एयर कार्गो आपरेटर या कोरियर सर्विस प्रोवाईडर, गोदाम, भण्डार गृह या शीत गृह का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति उसके द्वारा रखे जा रहे सभी अभिलेखों को उस कर निर्धारण वर्ष जिससे की सम्बन्धित है, की समाप्ति के बाद 08 वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखेगा।** **(10) इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रार्थना पत्रो के निस्तारण व पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबध में कमिश्नर समय-समय पर निर्देश जारी कर सकता है।**

नियम 42 का संशोधन

17. उक्त नियमावली में, नियम 42 के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढा दिया जाएगा, अर्थात् :—

'स्पष्टीकरण : इस नियम के उद्देश्य से खरीद या बिकी या दोनो जैसा भी हो, सकल आवर्त का तात्पर्य निम्न का संकलन होगा

(क) धारा 5 के अन्तर्गत माल के करयोग्य खरीद का आवर्त
(ख) खण्ड (क) से अच्छादित माल को छोड़कर बिक्री का आवर्त जहॉं पर बिक्री,–
(i) प्रान्त के अन्दर या
(ii) अर्न्तराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान या
(iii) भारत के बाहर माल के निर्यात के दौरान या
(iv) राज्य के बाहर माल की बिक्री '

नियम 44 का संशोधन

18. नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उक्त नियमावली के नियम-44 के उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान उप खण्ड	स्तम्भ-2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उप खण्ड
(2) धारा-22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी किऐ जाने वाले विक्रय बीजक में विक्रेता व्यवहारी का नाम और पूरा पता; शाखा या डिपो, जहॉं से माल बेचा जाता हो, का नाम और पता; विक्रेता व्यवहारी की करदाता पहचान संख्या (TIN); विक्रय बीजक क्रम संख्या; जारी करने का दिनांक; क्रेता का नाम और पता; क्रेता की करदाता पहचान संख्या (TIN), यदि कोई हो ; माल का विवरण ; माल की मात्रा एवं परिमाप; माल का मूल्य; अन्य प्रभारण, यदि कोई हो; छूट की धनराशि, यदि कोई हो; कर की दर; प्रभारित किए गए कर की धनराशि; कर बीजक की कुल धनराशि; अन्य ऐसे विवरण, यदि कोई हो; जिसे व्यवहारी आवश्यक समझे और कर बीजक जारी करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर, अन्तर्विष्ट होंगे : प्रतिबन्ध यह है कि यदि व्यवहारी से भिन्न किसी व्यक्ति को बिक्री की जाती है तो ऐसे क्रेता के नाम, पते और करदाता पहचान संख्या (TIN) का उल्लेख किया जाना आवश्यक नही होगा।	(2) धारा-22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी किऐ जाने वाले विक्रय बीजक में विक्रेता व्यवहारी का नाम और पूरा पता; शाखा या डिपो, जहॉं से माल बेचा जाता हो, का नाम और पता; विक्रेता व्यवहारी की करदाता पहचान संख्या (TIN); विक्रय बीजक क्रम संख्या; जारी करने का दिनांक; क्रेता का नाम और पता; क्रेता की करदाता पहचान संख्या (TIN), यदि कोई हो ; माल का विवरण ; माल की मात्रा एवं परिमाप; माल का मूल्य; अन्य प्रभारण, यदि कोई हो; छूट की धनराशि, यदि कोई हो; कर की दर; प्रभारित किए गए कर की धनराशि; कर बीजक की कुल धनराशि; अन्य ऐसे विवरण, यदि कोई हो; जिसे व्यवहारी आवश्यक समझे और कर बीजक जारी करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर, अन्तर्विष्ट होंगे : प्रतिबन्ध यह है कि **जहॉं पर वैट वस्तुओं की बिक्री पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति को रू0 50 हजार अथवा ऐसी धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाये, एवं क्रेता द्वारा भुगतान क्रास्ड एकाउन्ट पेई चेक से भिन्न रुप में किया जाता है, विक्रेता व्यापारी कमिश्नर द्वारा निर्धारित पहचान प्रमाणपत्र क्रेता से स्वयं प्रमाणित प्राप्त करेगा तथा रखेगा।** **अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि एकल वस्तु के मामले, जिसमें रू0 50 हजार से अधिक का मूल्य है तथा पंजीकृत व्यापारी से भिन्न व्यक्ति को बिक्री हो, उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।**

नियम 45 का संशोधन

19. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 45 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1) निम्नलिखित उपखण्डो में निर्दिष्ट एवं उल्लिखित व्यवहारियो के मामलो में धारा 24 में निर्दिष्ट कर अवधि ऐसी होगी जैसी प्रत्येक ऐसे उपखण्ड में दी जा रही है ; (क) उस व्यवहारी के मामले में, जो किसी कर निर्धारण वर्ष में प्रथम बार कर भुगतान करने का दायी हो जाता है, कर अवधि निम्न प्रकार होगी : (एक) प्रथम कर अवधि ऐसे कर निर्धारण वर्ष में उस	(1) निम्नलिखित उपखण्डो में निर्दिष्ट एवं उल्लिखित व्यवहारियो के मामलो में धारा 24 में निर्दिष्ट कर अवधि ऐसी होगी जैसी प्रत्येक ऐसे उपखण्ड में दी जा रही है ; (क) उस व्यवहारी के मामले में, जो किसी कर निर्धारण वर्ष में प्रथम बार कर भुगतान करने का दायी हो जाता है, कर अवधि निम्न प्रकार होगी : (एक) प्रथम कर अवधि ऐसे कर निर्धारण वर्ष में

दिनांक से प्रारम्भ होगी जिस दिनांक से व्यवहारी कर भुगतान करने का दायी हो जाता है और उस कैलेन्डर माह के अन्तिम दिनांक को समाप्त होगी जिसमे व्यवहारी कर भुगतान करने का दायी हुआ है ;

(दो) प्रथम कर अवधि की समाप्ति के पश्चात, कर निर्धारण वर्ष जिसमे व्यवहारी कर भुगतान करने का दायी हुआ हो, प्रत्येक कैलेन्डर माह कर-अवधि होगा ;

(ख) उस व्यवहारी के मामले में, जिसका किसी कर निर्धारण वर्ष में सकल आवर्त, जैसा नीचे दिये गए स्पष्टीकरण में परिभाषित है एक करोड़ रूपये से अधिक होना सम्भावित नही है, या जिसका ऐसा सकल आवर्त संगत कर निर्धारण वर्ष के पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष या उसके किसी भाग में एक करोड़ रूपये से अधिक नही था, कर निर्धारण वर्ष का प्रत्येक त्रैमास, जो 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त हो, कर अवधि होगा ;

(ग) उस व्यवहारी के मामले मे, जिसका किसी कर निर्धारण वर्ष में सकल आवर्त, जैसा नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित है, एक करोड़ रूपये से अधिक होना संभावित है, या जिसका ऐसा सकल आवर्त संगत कर निर्धारण वर्ष के पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष या उसके किसी भाग में एक करोड़ रूपए से अधिक था, कर निर्धारण वर्ष का प्रत्येक कैलेन्डर मास कर-अवधि होगा ;

(घ) उस व्यवहारी के मामले में, जिसने अपना कारबार बन्द कर दिया है और जिसके मामले में -

(एक) किसी कर निर्धारण वर्ष का माह जिसमें उसने कारबार बन्द किया है उस माह के ठीक पूर्व का माह एक कर अवधि रहा हो, वह अवधि जो कारबार बन्द किए जाने वाले माह के प्रथम दिन से प्रारम्भ होकर उस दिन जिस दिन उसने कारबार बन्द किया हो, अन्तिम कर अवधि होगी ;

(दो) किसी कर निर्धारण वर्ष का त्रैमास जिसमे उसने कारबार बन्द किया है, उस त्रैमास के ठीक पूर्व का त्रैमास एक कर अवधि रहा हो, वह अवधि, जो कारबार बन्द किए जाने वाले त्रैमास के प्रथम दिन से प्रारम्भ होकर उस दिन जिस दिन उसने कारबार बन्द किया हो, अन्तिम कर अवधि होगी ;

स्पष्टीकरण : इस नियम के उद्देश्य हेतु सकल आवर्त का तात्पर्य -

(क) माल के उस क्रय के सकल आवर्त से है जिसका क्रय, धारा 5 के अन्तर्गत कर योग्य है ;

(ख) खण्ड (क) के अधीन आच्छादित माल को छोड़ कर अन्य सभी माल के विक्रय के सकल अवर्त से है, जहां ऐसी बिक्री राज्य के भीतर की गयी हो, या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के

उस दिनांक से प्रारम्भ होगी जिस दिनांक से व्यवहारी कर भुगतान करने का दायी हो जाता है और उस कैलेन्डर माह के अन्तिम दिनांक को समाप्त होगी जिसमे व्यवहारी कर भुगतान करने का दायी हुआ है ;

(दो) प्रथम कर अवधि की समाप्ति के पश्चात, कर निर्धारण वर्ष जिसमे व्यवहारी कर भुगतान करने का दायी हुआ हो, प्रत्येक कैलेन्डर माह कर-अवधि होगा ;

(ख) उस व्यवहारी **खंड-ग में प्राविधानित को छोड़ कर पहले** के मामले में, जिसका किसी कर निर्धारण वर्ष में सकल आवर्त, जैसा नीचे दिये गए स्पष्टीकरण में परिभाषित है एक करोड़ रूपये से अधिक होना सम्भावित नही है, या जिसका ऐसा सकल आवर्त संगत कर निर्धारण वर्ष के पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष या उसके किसी भाग में एक करोड़ रूपये से अधिक नही था, कर निर्धारण वर्ष का प्रत्येक त्रैमास, जो 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त हो, कर अवधि होगा ;

(ग) **ऐसा व्यवहारी जो कमिश्नर द्वारा निर्धारित संवेदनशील वस्तुओं का व्यापार करता हो अथवा धारा 42 में प्राविधानित रिफंड का हकदार हो,** जिसका किसी कर निर्धारण वर्ष में सकल आवर्त, जैसा नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित है, एक करोड़ रूपये से अधिक होना संभावित है, या जिसका ऐसा सकल आवर्त संगत कर निर्धारण वर्ष के पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष या उसके किसी भाग में एक करोड़ रूपए से अधिक था, कर निर्धारण वर्ष का प्रत्येक कैलेन्डर मास कर-अवधि होगा ;

(घ) उस व्यवहारी के मामले में, जिसने अपना कारबार बन्द कर दिया है और जिसके मामले में -

(एक) किसी कर निर्धारण वर्ष का माह जिसमें उसने कारबार बन्द किया है उस माह के ठीक पूर्व का माह एक कर अवधि रहा हो, वह अवधि जो कारबार बन्द किए जाने वाले माह के प्रथम दिन से प्रारम्भ होकर उस दिन जिस दिन उसने कारबार बन्द किया हो, अन्तिम कर अवधि होगी ;

(दो) किसी कर निर्धारण वर्ष का त्रैमास जिसमे उसने कारबार बन्द किया है, उस त्रैमास के ठीक पूर्व का त्रैमास एक कर अवधि रहा हो, वह अवधि, जो कारबार बन्द किए जाने वाले त्रैमास के प्रथम दिन से प्रारम्भ होकर उस दिन जिस दिन उसने कारबार बन्द किया हो, अन्तिम कर अवधि होगी ;

स्पष्टीकरण : इस नियम के उद्देश्य हेतु सकल आवर्त का तात्पर्य -

(क) माल के उस क्रय के सकल आवर्त से है

अनुक्रम मे की गयी हो, या, माल के भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में या आयात के अनुक्रम में की गयी हो ;

(ग) उस माल के सकल मूल्य से है जिसे निशुल्क वितरित किया जाना, उपहार मे दिया जाना, चोरी हो जाना,नष्ट हो जाना या खो जाना सूचित किया गया हो ;

(घ) माल के उस मूल्य से है जिसका राज्य के बाहर विक्रय से भिन्न किसी उद्देश्य से पारेषण किया गया हो ;

(ड) पूँजी माल की सकल क्रय कीमत से है ।

(2) इस नियम के उपनियम 10 मे दिए गए प्राविधानों को छोड़कर, कर भुगतान करने का दायी प्रत्येक व्यवहारी कर अवधि के समाप्त होने वाले दिन के अगले दिन से प्रारम्भ होने वाली 20 दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व फार्म-चौबीस में कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रत्येक कर अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रत्येक वर्ग की वस्तु के लिए अधिसूचित कोड संख्या के अनुसार, जिसका वह व्यापार कर रहा हो, के विस्तृत विवरण के साथ कर विवरणी प्रस्तुत करेगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि व्यवहारी, जिसका उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी कर निर्धारण वर्ष में सकल आवर्त पच्चीस लाख रूपये से अधिक होने परन्तु एक करोड़ रूपए से अधिक नहीं होने की संभावना है, तथा जिसका कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष या करनिर्धारण वर्ष के किसी भाग, यथास्थिति, में सकल आवर्त एक करोड़ रूपए से अधिक नही था, वह उपनियम (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक त्रैमास के कैलैन्डर माह के प्रथम दिवस से 20 दिन की अवधि की समप्ति के पूर्व उसके द्वारा संदेय शुद्ध कर की धनराशि जमा करेगा और ऐसे जमा का ट्रेजरी चालान कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और त्रैमास की समप्ति के 20 दिन के भीतर कर निर्धारक प्राधिकारी को संदेय कर की शुद्ध धनराशि के जमा किए जाने के साक्ष्य के साथ कर विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(3) प्रत्येक व्यवहारी जिसके द्वारा उपनियम (2) के अन्तर्गत कर विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, वह प्रत्येक कर अवधि की कर विवरणी के साथ निम्नलिखित सूचियाँ प्रस्तुत करेगा :

(क) कर अवधि के दौरान उसके द्वारा की गयी खरीदें हेतु उसे प्राप्त कर बीजको से संम्बन्धित निम्न विशिष्टियों की सूची :

(एक) व्यवहारी का नाम और पता,

(दो) करदाता पहचान संख्या (TIN),

(तीन) कर निर्धारण वर्ष,

जिसका क्रय, धारा 5 के अन्तर्गत कर योग्य है ;

(ख) खण्ड (क) के अधीन आच्छादित माल को छोड़ कर अन्य सभी माल के विक्रय के सकल अवर्त से है, जहां ऐसी बिक्री राज्य के भीतर की गयी हो, या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम मे की गयी हो, या, माल के भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में या आयात के अनुक्रम में की गयी हो ;

(ग) उस माल के सकल मूल्य से है जिसे निशुल्क वितरित किया जाना, उपहार मे दिया जाना, चोरी हो जाना,नष्ट हो जाना या खो जाना सूचित किया गया हो ;

(घ) माल के उस मूल्य से है जिसका राज्य के बाहर विक्रय से भिन्न किसी उद्देश्य से पारेषण किया गया हो ;

(ड) पूँजी माल की सकल क्रय कीमत से है ।

(2) इस नियम के उपनियम 10 मे दिए गए प्राविधानों को छोड़कर, कर भुगतान करने का दायी प्रत्येक व्यवहारी कर अवधि के समाप्त होने वाले दिन के अगले दिन से प्रारम्भ होने वाली 20 दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व फार्म-चौबीस में कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रत्येक कर अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रत्येक वर्ग की वस्तु के लिए अधिसूचित कोड संख्या के अनुसार, जिसका वह व्यापार कर रहा हो, के विस्तृत विवरण के साथ कर विवरणी प्रस्तुत करेगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि व्यवहारी, जिसका उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी कर निर्धारण वर्ष में सकल आवर्त पच्चीस लाख रूपये से अधिक होने की सम्भावना है या जिसका कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष या करनिर्धारण वर्ष के किसी भाग, यथास्थिति, में सकल आवर्त पच्चीस लाख रूपए से अधिक नही था, वह उपनियम (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक त्रैमास के कैलैन्डर माह के प्रथम दिवस से 20 दिन की अवधि की समप्ति के पूर्व उसके द्वारा संदेय शुद्ध कर की धनराशि जमा करेगा और ऐसे जमा का ट्रेजरी चालान कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और त्रैमास की समप्ति के 20 दिन के भीतर कर निर्धारक प्राधिकारी को संदेय कर की शुद्ध धनराशि के जमा किए जाने के साक्ष्य के साथ कर विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(3) प्रत्येक व्यवहारी जिसके द्वारा उपनियम (2) के अन्तर्गत कर विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, वह प्रत्येक कर अवधि की कर विवरणी के साथ निम्नलिखित सूचियाँ प्रस्तुत करेगा :

(क) कर अवधि के दौरान उसके द्वारा की गयी खरीदें हेतु उसे प्राप्त कर बीजको से संम्बन्धित निम्न विशिष्टियों की सूची :

(एक) व्यवहारी का नाम और पता,

(दो) करदाता पहचान संख्या (TIN),

(चार) कर अवधि,
(पाँच) पंजीकृत व्यवहारी का नाम और पता जिससे माल क्रय किया गया,
(छः) माल के विक्रेता व्यवहारी की करदाता पहचान संख्या (TIN),
(सात) कर बीजक संख्या,
(आठ) कर बीजक का दिनांक,
(नौ) माल का विवरण,
(दस) कर बीजक की कुल धनराशि,
(ग्यारह) कर योग्य माल का मूल्य,
(बारह) प्रभारित किए गए कर की धनराशि।

(ख) कर अवधि के दौरान उसके द्वारा की गयी बिक्रियों हेतु उसके द्वारा जारी किए गए कर बीजकों से संबधित निम्न विशिष्टियों की सूची:
(एक) व्यवहारी का नाम और पता,
(दो) करदाता पहचान संख्या (TIN),
(तीन) कर निर्धारण वर्ष,
(चार) कर अवधि,
(पाँच) कर बीजक संख्या,
(छः) कर बीजक का दिनांक,
(सात) व्यक्ति या व्यवहारी, जिसे कर बीजक जारी किया गया का पूरा नाम व पूर्ण पता,
(आठ) क्रेता की करदाता पहचान संख्या (टिन) यदि कोई हो,
(नौ) माल का विवरण,
(दस) कर बीजक की कुल धनराशि,
(ग्यारह) माल का कर योग्य मूल्य,
(बारह) प्रभारित किए गए कर की धनराशि।

(4) उपनियम (2) के अन्तर्गत किसी कर अवधि के लिए कर विवरणी प्रस्तुत करने के पूर्व व्यवहारी इन नियमो में निर्धारित रीति से उसके द्वारा संदेय कर, जो उसने अधिनियम के अन्तर्गत कर विवरणी में घोषित किया है, की शुद्ध धनराशि जमा करेगा और कर विवरणी के साथ फार्म-एक में चालान की प्रति भी कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई सरकारी विभाग पुस्तक अन्तरण (बुक ट्रॉसफर) द्वारा कर जमा करना चाहता है, तो ऐसा विभाग कर विवरणी प्रस्तुत करने के पूर्व संदेय कर की शुद्ध धनराशि हेतु तीन प्रतियों में एक बिल तैयार करेगा तथा इस विषय पर वित्तीय नियमावली के अनुसार उसे कर निर्धारक प्राधिकारी को पृष्ठांकित करेगा जिसकी दो प्रतिया ऐसी कर विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगा। उनमें से एक प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा रख ली जायेगी तथा दूसरी प्रति धनराशि को वाणिज्य कर विभाग के खाते में जमा करने हेतु उत्तर प्रदेश के महालेखाकार को भेज दी जाएगी।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली कर अवधि में 20 मार्च तक का शुद्ध

(तीन) कर निर्धारण वर्ष,
(चार) कर अवधि,
(पाँच) पंजीकृत व्यवहारी का नाम और पता जिससे माल क्रय किया गया,
(छः) माल के विक्रेता व्यवहारी की करदाता पहचान संख्या (TIN),
(सात) कर बीजक संख्या,
(आठ) कर बीजक का दिनांक,
(नौ) माल का विवरण,
(दस) कर बीजक की कुल धनराशि,
(ग्यारह) कर योग्य माल का मूल्य,
(बारह) प्रभारित किए गए कर की धनराशि।

(ख) कर अवधि के दौरान उसके द्वारा की गयी बिक्रियों हेतु उसके द्वारा जारी किए गए कर बीजकों से संबधित निम्न विशिष्टियों की सूची:
(एक) व्यवहारी का नाम और पता,
(दो) करदाता पहचान संख्या (TIN),
(तीन) कर निर्धारण वर्ष,
(चार) कर अवधि,
(पाँच) कर बीजक संख्या,
(छः) कर बीजक का दिनांक,
(सात) व्यक्ति या व्यवहारी, जिसे कर बीजक जारी किया गया का पूरा नाम व पूर्ण पता,
(आठ) क्रेता की करदाता पहचान संख्या (टिन) यदि कोई हो,
(नौ) माल का विवरण,
(दस) कर बीजक की कुल धनराशि,
(ग्यारह) माल का कर योग्य मूल्य,
(बारह) प्रभारित किए गए कर की धनराशि।

(4) उपनियम (2) के अन्तर्गत किसी कर अवधि के लिए कर विवरणी प्रस्तुत करने के पूर्व व्यवहारी इन नियमो में निर्धारित रीति से उसके द्वारा संदेय कर, जो उसने अधिनियम के अन्तर्गत कर विवरणी में घोषित किया है, की शुद्ध धनराशि जमा करेगा और कर विवरणी के साथ फार्म-एक में चालान की प्रति भी कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई सरकारी विभाग पुस्तक अन्तरण (बुक ट्रॉसफर) द्वारा कर जमा करना चाहता है, तो ऐसा विभाग कर विवरणी प्रस्तुत करने के पूर्व संदेय कर की शुद्ध धनराशि हेतु तीन प्रतियों में एक बिल तैयार करेगा तथा इस विषय पर वित्तीय नियमावली के अनुसार उसे कर निर्धारक प्राधिकारी को पृष्ठांकित करेगा जिसकी दो प्रतिया ऐसी कर विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगा। उनमें से एक प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा रख ली जायेगी तथा दूसरी प्रति धनराशि को वाणिज्य कर विभाग के खाते में जमा करने हेतु उत्तर प्रदेश के महालेखाकार को भेज दी जाएगी।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी कर निर्धारण वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली कर अवधि में 20

संदेय कर जमा किया जाएगा और ऐसे जमा का चालान उसी वर्ष के 25 मार्च तक करनिर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) धारा 34 की उपधारा (7) या उपधारा (1) के अधीन की गयी कटौती की धनराशि उस माह, जिस माह में कटौती की गयी है, के अन्तिम दिन के पश्चात वाले दिन से प्रारम्भ होने वाली 20 दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व ऐसी कटौती करने वाले व्यक्ति के द्वारा सरकारी खजाने (कोष) में जमा की जाएगी।

(6) धारा 34 के किसी उपबंधो के अधीन कटौती करने का उत्तरदायी व्यक्ति प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के 30 जून; 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर एवं 31 मार्च को समाप्त होने वाले प्रत्येक त्रैमास को फार्म-पच्चीस में अन्तर्विष्ट निम्नलिखित विशिष्टियों का विवरण प्रस्तुत करेगा :

(क) व्यक्ति का नाम और पता,
(ख) कर कटौती संख्या (TDN) या करदाता पहचान संख्या (TIN),
(ग) कर निर्धारण वर्ष,
(घ) कर अवधि जिसमें कर की कटौती की गयी है,
(ड.) व्यक्ति, जिससें कर की कटौती की गयी है, का नाम और पता,
(च) व्यवहारी, जिससे कर की कटौती की गयी है, की करदाता पहचान संख्या (TIN),
(छ) संविदा संख्या और दिनांक (सकर्म संविदा के मामलो में),
(ज) विक्रेता द्वारा प्रस्तुत बिल का क्रमांक, यदि कोई हो,
(झ) विक्रय बीजक या बिल के दिनांक,
(ञ) माल का विवरण,
(ट) विक्रय बीजक या बिल की धनराशि,
(ठ) कटौती किए गए कर की धनराशि,
(ड) कर कटौती प्रमाण पत्र, यदि जारी किया गया हो, की क्रम संख्या,
(ढ) जमा किए गए कर की धनराशि का विवरण,
(ण) ट्रैजरी चालान स0 ---------------- दिनांक .... ,
(त) बैंक, ट्रेजरी या सब-ट्रेजरी का नाम ....,
(थ) जमा की गयी धनराशि रूपयो में।

(7) कर के भुगतान का दायी प्रत्येक व्यवहारी उपनियम (2) के अधीन दाखिल की गयी कर की विवरणी के अतिरिक्त, 31 अक्टूबर या उसके पूर्व अपने पूर्ववर्ती वर्ष के आवर्त एवं कर की वार्षिक विवरणी निम्न प्रकार प्रस्तुत करेगा –

(क) प्रान्तीय खरीद बिक्री के मामले में प्रपत्र XXVI A में
(ख) वर्क्स कान्ट्रैक्ट के मामले में प्रपत्र XXVI B में
(ग) उपर्युक्त क एवं ख के अतिरिक्त अन्य मामलों में प्रपत्र XXVI में

कर निर्धारण वर्ष की कार्यवाही के लिए सभी घोषित प्रपत्र एवं प्रमाणपत्र की मूलप्रति सहित जिसके

मार्च तक का शुद्ध संदेय कर जमा किया जाएगा और ऐसे जमा का चालान उसी वर्ष के 25 मार्च तक करनिर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) धारा 34 की उपधारा (7) या उपधारा (1) के अधीन की गयी कटौती की धनराशि उस माह, जिस माह में कटौती की गयी है, के अन्तिम दिन के पश्चात वाले दिन से प्रारम्भ होने वाली 20 दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व ऐसी कटौती करने वाले व्यक्ति के द्वारा सरकारी खजाने (कोष) में जमा की जाएगी।

(6) धारा 34 के किसी उपबंधो के अधीन कटौती करने का उत्तरदायी व्यक्ति प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के 30 जून; 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर एवं 31 मार्च को समाप्त होने वाले प्रत्येक त्रैमास को फार्म-पच्चीस में अन्तर्विष्ट निम्नलिखित विशिष्टियों का विवरण प्रस्तुत करेगा :

(क) व्यक्ति का नाम और पता,
(ख) कर कटौती संख्या (TDN) या करदाता पहचान संख्या (TIN),
(ग) कर निर्धारण वर्ष,
(घ) कर अवधि जिसमें कर की कटौती की गयी है,
(ड.) व्यक्ति, जिससें कर की कटौती की गयी है, का नाम और पता,
(च) व्यवहारी, जिससे कर की कटौती की गयी है, की करदाता पहचान संख्या (TIN),
(छ) संविदा संख्या और दिनांक (सकर्म संविदा के मामलो में),
(ज) विक्रेता द्वारा प्रस्तुत बिल का क्रमांक, यदि कोई हो,
(झ) विक्रय बीजक या बिल के दिनांक,
(ञ) माल का विवरण,
(ट) विक्रय बीजक या बिल की धनराशि,
(ठ) कटौती किए गए कर की धनराशि,
(ड) कर कटौती प्रमाण पत्र, यदि जारी किया गया हो, की क्रम संख्या,
(ढ) जमा किए गए कर की धनराशि का विवरण,
(ण) ट्रैजरी चालान स0 ---------------- दिनांक .... ,
(त) बैंक, ट्रेजरी या सब-ट्रेजरी का नाम ....,
(थ) जमा की गयी धनराशि रूपयो में।

(7) कर के भुगतान का दायी प्रत्येक व्यवहारी उपनियम (2) **अथवा उपनियम (10) के अधीन दाखिल की गयी कर की विवरणी के अतिरिक्त** 31 अक्टूबर या उसके पूर्व अपने पूर्ववर्ती वर्ष के आवर्त एवं कर की वार्षिक विवरणी निम्न प्रकार प्रस्तुत करेगा –

(क) प्रान्तीय खरीद बिकी के मामले में प्रपत्र XXVI A में
(ख) वर्क्स कान्ट्रैक्ट के मामले में प्रपत्र XXVI B में
(ग) उपर्युक्त क एवं ख के अतिरिक्त अन्य मामलों में प्रपत्र XXVI में

कर निर्धारण वर्ष की कार्यवाही के लिए सभी

आधार पर छूट अथवा रियायत का दावा किया जा रहा है अथवा जिससे संव्यवहार का स्वभाव की जांच होनी, साथ में प्रपत्र के अनुलग्नक को दाखिल किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण वर्ष 2007–08 के लिए वार्षिक रिटर्न 31 मार्च 2009 तक प्रस्तुत किया जा सकता है

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि कर निर्धारण अधिकारी उचित कारणों को अभिलिखित करते हुए ऐसे विवरण को दाखिल करने हेतु 90 दिन से अनधिक समायावधि इस उपनियम के अन्तर्गत निर्धारित अवधि से बढ़ा सकते है।

(8) व्यवहारी जिसका एक से अधिक कारबार स्थल है, कारबार के मुख्य स्थान हेतु प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी में उत्तर प्रदेश में स्थित अपने कारबार की सभी शाखाओ के आवर्त को सम्मिलित करेगा और इसकी सूचना प्रत्येक सम्बन्धित सहायक कमिश्नर को देगा।

(9) धारा-34 के अन्तर्गत श्रोत पर कर की धनराशि की कटौती करने वाला प्रत्येक व्यक्ति करनिर्धारण वर्ष की समाप्ति पर अपने कारबार के मुख्य स्थान पर अधिकारिता रखने वाले सहायक कमिश्नर को पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष हेतु फार्म सत्ताईस में एक विवरण पत्र 30 जून या उसके पूर्व प्रस्तुत करेगा

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारक प्राधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति के अनुरोध पर पाए गए उचित कारणो को अभिलिखित करते हुए ऐसे विवरण को दाखिल करने हेतु 60 दिन से अनधिक समयावधि बढ़ा सकता है।

(10) (क) प्रत्येक व्यवहारी जिस पर धारा 6 की उपधारा (1) का प्रथम उपबंध लागू होता हो, वह प्रत्येक कर अवधि के समाप्त होने वाले दिन के अनुवर्ती दिन से प्रारम्भ होने वाली 20 दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर एवं 31 मार्च को समाप्त होने वाली प्रत्येक कर अवधि की कर विवरणी अनुलग्नकों सहित फार्म-चौबीस(अ) में करनिर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(ख) जहाँ कम्पनी या निगम एक व्यवहारी है और क्रूड आयल, पैट्रोल, डीजल, नेप्था आदि सहित विनिर्मित या आयातित पैट्रोलियम उत्पाद मे व्यवहार करता है, वह कर अवधि के समाप्त होने वाले दिन के अनुवर्ती दिन से प्रारम्भ होने वाली 20 दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर वस्तु के प्रत्येक वर्ग के अधिसूचित कोड संख्या के अनुसार, जिनमें उसके द्वारा व्यापार किया जा रहा है, विस्तृत सूचनाओ सहित, प्रत्येक कर अवधि की कर विवरणी फार्म-चौबीस(ब) में अनुलग्नकों सहित कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। व्यवहारी उपनियम-(3) के अधीन यथा उपबन्धित खरीद एवं बिक्री की सूची भी प्रस्तुत करेगा।

(11) प्रत्येक व्यवहारी, जिससे उपनियम (10) के खण्ड (क) अधीन कर विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, कर अवधि में की गयी खरीदो के सम्बन्ध में प्राप्त किए गए कर/विक्रय बीजकों के संम्बन्ध में निम्नलिखित विशिष्टियों की एक सूची प्रत्येक कर अवधि की कर विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगा :

(एक) व्यवहारी का नाम और पता ;

घोषित प्रपत्र एवं प्रमाणपत्र की मूलप्रति सहित जिसके आधार पर छूट अथवा रियायत का दावा किया जा रहा है अथवा जिससे संव्यवहार का स्वभाव की जांच होनी, साथ में प्रपत्र के अनुलग्नक को दाखिल किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण वर्ष 2007–08 के लिए वार्षिक रिटर्न 31 मार्च 2009 तक प्रस्तुत किया जा सकता है

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि कर निर्धारण अधिकारी उचित कारणों को अभिलिखित करते हुए ऐसे विवरण को दाखिल करने हेतु 90 दिन से अनधिक समायावधि इस उपनियम के अन्तर्गत निर्धारित अवधि से बढ़ा सकते है।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि कमिश्नर या राज्य सरकार उचित कारणों को अभिलिखित करते हुए सामान्य आदेश द्वारा वार्षिक विवरणी जमा करने की अवधि इस उपनियम में निर्धारित अवधि से बढ़ा सकते हैं।

(8) व्यवहारी जिसका एक से अधिक कारबार स्थल है, कारबार के मुख्य स्थान हेतु प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी में उत्तर प्रदेश में स्थित अपने कारबार की सभी शाखाओ के आवर्त को सम्मिलित करेगा और इसकी सूचना प्रत्येक सम्बन्धित **कर निर्धारक प्राधिकारी** को देगा।

(9) धारा-34 के अन्तर्गत श्रोत पर कर की धनराशि की कटौती करने वाला प्रत्येक व्यक्ति करनिर्धारण वर्ष की समाप्ति पर अपने कारबार के मुख्य स्थान पर अधिकारिता रखने वाले **कर निर्धारक प्राधिकारी** को पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष हेतु फार्म सत्ताईस में एक विवरण पत्र **31 अक्टूबर** या उसके पूर्व प्रस्तुत करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारक प्राधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति के अनुरोध पर पाए गए उचित कारणो को अभिलिखित करते हुए ऐसे विवरण को दाखिल करने हेतु **90 दिन** से अनधिक समयावधि बढ़ा सकता है।

(10) **(क) प्रत्येक व्यवहारी जिस पर धारा 6 की उपधारा (1) का प्रथम उपबंध लागू होता हो, वह प्रत्येक त्रैमासिक कर अवधि के समाप्त होने वाले दिन के अनुवर्ती दिन से प्रारम्भ होने वाली 20 दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व कर की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा और ऐसे जमा का ट्रेजरी चालान कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उपनियम (7) के अन्तर्गत निर्दिष्ट केवल वार्षिक विवरणी ही प्रस्तुत करेगा।**

(ख) जहाँ कम्पनी या निगम एक व्यवहारी है और क्रूड आयल, पैट्रोल, डीजल, नेप्था आदि सहित विनिर्मित या आयातित पैट्रोलियम उत्पाद मे व्यवहार करता है, वह कर अवधि के समाप्त होने वाले दिन के अनुवर्ती दिन से प्रारम्भ होने वाली 20 दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर वस्तु के प्रत्येक वर्ग के अधिसूचित कोड संख्या के अनुसार, जिनमें उसके द्वारा व्यापार किया जा रहा है, विस्तृत सूचनाओ सहित, प्रत्येक कर अवधि की कर विवरणी फार्म-चौबीस(ब) में अनुलग्नकों सहित कर निर्धारक

(दो) करदाता पहचान संख्या (टिन) ;

(तीन) कर निर्धारण वर्ष ;

(चार) कर अवधि ;

(पाँच) पंजीकृत व्यवहारी, जिससे माल क्रय किया गया, का नाम और पता ;

(छः) माल विक्रय करने वाले व्यवहारी की करदाता पहचान संख्या (टिन) ;

(सात) कर बीजक संख्या / विक्रय बीजक संख्या ;

(आठ) कर बीजक या विक्रय बीजक का दिनांक ;

(नौ) माल का विवरण ;

(दस) कर बीजक / विक्रय बीजक की सकल धनराशि ;

(ग्यारह) कर योग्य माल का मूल्य ;

(बारह) प्रभारित किए गए कर की धनराशि ।

(12) उपनियम (10) के अन्तर्गत किसी कर अवधि के लिए कर विवरणी प्रस्तुत करने के पूर्व व्यवहारी इन नियमो मे निर्धारित रीति से, उसके द्वारा संदेय कर की धनराशि, जो उसने अधिनियम के अन्तर्गत कर विवरणी में घोषित किया है, जमा करेगा और कर विवरणी के साथ फार्म-एक मे चालान की प्रति भी कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि 31 मार्च को समाप्त होने वाली कर अवधि मे 20 मार्च तक का शुद्ध संदेय कर जमा किया जाएगा और ऐसे जमा का ट्रेजरी चालान उसी वित्तीय वर्ष की 25 मार्च तक करनिर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(12—ए) (क) इस नियम के अन्तर्गत प्रति सहित विभिन्न प्रकार के कर विवरणी रिटर्न, विभागीय वेबसाईट पर आन लाईन अथवा हार्ड कापी में दाखिल किये जा सकते हैं ।

प्रतिबन्ध है कि ऐसे व्यवहारी जिनका किसी कर निर्धारण वर्ष में सकल आवर्त (जैसा कि उपनियम एक में परिभाषित है) एक करोड़ से अधिक होना सम्भावित है अथवा वर्तमान कर निर्धारण वर्ष के पूर्व कर निर्धारण वर्ष में एक करोड़ रु० से अधिक रहा हो विभागीय वेबसाईट पर रिटर्न आन लाईन जमा करेगा परन्तु अन्यथा परिस्थिति में कारणों को अभिलिखित करते हुए कमिश्नर रिटर्न को हार्ड कापी अथवा साफ्ट कापी में सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश से अनुमति प्रदान कर सकता है।

(ख) विभागीय वेब साईट पर आन लाईन दाखिल किये गये रिटर्न व्यवहारी अथवा व्यक्ति द्वारा जैसा कि नियम 32 के उपनियम (6) में उल्लिखित है किये गये डिजीटल हस्ताक्षर अभिप्रमाणित होना चाहिए जैसा कि सूचना प्रोद्योगिकी एक्ट 2000 के धारा 35 के उपबंधों में परिभाषित किया गया है। इसके विपरीत तथ्य होने पर यह माना जायेगा कि रिटर्न साफ्ट कापी में जमा है एवं व्यवहारी को निर्धारित अन्तिम तिथि के सात दिन के अन्दर रिटर्न की हार्ड कापी दाखिल करनी होगी।

(ग) जिन मामलों में रिटर्न आन लाईन जमा किया गया हो, ऐसे मामलों में उपनियम (4) एवं उपनियम (12) के प्राविधानों के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान की प्रति रिटर्न दाखिल करने के सात प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा । व्यवहारी उपनियम-(3) के अधीन यथा उपबन्धित खरीद एवं बिक्री की सूची भी प्रस्तुत करेगा ।

(ग) प्रत्येक व्यवहारी जो कार्य संविदा का निष्पादन करता है , वह प्रत्येक कर अवधि का रिटर्न, कर अवधि के समाप्त होने वाले दिन के अनुवर्ती दिन से प्रारम्भ होने वाले 20 दिन की अवधि के समाप्ति के पूर्व विवरण फार्म चौबीस-स में विस्तृत विवरण एवं अनुलग्नकों के साथ कर निर्धारक अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ व्यवहारी द्वारा कार्य संविदा के अतिरिक्त किसी वस्तु की खरीद बिक्री, निर्माण का कार्य किया जाता है, उक्त कार्य का लेखा जोखा अलग रखेगा तथा सम्बन्धित कर अवधि की कर विवरणी फार्म चौबीस अथवा फार्म चौबीस-अ, जैसा हो, फार्म चौबीस-स के साथ प्रस्तुत करेगा।

(10-क) (एक) प्रत्येक आकस्मिक व्यवहारी व्यापार की समाप्ति के अगले दिवस को कार्य विवरण फार्म चौबीस घ में कर निर्धारक अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(दो) यदि आकस्मिक व्यवहारी निर्धारित अवधि में कर विवरणी दाखिल करने में असफल रहता है अथवा कर निर्धारक प्राधिकारी को यह धारणा बनती है कि आकस्मिक व्यवहारी कर का दायी है तथा कर विवरणी नहीं जमा किया है, ऐसी दशा में कर निर्धारक प्राधिकारी कर विवरणी जमा करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी करेगा तत्पश्चात् कर विवरणी जमा न होने पर कर निर्धारक प्राधिकारी अधिनियम के प्राविधानों के अनुरुप कर निर्धारण की कार्यवाही करेगा।

(11) प्रत्येक व्यवहारी, जिससे उपनियम (10) के खण्ड (क) **एवं खंड (ग)** अधीन कर विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, कर अवधि में की गयी खरीदो के सम्बन्ध में प्राप्त किए गए कर/विक्रय बीजकों के संम्बन्ध में निम्नलिखित विशिष्टियों की एक सूची प्रत्येक कर अवधि की कर विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगा :

(एक) व्यवहारी का नाम और पता ;

(दो) करदाता पहचान संख्या (टिन) ;

(तीन) कर निर्धारण वर्ष ;

(चार) कर अवधि ;

(पाँच) पंजीकृत व्यवहारी, जिससे माल क्रय किया गया, का नाम और पता ;

(छः) माल विक्रय करने वाले व्यवहारी की करदाता पहचान संख्या (टिन) ;

(सात) कर बीजक संख्या / विक्रय बीजक संख्या ;

(आठ) कर बीजक या विक्रय बीजक का दिनांक ;

(नौ) माल का विवरण ;

(दस) कर बीजक / विक्रय बीजक की सकल धनराशि ;

(ग्यारह) कर योग्य माल का मूल्य ;

दिन के अन्दर दाखिल की जायेगी।

(13) कमिश्नर को कर विवरणी या वार्षिक विवरणी के फार्म को उपान्तरित या संशोधित करने की शक्ति होगी और वह कर अवधि की कर विवरणी प्रस्तुत करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

(बारह) प्रभारित किए गए कर की धनराशि।

(12) उपनियम (10) के अन्तर्गत किसी कर अवधि के लिए कर विवरणी प्रस्तुत करने के पूर्व व्यवहारी इन नियमो मे निर्धारित रीति से, उसके द्वारा संदेय कर की धनराशि, जो उसने अधिनियम के अन्तर्गत कर विवरणी में घोषित किया है, जमा करेगा और कर विवरणी के साथ फार्म-एक मे चालान की प्रति भी कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि 31 मार्च को समाप्त होने वाली कर अवधि मे 20 मार्च तक का शुद्ध संदेय कर जमा किया जाएगा और ऐसे जमा का ट्रेजरी चालान उसी वित्तीय वर्ष की 25 मार्च तक करनिर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस उपनियम के उद्देश्य से,

(एक) शुद्ध देय कर में समाधान राशि की धनराशि भी शामिल है।

(दो) ऐक्ट की धारा 34 में स्त्रेत पर की गयी कटौती से सम्बन्धित फार्म 31 में प्रमाणपत्र ट्रेजरी चालान का भाग होगा।

(12–क) (क) इस नियम के अन्तर्गत प्रति सहित विभिन्न प्रकार के कर विवरणी रिटर्न, विभागीय वेबसाईट पर आन लाईन अथवा हार्ड कापी में दाखिल किये जा सकते हैं।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यवहारी जिनका किसी कर निर्धारण वर्ष में सकल आवर्त (जैसा कि उपनियम एक में परिभाषित है) एक करोड़ **अथवा ऐसी राशि जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाये,** से अधिक होना सम्भावित है अथवा वर्तमान कर निर्धारण वर्ष के पूर्व कर निर्धारण वर्ष में एक करोड़ रु0 से अधिक रहा हो विभागीय वेबसाईट पर रिटर्न आन लाईन जमा करेगा परन्तु अन्यथा परिस्थिति में कारणों को अभिलिखित करते हुए कमिश्नर रिटर्न को हार्ड कापी अथवा साफ्ट कापी में सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश से अनुमति प्रदान कर सकता है।

(ख) विभागीय वेब साईट पर आन लाईन दाखिल किये गये रिटर्न व्यवहारी अथवा व्यक्ति द्वारा जैसा कि नियम 32 के उपनियम (6) में उल्लिखित है किये गये डिजीटल हस्ताक्षर अभिप्रमाणित होना चाहिए जैसा कि सूचना प्रोद्योगिकी एक्ट 2000 के धारा 35 के उपबंधों में परिभाषित किया गया है। इसके विपरीत तथ्य होने पर यह माना जायेगा कि रिटर्न साफ्ट कापी में जमा है एवं व्यवहारी को निर्धारित अन्तिम तिथि के सात दिन के अन्दर रिटर्न की हार्ड कापी दाखिल करनी होगी।

(ग) जिन मामलों में रिटर्न आन लाईन जमा किया गया हो, ऐसे मामलों में उपनियम (4) एवं उपनियम (12) के प्राविधानों के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान की प्रति रिटर्न दाखिल करने के सात दिन के अन्दर दाखिल की जायेगी।

(13) कर बीजक जमा करने के सम्बन्ध में कमिश्नर को निर्देश जारी करने का अधिकार होगा।

नियम 46 का संशोधन

20. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 45 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1) व्यवहारी द्वारा जमा किए गए कर के आधिक्य में कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा धारा-25 या धारा-26 या धारा-28 के अन्तर्गत निर्धारित की गयी कर की धनराशि व्यवहारी पर डिमांड नोटिस की तामीली के उपरान्त नियम 12 में निर्धारित रीति के अनुसार जमा की जाएगी। (2) धारा-25 की उपधारा (3) में, धारा 26 की उपधारा (5) में, धारा-28 की उपधारा 6 में तथा उपनियम (1) में निर्दिष्ट मांग की नोटिस फार्म अट्ठाईस में तैयार की जाएगी।	**(1) कर निर्धारण आदेश पारित करने के पश्चात् कर निर्धारण प्राधिकारी व्यवहारी को कर निर्धारण एवं मांगपत्र की सूचना कर निर्धारण आदेश की निःशुल्क सत्यप्रति के साथ तामील करायेगा।** **(2) व्यवहारी द्वारा जमा किये गये कर के आधिक्य में कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा धारा 25 या धारा 26 या धारा 28 के अन्तर्गत निर्धारित की गयी कर की धनराशि व्यवहारी पर कर निर्धारण आदेश की प्रति एवं डिमांड नोटिस की तामीली के उपरान्त नियम 12 में निर्धारित रीति के अनुसार जमा की जायेगी।** **(3) धारा-25 की उपधारा (3) में, धारा 26 की उपधारा (5) में, धारा-28 की उपधारा 6 में तथा उपनियम (1) में निर्दिष्ट मांग की नोटिस फार्म अट्ठाईस में तैयार की जाएगी।**

नियम 49 का संशोधन

21. नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उक्त नियमावली के नियम-34 के उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान उप खण्ड	स्तम्भ-2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उप खण्ड
(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रमाण पत्र एक कैलेन्डर माह के दौरान की गयी कटौतियों के सम्बन्ध में होगा।	**(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रमाण पत्र एक कैलेन्डर माह के दौरान की गयी कटौतियों के सम्बन्ध में होगा तथा जिस माह में कटौती की गयी है उसके अगले माल के 20 दिन के पूर्व संविदी द्वारा संविदाकार को या संविदाकार द्वारा उपसंविदाकार को या पट्टेदारी द्वारा पट्टा कर्ता को या क्रेता द्वारा विक्रेता को जैसा भी हो, जारी किया जायेगा।**

नियम 54 का संशोधन

22. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 54 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
54 (1)राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा धारा 49 के अधीन राज्य के भीतर ऐसे स्थानों पर जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जायें, जाँच चौकियाँ और नाकों (Barriers) के स्थापित करने का निर्देश दे सकती है। (2)जब किसी सार्वजनिक मार्ग अथवा सड़क पर जाँच चौकी बनायी जाये तो सड़क अथवा सार्वजनिक मार्ग के आर-पार यांत्रिक विधि से नाके बनाये जा सकेंगे, जिससे गाड़ियाँ तथा यानों का मार्ग अवरुद्ध किया जा सके; उन्हें रोका जा सके अथवा उनकी तलाशी ली जा सके। (3)(क) गाड़ी या यान का स्वामी, ड्राइवर अथवा अन्य कोई प्रभारी व्यक्ति गाड़ी या यान में ले जाये जाने वाले उस माल के सम्बन्ध में जो धारा-50 की उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित या उसमें निर्दिष्ट हो और जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट परिमाण, माप या मूल्य से अधिक हो, निम्नलिखित लेख-	**54(1) (क) गाड़ी या यान का स्वामी, ड्राइवर अथवा अन्य कोई प्रभारी व्यक्ति गाड़ी या यान में ले जाये जाने वाले उस माल के सम्बन्ध में जो धारा-50 की उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित या उसमें निर्दिष्ट हो और जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट परिमाण, माप या मूल्य से अधिक हो, निम्नलिखित लेख-पत्र अपने साथ रखेगा-** **(एक) आयात के लिये घोषणा-पत्र का फार्म-अड़तीस या फार्म- उनतालिस में प्रमाण-पत्र, जिन्हें इस अध्याय के नियमों में, घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र, जैसी भी दशा हो, दो प्रतियों में; पूर्ण रुप में भरा हुआ, एवं माल के क्रेता और विक्रेता या जब माल का हस्तान्तरण बिक्री के अलावा**

पत्र अपने साथ रखेगा-

(एक) आयात के लिये घोषणा-पत्र का फार्म-अड़तीस या फार्म- उनतालिस में प्रमाण-पत्र, जिन्हें इस अध्याय के नियमों में,घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र, जैसी भी दशा हो, दों प्रतियों में; पूर्ण रुप में भरा हुआ, एवं माल के क्रेता और विक्रेता या जब माल का हस्तान्तरण बिक्री के अलावा किया गया हो, तो प्रेषणकर्ता और प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षरों से युक्त ;

(दो) कैशमेमों, बिल, बीजक या चालान ;

(तीन) माल के हस्तान्तरण के लिये प्राधिकार-पत्र/माल चालान (जिसे आगे यात्रा शीट कहा गया है) तीन प्रतियों में ।

(ख) गाड़ी या यान का स्वमी, ड्राइवर अथवा अन्य कोई प्रभारी व्यक्ति गाड़ी में परिवहन किये जाने वाले अन्य सभी माल के सम्बन्ध में तीन प्रतियों में यात्रा शीट अपने साथ रखेगा ।

(4) (क) कोई घोषणा-पत्र या प्रमाण पत्र

(एक) जिसके सम्बन्ध में नियम-56 के उपनियम (9) या नियम-57 के उपनियम (8) के अधीन रिपोर्ट की गयी हो ; या

(दो) जो नियम-56 के उपनियम (13) या नियम-57 के उपनियम (10) के अधीन कमिश्नर द्वारा अप्रचलित और अवैध घोषित किया गया हो,

उपनियम (3) के प्रयोजनार्थ, यथास्थिति, रिपोर्ट के दिनांक से या उस दिनांक से जब से उसे ऐसा घोषित किया जाय, वैध नहीं होगा ।

(ख) कोई प्रमाण पत्र जिसकी नियम-57 के उपनियम (4) में यथानिर्दिष्ट वैधता की अवधि समाप्त हो गयी हो, उपनियम (3) के प्रयोजनार्थ वैध नहीं होगी ।

(5) ट्रक या यान (vessel) का स्वामी अथवा परिवहन, अभिकरण, अग्रेषण- अभिकरण (Forwarding agency) या निकासी अभिकर्ता, जैसी भी दशा हो, भेजे हुए माल को देते समय माल पाने वाले को, यथास्थिति, घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति देगा ।

(6) उपनियम (3) में अभिदिष्ट यात्रा शीट फार्म-चालीस होगा और उसमें उपनियम (3) के खण्ड (क) और (ख) में अभिदिष्ट ऐसे सभी माल के सम्बन्ध में, जो गाड़ी या यान में ले लाया जा रहा है, ब्यौरे होंगे । विभिन्न गन्तव्य स्थानों के लिये आयातित माल के लिये पृथक् यात्रा शीट प्रस्तुत किये जायेंगे ।

(7) कमिश्नर, समय-समय पर, प्रान्त बाहर से माल आयात के सम्बन्ध मे एवं घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु, प्रक्रिया के अनुपालन के लिये निर्देश जारी कर सकता है ।

किया गया हो, तो प्रेषणकर्ता और प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षरों से युक्त ;

(दो) कैशमेमों, बिल, बीजक या चालान ;

(ख) गाड़ी या यान का स्वमी, ड्राइवर अथवा अन्य कोई प्रभारी व्यक्ति गाड़ी में परिवहन किये जाने वाले अन्य सभी माल के सम्बन्ध में कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रपत्रों को अपने साथ रखेगा ।

(2) (क) कोई घोषणा-पत्र या प्रमाण पत्र

(एक) जिसके सम्बन्ध में नियम-56 के उपनियम (9) या नियम-57 के उपनियम (8) के अधीन रिपोर्ट की गयी हो ; या

(दो) जो नियम-56 के उपनियम (13) या नियम-57 के उपनियम (10) के अधीन कमिश्नर द्वारा अप्रचलित और अवैध घोषित किया गया हो,

उपनियम (3) के प्रयोजनार्थ, यथास्थिति, रिपोर्ट के दिनांक से या उस दिनांक से जब से उसे ऐसा घोषित किया जाय, वैध नहीं होगा ।

(ख) कोई प्रमाण पत्र जिसकी नियम-57 के उपनियम (4) में यथानिर्दिष्ट वैधता की अवधि समाप्त हो गयी हो, उपनियम (3) के प्रयोजनार्थ वैध नहीं होगी ।

(3) ट्रक या यान (vessel) का स्वामी अथवा परिवहन, अभिकरण, अग्रेषण- अभिकरण (Forwarding agency) या निकासी अभिकर्ता, जैसी भी दशा हो, भेजे हुए माल को देते समय माल पाने वाले को, यथास्थिति, घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति देगा ।

(4) उपनियम (3) में अभिदिष्ट यात्रा शीट फार्म-चालीस होगा और उसमें उपनियम (3) के खण्ड (क) और (ख) में अभिदिष्ट ऐसे सभी माल के सम्बन्ध में, जो गाड़ी या यान में ले लाया जा रहा है, ब्यौरे होंगे । विभिन्न गन्तव्य स्थानों के लिये आयातित माल के लिये पृथक् यात्रा शीट प्रस्तुत किये जायेंगे ।

(5) कमिश्नर, समय-समय पर, प्रान्त बाहर से माल आयात के सम्बन्ध मे एवं घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु, प्रक्रिया के अनुपालन के लिये निर्देश जारी कर सकता है ।

नियम 55 का संशोधन

23. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 55 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1) प्रत्येक जॉच चौकी या नाके या किसी अन्य स्थान पर जब जॉच चौकी के प्रभारी अधिकारी द्वारा या नियम (5) में अधिकृत अधिकारी, जो धारा 45 एवं 48 के अधिकारों का प्रयोग कर रहा हो, द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तब, यथास्थिति, गाड़ी या यान का स्वामी, ड्राइवर या कोई अन्य प्रभारी व्यक्ति गाड़ी या यान को रोके रखेगा और उसे तब तक रोके रखेगा, जब तक ऐसे अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो। वह ऐसे अधिकारी को गाड़ी या यान की अन्तर्वस्तुओं का परीक्षण करने देगा और ले जाने वाले माल से सम्बन्धित समस्त लेखों तथा अभिलेखों का जो उसके कब्जे में हो या गाड़ी अथवा यान में किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हो, निरीक्षण करने देगा, (2) गाड़ी या यान का स्वामी, ड्राइवर या अन्य कोई प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी दशा हो, यदि उपनियम (1) में अभिदिष्ट अधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, अपना नाम और पूरा पता, गाड़ी या यान के स्वामी का नाम तथा पूरा पता, यदि वह गाड़ी या यान में उपस्थित न हो, उसे देगा। (3) यदि ऐसे परीक्षण पर अधिकारी को यह पता चलेगा या उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि- (क) कोई एक या एकाधिक पारेषण नियम 54 के उपनियम (3) में अभिदिष्ट एक या एकाधिक लेखों के अन्तर्गत नहीं आते; या (ख) किसी पारेषण के सम्बन्ध में कोई ऐसा लेख मिथ्या, झूठा, अशुद्ध, अपूर्ण या अवैध है, तो अधिकारी गाड़ी या यान के ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति को यह कारण बताने के लिये कि माल क्यों न अभिग्रहीत कर लिया जाय, नोटिस जारी करेगा। (4) यदि अधिकारी का, यथास्थिति, भूल या दोष के कारण या कारणों के सम्बन्ध में समाधान हो जाय तो वह अपनी आपत्तियों को अभिलिखित करने के पश्चात् नोटिस रद्द कर सकता है। (5) यदि अधिकारी गाड़ी के स्वामी, चालक या प्रभारी व्यक्ति के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होता है तो वह माल को जब्त करने का आदेश देगा और जब्त किये गये माल के संबंध में पूर्वोक्त व्यक्ति को रसीद देगा। (6) कमिश्नर प्रान्त बाहर से आयातित माल की जॉच एवं अभिग्रहण के सम्बन्ध में समय-समय पर प्रक्रिया के अनुपालन के सम्बन्ध में निर्देश जारी कर सकता है।	**(1) राज्य के अन्दर किसी भी स्थान पर नियम (5) में अधिकृत अधिकारी, जो धारा 45 एवं 48 के अधिकारों का प्रयोग कर रहा हो, द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तब, यथास्थिति, गाड़ी या यान का स्वामी, ड्राइवर या कोई अन्य प्रभारी व्यक्ति गाड़ी या यान को रोके रखेगा और उसे तब तक रोके रखेगा, जब तक ऐसे अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो। वह ऐसे अधिकारी को गाड़ी या यान की अन्तर्वस्तुओं का परीक्षण करने देगा और ले जाने वाले माल से सम्बन्धित समस्त लेखों तथा अभिलेखों का जो उसके कब्जे में हो या गाड़ी अथवा यान में किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हो, निरीक्षण करने देगा,** **(2) यदि ऐसे परीक्षण पर अधिकारी को यह पता चलेगा या उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि-** **(क) कोई एक या एकाधिक पारेषण नियम 54 के उपनियम (3) में अभिदिष्ट एक या एकाधिक लेखों के अन्तर्गत नहीं आते; या** **(ख) किसी पारेषण के सम्बन्ध में कोई ऐसा लेख मिथ्या, झूठा, अशुद्ध, अपूर्ण या अवैध है,** **तो अधिकारी गाड़ी या यान के ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति को यह कारण बताने के लिये कि माल क्यों न अभिग्रहीत कर लिया जाय, नोटिस जारी करेगा।** **(3) यदि अधिकारी का, यथास्थिति, भूल या दोष के कारण या कारणों के सम्बन्ध में समाधान हो जाय तो वह अपनी आपत्तियों को अभिलिखित करने के पश्चात् नोटिस रद्द कर सकता है।** **(4) यदि अधिकारी गाड़ी के स्वामी, चालक या प्रभारी व्यक्ति के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होता है तो वह माल को जब्त करने का आदेश देगा और जब्त किये गये माल के संबंध में पूर्वोक्त व्यक्ति को रसीद देगा।** **(5) कमिश्नर प्रान्त बाहर से आयातित माल की जॉच एवं अभिग्रहण के सम्बन्ध में समय-समय पर प्रक्रिया के अनुपालन के सम्बन्ध में निर्देश जारी कर सकता है।**

नियम 56 का संशोधन 24. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 56 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(1) कोई पंजीकृत व्यवहारी जो राज्य के बाहर किसी स्थान से इस राज्य में धारा 50 की उपराधारा (1) के अधीन विज्ञापित या उसमें निर्दिष्ट माल, जो तद्धीन निर्दिष्ट परिमाप, माप या मूल्य से अधिक हो, आयात या प्राप्त करना चाहता है तो वह दूसरे राज्य के विक्रेता व्यवहारी या पारेषक को उपनियम (4) के अधीन प्राप्त घोषणा-पत्र की दो प्रतियॉं भेजेगा।

(2) पंजीकृत व्यवहारी सादे घोषणा-फार्मों को जारी करने के लिए उस सहायक कमिश्नर को, जिसके क्षेत्राधिकार में उसके कारबार का मुख्य स्थान हो, प्रार्थना-पत्र देगा।

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारक प्राधिकारी घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र जारी करते समय, व्यवहारी से ऐसे विवरण मॉंग सकता है, जो कमिश्नर द्वारा समय-समय पर निर्देशित किये गये हो।

(3) कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कोई सादा घोषणा फार्म तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि पॉंच रुपया प्रति फार्म की दर से शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया हो। प्रार्थना पत्र पर नियम 32 के उपनियम (6) में उल्लिखित किसी एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

(4) यदि करनिर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि व्यवहारी की सादे घोषणा पत्र की मॉंग वास्तविक और उचित है तो वह उतने फार्म जारी कर सकता है जो वह उचित समझे। कोई घोषणा-पत्र तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि व्यवहारी पहले प्राप्त किये गये ऐसे समस्त फार्मों का हिसाब न दे दे।

(5) यदि अदा किया गया शुल्क जारी किये गये घोषणा-पत्रों के लिये देय शुल्क से अधिक हो, तो शेष धनराशि व्यवहारी के खाते में जमा रहेगी, जिसे भविष्य में जारी किये जाने वाले घोषणा-पत्रों के प्रति समायोजित किया जायेगा।

(6) पंजीकृत व्यवहारी घोषणा-पत्र के मूल तथा द्वितीय प्रति के भागों को, समस्त अपेक्षित ब्यौरे भरने तथा उस पर हस्ताक्षर करने के बाद दूसरे राज्य के विक्रय व्यवहारी या पारेषक को भेजेगा, वह प्रतिपर्ण अपने पास रख लेगा।

(7) पंजीकृत व्यवहारी उपनियम (4) के अधीन प्राप्त प्रत्येक घोषणा पत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा। वह किसी ऐसे फार्म के खो जाने, नष्ट हो जाने या चुरा लिये जाने, इस प्रकार खो जाने, नष्ट हो जाने या चुरा लिये जाने के प्रत्यक्ष, या अप्रत्यक्ष परिणाम स्वरुप, सरकारी राजस्व की हानि के लिए, यदि कोई हो, स्वयं उत्तरायी होगा।

(8) कोई पंजीकृत व्यवहारी, जिसे घोषणा-पत्र जारी किया गया हो, उपनियम (1) के विधिक प्रयोजनों के अतिरिक्त उसे किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करेगा।

(9) प्रत्येक पंजीकृत व्यवहारी जिसे उपनियम (4) के अधीन घोषणा-पत्र जारी किया जाय, फार्म-इक्तालिस में एक

स्तम्भ-2

एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(1) कोई पंजीकृत व्यवहारी जो राज्य के बाहर किसी स्थान से इस राज्य में धारा 50 की उपराधारा (1) के अधीन विज्ञापित या उसमें निर्दिष्ट माल, जो तद्धीन निर्दिष्ट परिमाप, माप या मूल्य से अधिक हो, आयात या प्राप्त करना चाहता है तो वह दूसरे राज्य के विक्रेता व्यवहारी या पारेषक को उपनियम (4) के अधीन प्राप्त घोषणा-पत्र की दो प्रतियॉं भेजेगा।

(2) पंजीकृत व्यवहारी सादे घोषणा-फार्मों को जारी करने के लिए उस **कर निर्धारक प्राधिकारी** को, जिसके क्षेत्राधिकार में उसके कारबार का मुख्य स्थान हो, प्रार्थना-पत्र देगा **अथवा कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से विभागीय वैव साइट से डाउन लोड करेगा।**

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारक प्राधिकारी घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र जारी करते समय, व्यवहारी से ऐसे विवरण मॉंग सकता है, जो कमिश्नर द्वारा समय-समय पर निर्देशित किये गये हो।

(3) कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कोई सादा घोषणा फार्म तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि **पचास** रुपया प्रति फार्म **अथवा ऐसी धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाये,** की दर से शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया हो। प्रार्थना पत्र पर नियम 32 के उपनियम (6) में उल्लिखित किसी एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

(4) यदि करनिर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि व्यवहारी की सादे घोषणा पत्र की मॉंग वास्तविक और उचित है तो वह उतने फार्म जारी कर सकता है जो वह उचित समझे। कोई घोषणा-पत्र तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि व्यवहारी पहले प्राप्त किये गये ऐसे समस्त फार्मों का हिसाब न दे दे।

(5) यदि अदा किया गया शुल्क जारी किये गये घोषणा-पत्रों के लिये देय शुल्क से अधिक हो, तो शेष धनराशि व्यवहारी के खाते में जमा रहेगी, जिसे भविष्य में जारी किये जाने वाले घोषणा-पत्रों के प्रति समायोजित किया जायेगा।

(6) पंजीकृत व्यवहारी घोषणा-पत्र के मूल तथा द्वितीय प्रति के भागों को, समस्त अपेक्षित ब्यौरे भरने तथा उस पर हस्ताक्षर करने के बाद दूसरे राज्य के विक्रय व्यवहारी या पारेषक को भेजेगा, वह प्रतिपर्ण अपने पास रख लेगा।

(7) पंजीकृत व्यवहारी उपनियम (4) के अधीन **डाउन लोड या** प्राप्त प्रत्येक घोषणा पत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा। वह किसी ऐसे फार्म के खो जाने, नष्ट हो जाने या चुरा लिये जाने, इस प्रकार खो जाने, नष्ट हो जाने

रजिस्टर में प्रत्येक ऐसे घोषणा-पत्र का सही और पूर्ण विवरण रखेगा, यदि कोई घोषणा-पत्र खो जाए, नष्ट हो जाय, या चुरा लिया जाय तो व्यवहारी इस तथ्य की सूचना तुरन्त करनिर्धारक प्राधिकारी को देगा, उपरोक्त रजिस्टर में समुचित प्रविष्टियाँ करेगा और इस प्रकार खो जाने, नष्ट हो जाने या चुरा लिये जाने की समुचित सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिये कार्यवाही करेगा।

(10) पंजीकृत व्यवहारी, यथास्थिति, अपना व्यापार बन्द कर देने पर या उसका पंजीयन का प्रमाण पत्र रद्द कर दिये जाने या वैधता की अवधि समाप्त हो जाने पर समस्त अप्रयुक्त घोषणा-पत्र जो उसके स्टाक में बच रहे हों, तुरन्त अभ्यर्पित कर देगा।

(11) यदि क्रेता व्यवहारी या पारेषिती द्वारा विक्रेता व्यवहारी या पारेषक को जारी किया गया, यथाविधि, भरा गया घोषणा-पत्र मार्ग में विक्रेता व्यवहारी या पारेषक द्वारा खो जाय, तो क्रेता व्यवहारी या पारेषिती ऐसे विक्रेता व्यवहारी या पारेषक की माँग पर उसे एक दूसरा घोषणा पत्र उसी रीति से जारी करेगा, जिस प्रकार मूल घोषणा-पत्र जारी किया गया हो।

प्रतिबन्ध यह है कि उसे जारी करने के पूर्व क्रेता व्यवहारी या पारेषक ऐसे द्वितीय घोषणा-पत्र के तीनों भागों पर लाल स्याही से लिखकर निम्नलिखित घोषणा करेगा और उस पर यथाविधि हस्ताक्षर करेगा।

मै एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि यह घोषणा-पत्र संख्या . . . . की दूसरी प्रति है, जिस पर दिनांक . . . . को हस्ताक्षर किया गया था और जिसे सर्वश्री . . . . को . . . . रुपये . . . . के मूल्य के (माल का विवरण) . . . . के सम्बन्ध में जारी किया गया था।

हस्ताक्षर

(12) कमिश्नर समय-समय पर, गजट में ऐसे घोषणा-पत्र के ब्यौरे प्रकाशित करेगा, जिसके सम्बन्ध में उपनियम (9) के अधीन सूचना प्राप्त हुई हो।

(13) कमिश्नर, विज्ञप्ति द्वारा यह घोषणा कर सकता है कि किसी विशिष्ट श्रृंखला, रचना या रंग के घोषणा-पत्र उस दिनांक से जिसे विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय, अप्रचलित और अवैध समझे जायेंगे और उनके स्थान पर नई श्रृंखला, रचना, रंग के नये फार्म प्रतिस्थापित कर सकता है।

(14) जब उपनियम (13) के अधीन कोई विज्ञप्ति जारी की जाये, तो सभी पंजीकृत व्यवहारी उस दिनांक को या उसके पूर्व, जब से उन्हें इस प्रकार अप्रचलित तथा अवैध घोषित किया जाय, अप्रचलित तथा अवैध घोषित ऐसे सभी अप्रयुक्त घोषणा-पत्र जो उनके पास हों, करनिर्धारक प्राधिकारी को अभ्यर्पित कर देंगे ओर उनके बदले में ऐसे नये घोषणा-पत्र प्राप्त करेंगे जो उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किये जायें।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यवहारी को नये घोषणा पत्र तब तक जारी नहीं किये जायेंगे, जब तक कि उसने पहले जारी किये गये समस्त घोषणा-पत्रों का लेखा न दे दिया हो और जब तक कि उसने शेष या चुरा लिये जाने के प्रत्यक्ष, या अप्रत्यक्ष परिणाम स्वरुप, सरकारी राजस्व की हानि के लिए, यदि कोई हो, स्वयं उत्तरायी होगा।

(8) कोई पंजीकृत व्यवहारी, जिसे घोषणा-पत्र **डाउन लोड या** जारी किया गया हो, उपनियम (1) के विधिक प्रयोजनों के अतिरिक्त उसे किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करेगा।

(9) प्रत्येक पंजीकृत व्यवहारी जिसे उपनियम (4) के अधीन घोषणा-पत्र जारी **अथवा व्यवहारी द्वारा डाउन लोड** किया जाय, फार्म-इक्तालिस में एक रजिस्टर में प्रत्येक ऐसे घोषणा-पत्र का सही और पूर्ण विवरण रखेगा, यदि कोई घोषणा-पत्र खो जाए, नष्ट हो जाय, या चुरा लिया जाय तो व्यवहारी इस तथ्य की सूचना तुरन्त करनिर्धारक प्राधिकारी को देगा, उपरोक्त रजिस्टर में समुचित प्रविष्टियाँ करेगा और इस प्रकार खो जाने, नष्ट हो जाने या चुरा लिये जाने की समुचित सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिये कार्यवाही करेगा।

(10) पंजीकृत व्यवहारी, यथास्थिति, अपना व्यापार बन्द कर देने पर या उसका पंजीयन का प्रमाण पत्र रद्द कर दिये जाने या वैधता की अवधि समाप्त हो जाने पर समस्त अप्रयुक्त घोषणा-पत्र जो उसके स्टाक में बच रहे हों, तुरन्त अभ्यर्पित कर देगा।

(11) यदि क्रेता व्यवहारी या पारेषिती द्वारा विक्रेता व्यवहारी या पारेषक को जारी किया गया, यथाविधि, भरा गया घोषणा-पत्र मार्ग में विक्रेता व्यवहारी या पारेषक द्वारा खो जाय, तो क्रेता व्यवहारी या पारेषिती ऐसे विक्रेता व्यवहारी या पारेषक की माँग पर उसे एक दूसरा घोषणा पत्र उसी रीति से जारी करेगा, जिस प्रकार मूल घोषणा-पत्र जारी किया गया हो।

प्रतिबन्ध यह है कि उसे जारी करने के पूर्व क्रेता व्यवहारी या पारेषक ऐसे द्वितीय घोषणा-पत्र के तीनों भागों पर लाल स्याही से लिखकर निम्नलिखित घोषणा करेगा और उस पर यथाविधि हस्ताक्षर करेगा।

मै एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि यह घोषणा-पत्र संख्या . . . . की दूसरी प्रति है, जिस पर दिनांक . . . . को हस्ताक्षर किया गया था और जिसे सर्वश्री . . . . को . . . . रुपये . . . . के मूल्य के (माल का विवरण) . . . . के सम्बन्ध में जारी किया गया था।

हस्ताक्षर

(12) कमिश्नर समय-समय पर, गजट में ऐसे घोषणा-पत्र के ब्यौरे प्रकाशित करेगा, जिसके सम्बन्ध में उपनियम (9) के अधीन सूचना प्राप्त हुई हो।

(13) कमिश्नर, विज्ञप्ति द्वारा यह घोषणा कर सकता है कि किसी विशिष्ट श्रृंखला, रचना या रंग के घोषणा-पत्र उस दिनांक से जिसे विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय, अप्रचलित और अवैध समझे जायेंगे और उनके स्थान

घोषणा-पत्र, यदि कोई हो, असिस्टेन्ट कमिश्नर को लौटा न दिये हों।

(15) कोई पंजीकृत व्यवहारी, कोई घोषणा, सिवाय ऐसे घोषणा-पत्र में जो उस करनिर्धारक प्राधिकारी से, जिसका उसके व्यापार के मुख्य स्थान पर क्षेत्राधिकार हो, प्राप्त किया गया है और जो उपनियम (13) के उपबन्धो के अधीन अप्रचलित या अवैध न घोषित किया गया हो, जारी नहीं करेगा।

(16) करनिर्धारक प्राधिकारी ऐसे घोषणा-पत्रों के सम्बन्ध में जो उसे प्राप्त हुए हों, अथवा जो उसके द्वारा जारी किये गये हों और अभ्यर्पित फार्मों के सम्बन्ध में कमिश्नर द्वारा निर्धारित लेखा रखेगा।

पर नई श्रृंखला, रचना, रंग के नये फार्म प्रतिस्थापित कर सकता है।

(14) जब उपनियम (13) के अधीन कोई विज्ञप्ति जारी की जाये, तो सभी पंजीकृत व्यवहारी उस दिनांक को या उसके पूर्व, जब से उन्हें इस प्रकार अप्रचलित तथा अवैध घोषित किया जाय, अप्रचलित तथा अवैध घोषित ऐसे सभी अप्रयुक्त घोषणा-पत्र जो उनके पास हों, करनिर्धारक प्राधिकारी को अभ्यर्पित कर देंगे ओर उनके बदले में ऐसे नये घोषणा-पत्र प्राप्त करेंगे जो उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किये जायें।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यवहारी को नये घोषणा पत्र तब तक जारी नहीं किये जायेंगे, जब तक कि उसने पहले जारी किये गये समस्त घोषणा-पत्रों का लेखा न दे दिया हो और जब तक कि उसने शेष घोषणा-पत्र, यदि कोई हो, असिस्टेन्ट कमिश्नर को लौटा न दिये हों।

(15) कोई पंजीकृत व्यवहारी, कोई घोषणा, सिवाय ऐसे घोषणा-पत्र में जो उस करनिर्धारक प्राधिकारी से, जिसका उसके व्यापार के मुख्य स्थान पर क्षेत्राधिकार हो, प्राप्त **या व्यवहारी द्वारा वैव साईट से डाउन लोड** किया गया है और जो उपनियम (13) के उपबन्धो के अधीन अप्रचलित या अवैध न घोषित किया गया हो, जारी नहीं करेगा।

(16) करनिर्धारक प्राधिकारी ऐसे घोषणा-पत्रों के सम्बन्ध में जो उसे प्राप्त हुए हों, अथवा जो उसके द्वारा जारी किये गये हों और अभ्यर्पित फार्मों के सम्बन्ध में कमिश्नर द्वारा निर्धारित लेखा रखेगा।

नियम 58 का संशोधन

25. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 58 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(1) ऐसे किसी वाहन का, जो राज्य के बाहर किसी स्थान में आ रहा हो और राज्य के बाहर किसी स्थान के लिये जा रहा हो, जो धारा 52 में दी गयी परिस्थितियों में माल का परिवहन कर रहा हो, ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति माल के परिवहन के लिये प्रमाण पत्र जारी करने हेतु, तीन प्रतियों में फार्म तैतालीस में प्रार्थना पत्र, राज्य में प्रवेश स्थल के निकट स्थापित जाँच चौकी यदि कोई हो, जिसे आगे प्रवेश जाँच चौकी कहा गया है, के प्रभारी अधिकारी को तीन प्रतियों में प्रस्तुत करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि माल का प्रान्त बाहर से परिवहन, रेल, जलमार्ग, वायुमार्ग या कोरियर से प्रान्त में किसी स्थान के लिये करने के पश्चात प्रान्त बाहर के लिये सड़क मार्ग में वाहन द्वारा होना हो,तब ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति, जो प्रान्त बाहर माल ले जायेगा, वह माल के परिवहन के लिये प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु फार्म चौवालीस के तीन प्रतियों में प्रार्थना पत्र, उस कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिसका क्षेत्राधिकार उस स्थान पर हो, जहाँ माल रेल, जल, वायु मार्ग या कोरियर से प्राप्त किया

स्तम्भ-2

एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम

ऐसे किसी वाहन का, जो राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य से होते हुए, राज्य के बाहर के गन्तव्य के लिए जा रहा हो, जो धारा 50 की उपधारा (1) की दी गयी परिसिथतियों में माल का पारगमन कर रहा हो ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति माल के परिवहन हेतु विहित प्रपत्रों एवं विहित प्रकिया जो समय–समय पर कमिश्नर द्वारा सामान्य एवं विशिष्ट निर्देशों के रुप में जारी होगी, का पालन करेगा अन्यथा यह माना जायेगा कि वाहन के स्वामी अथवा प्रभारी व्यक्ति द्वारा परिवहित माल राज्य में बिकी के उद्देश्य से लाया गया है।

गया हो।

(2) प्रवेश जॉच चौकी का प्रभारी अधिकारी या उपनियम (1) में संदर्भित कर निर्धारक प्राधिकारी, लेखों का परीक्षण करने के पश्चात और ऐसी जॉच जिसे वह आवश्यक समझे करने के पश्चात, प्रार्थना पत्र की सभी प्रतियों पर गाड़ी या यान द्वारा राज्य की पार की जाने वाली जॉच चौकी या नाका (जिसे आगे निर्गम जॉच चौकी कहा गया है) और वह समय तथा दिनांक, जब तक उसे पार कर लेना चाहिए, विनिर्दिष्ट करेगा और पारगमन पत्र की दो प्रतियाँ ड्राइवर या गाड़ी के प्रभारी व्यक्ति को देगा और एक प्रति अपने पास रख लेगा।

(3) गाड़ी या यान का ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति अपनी गाड़ी को ऐसी निर्गम जॉच चौकी पर रोकेगा, पारगमन पत्र की एक प्रति अभ्यर्पित (Surrender) करेगा तथा जॉच चौकी के प्रभारी अधिकारी को, यह सुनिश्चित करने के लिये कि राज्य के बाहर ले जाने वाले पारेषण वही है, जो पारगमन पत्र में उल्लिखित है, लेख्यों, पारेषण तथा माल का निरीक्षण करने देगा। निर्गम जॉच चौकी का प्रभारी अधिकारी गाड़ी के ऐसे ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति द्वारा अभ्यर्पित पारगमन पत्र की दूसरी प्रति पर एक रसीद जारी करेगा।

(4) निर्गम जॉच चौकी के प्रभारी अधिकारी को, उपनियम (3) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये, गाड़ी की अन्तर्वस्तुओं को रोकने, उतारने तथा तलाशी लेने का अधिकार होगा।

(5) कमिश्नर, समय समय पर, माल के परिवहन के लिये पारगमन पत्र जारी करने, एवं अभ्यर्थित करने सम्बन्धित प्रक्रिया के लिये निर्देशं जारी कर सकता है।

नियम 68 का संशोधन **26.** नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उक्त नियमावली के नियम-68 के उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान उप खण्ड	स्तम्भ-2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उप खण्ड
(2) याचिका, 5000-00 रु0 की देय शुल्क के जमा का प्रमाण एवं विवादित नोटिस की प्रति के साथ दाखिल की जायेगी।	**(2) याचिका विहित रूप से पांच हजार रू0 फीस जमा करने का प्रमाण एवं कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत न किये गये आवर्त के पूर्ण प्रकटीकरण के साथ आवर्त पर संदेयकर की धनराशि एवं विवादित, नोटिस की प्रति क साथ दाखिल की जायेगी।**

नियम 69 का संशोधन **27.** उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 69 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
धारा 64 से संदर्भित याचिका, व्यवस्थापन-आयोग के अध्यक्ष के समक्ष, निम्न प्रारूप में, समस्त नीचे दिये गये संलग्नकों सहित प्रस्तुत की जायेगी : समक्ष : माननीय अध्यक्ष, व्यवस्थापन आयोग,	**धारा 64 से संदर्भित याचिका, व्यवस्थापन-आयोग के अध्यक्ष के समक्ष, निम्न प्रारूप में, समस्त नीचे दिये गये संलग्नकों सहित प्रस्तुत की जायेगी : समक्ष : माननीय अध्यक्ष, व्यवस्थापन आयोग,**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर,
लखनऊ।

विषय: उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2007 की धारा 64 के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष ---------- के लिये याचिका।

सर्वश्री ------------------- (याचिकाकर्ता का नाम एवं पता) -
याचिकाकर्ता
बनाम

प्रतिपक्षी

श्रीमान जी,

मैं, --- एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस याचिका के अन्र्ततथ्य, जानकारियॉ एवं अन्य विषयक वस्तु मेरी समुचित जानकारी एवं विश्वास में सत्य है।

मैं अग्रेत्तर घोषणाा करता हूँ कि इससे पहले इस याचिका की विषय वस्तु पर आयोग के समक्ष कोई अन्य याचिका प्रस्तुत नही की गयी है।

स्थान :
दिनांक : . . . .

याचिकाकर्ता / याचिकाकर्ता के द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर

इस याचिका के साथ दाखिल किये जाने वाले अभिलेख :

(1) याचिका में आक्षेपित नोटिस की प्रति
(2) देय फीस के जमा के प्रमाण में, चालान नं0...... दिनांक ....
जमा --------------------------------------
(बैंक / ट्रेजरी का नाम)
(3) स्वीकृत कर जमा का प्रमाण
(4) अन्य कोई भी सुसंगत अभिलेख (यदि कोई हो) ------------------
(अभिलेख के टाइटिल को इंगित करें)

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर,
लखनऊ।

विषय : उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2007 की धारा 64 के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष ---------- के लिये याचिका।

सर्वश्री ------------------ (याचिकाकर्ता का नाम एवं पता) -
याचिकाकर्ता
बनाम
-- प्रतिपक्षी

श्रीमान जी,

उपरोक्त सन्दर्भित याची, यह याचिका उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-64 के अन्तर्गत -------------------------------- तामिल सूचना (प्राधिकारी का नाम जिन्होंने याचीकर्ता पर सूचना तामिल किया है) जो अधिनियम की उपधारा/धारा के अन्तर्गत------- -------------------------- (उपधारा/धारा का नाम अंकित करें) के विरुद्ध जिसमें रुपया एक लाख से अधिक कर या अर्थदण्ड के संबंध में है तथा याचीकर्ता द्वारा ग्राह्य है। याचीकर्ता रू0 ------------------------------- की अपनी टर्न ओवर की घोषणा करता है जो पूर्व में कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष घोषित नहीं है उक्त टर्न ओवर पर देय धनराशि रू0 --------- ------------------------- है (विवरण संलग्न है)

याची प्रतिवादी की कार्यवाही को निम्न आधार पर प्रतिवाद करता है।

प्रार्थना

(1) ------------
(2) ------------
(3) ------------
(4) ------------

याचिकाकर्ता / याचिकाकर्ता के द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, -- एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस याचिका के

अन्र्ततथ्य, जानकारियों एवं अन्य विषयक वस्तु मेरी समुचित जानकारी एवं विश्वास में सत्य है।

मैं अग्रेत्तर घोषणाा करता हूँ कि इससे पहले इस याचिका की विषय वस्तु पर आयोग के समक्ष कोई अन्य याचिका प्रस्तुत नही की गयी है।

स्थान :

दिनांक : ....

याचिकाकर्ता / याचिकाकर्ता के द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर

इस याचिका के साथ दाखिल किये जाने वाले अभिलेख :

(1) याचिका में आक्षेपित नोटिस की प्रति
(2) देय फीस के जमा के प्रमाण में, चालान नं0.................... दिनांक .... जमा --------------------------- (बैंक / ट्रेजरी का नाम)
(3) स्वीकृत कर जमा का प्रमाण
(4) ऊपर अंकित अतिरिक्त देय जमा धनराशि के जमा का प्रमाण
(5) टर्न ओवर की घोषण का पूर्ण विवरण जिसको कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष घोषित नहीं किया गया था एवं उक्त अतिरिक्त टर्न ओवर पर देय कर।
(6) अन्य कोई भी सुसंगत अभिलेख (यदि कोई हो) ------------------ (अभिलेख के टाइटिल को इंगित करें)

नियम 70 का संशोधन

28. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 70 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1) पूर्व व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी ओद्योगिक इकाई जो कर मुक्ति अथवा दर में कमी की सुविधा प्राप्त थी, नियम 32 के उपनियम (6) के अन्तर्गत प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर से पूर्ण रूप से भरे हुए फार्म पैतालिस में कमिश्नर के समक्ष 31 अगस्त, 2008 अथवा इस नियम के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर, जो भी बाद में हो, आवेदन कर सकता है। (2) आवेदन पत्र की प्रति (संलग्नकों के साथ यदि कोई हो) कर निर्धारण अधिकारी को प्राप्त करायी जायेगी तथा पावती सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जायेगी।	**(1) ऐसी ओद्योगिक इकाई जो धारा 22 के अन्तर्गत शुद्धदेय कर या अर्जित इन्पुट टैक्स कडिट या दोनो जैसा भी हो, के वापसी के लिये प्राधीकृत हो, नियम 32 के उपनियम (6) के अन्तर्गत प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर से पूर्ण रूप से भरे हुए फार्म पैतालिस में कमिश्नर के समक्ष, हकदारी प्रमाणपत्र जारी करने हेतु, आवेदन कर सकता है।** **प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी औद्योगिक इकाई, वापसी के रुप में, कर से छूट की सुविधा, कच्चे माल, प्रसंस्करणा सामग्री, उपमोग्य स्टोर,**

(3) कर निर्धारण अधिकारी, सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात, यदि आवश्यक हो तो व्यापारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, कमिश्नर को फार्म छियालिस के प्रारूप में प्रार्थना पत्र के तीस दिन के अन्दर आख्या भेजेगा।

(4) यदि कमिश्नर, व्यापारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सही एवं पूर्ण हैं तथ कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या, प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुष्टि करती है, प्रार्थना पत्र के प्राप्ति के 60 दिन के अन्दर हकदारी प्रार्थना पत्र फार्म सैतालिस के प्रारूप में जारी करेगा।

(5) जनवरी, 2008 एवं प्रारंभ होने वाली तथा 30 जून, 2008 को समाप्त होने वाले कर अवधि हेतु, देय शुद्ध कर सम्बन्धित कर अवधि के रिटर्न के साथ नहीं जमा किया गया हो तब निम्न प्रकार से जमा किया जायेगा :–

क0 सं0	कर अवधि समाप्त होने की तिथि	शुद्ध कर जमा करने की अंतिम तिथि
1.	31.01.2008	20.08.2008
2.	29.02.2008	20.09.2008
3.	31.03.2008	20.10.2008
4.	30.04.2008	20.11.2008
5.	31.05.2008	20.12.2008
6.	30.06.2008	31.07.2008

(6) 30 जून, 2008 को समाप्त होने वाले कर अवधि के पश्चात शुद्ध देय कर की धनराशि सम्बन्धित कर अवधि के रिटर्न के साथ जमा किया जायेगा।

(7) इस नियम के उपनियम (5) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्तर्गत औद्योगिक इकाई कर नहीं जमा करती है, तो ऐसी स्थिति में धारा 33 की उप धारा(2) के अन्तर्गत निर्धारित ब्याज की धनराशि एवं अधिनियम की धारा–54 के प्राविधानों के अन्तर्गत देय अर्थदण्ड भी देय होगा।

(8) अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत रिफण्ड अथवा देय ब्याज (यदि कोई हो), नियम 50 एवं 51 के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत देय होगा।

(9) हकदारी प्रमाण पत्र में अंकित धनराशि मे से एक्ट के अन्तर्गत देय कर एवं केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत देय कर की कुल धनराशि घटा दिया जायेगा।

(10) कर का भुगतान, जिसके लिये आस्थगन की सुविधा किसी भी वित्तीय वर्ष के लिये दी गयी है वह पॉच वर्ष के लिये आस्थगित की जायेगी और यह पॉच वर्ष की अवधि, ऐसे वित्तीय वर्ष के अन्तिम कर अवधि की कर रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित अन्तिम दिनांक के तुरन्त बाद से प्रारम्भ होगी।

(11) व्यवहारी जो अधिनियम के अधीन देय शुद्ध कर के आस्थगन या वापसी की सुविधा ले रहे है, वह कुल देय कर की गणना का विवरण कुल अनुतोष राशि, गत माह तक प्रयुक्त राशि, माह में प्रयुक्त राशि एवं माह के अन्त में अवशेष राशि कर अवधि की रिटर्न के साथ फार्म अडतालिस में दाखिल करेगें।

पैट्रोल या डीजल से भिन्न ईंधन, स्नेहक, जो माल के निर्माण अथवा निर्मित माल की पैकिंग में पैकिंग मैटेरियल के लिए प्रयुक्त होता है, कमिश्नर को नया अथवा संशोधित हकदारी प्रमाणपत्र हेतु, इस नियम के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर कर सकता है।

अग्रेतर प्रतिबन्ध है कि हकदारी प्रमाणपत्र में अंकित या घोषित छूट की धनराशि या छूट की अवधि में किसी आदेश या सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी या छूट की शर्तों या प्रतिबन्धों के आधार पर परिवर्तन अथवा विचरण, होता है, जिस कर निर्धारण वर्ष में उक्त घटनाकम घटित होता है, के समाप्ति के 60 दिन के अन्दर अथवा इस नियम के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर जो भी पूर्ववर्ती हो, ऐसी औद्योगिक इकाई आवेदन कर सकती है।

(2) आवेदन पत्र की प्रति (संलग्नकों के साथ यदि कोई हो) उपनियम (1) के अन्तर्गत आवेदन जमा करने के पूर्व कर निर्धारण प्राधिकारी को प्राप्त करायी जायेगी तथा पावती की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जायेगी।

(3) कर निर्धारण अधिकारी, सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात, यदि आवश्यक हो तो व्यापारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, कमिश्नर को फार्म छियालिस के प्रारूप में प्रार्थना पत्र के तीस दिन के अन्दर आख्या भेजेगा।

(4) यदि कमिश्नर, व्यापारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सही एवं पूर्ण हैं तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या, प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुष्टि करती है, प्रार्थना पत्र के प्राप्ति के 60 दिन के अन्दर हकदारी प्रार्थना पत्र फार्म सैतालिस के प्रारूप में जारी या संशोधित करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कमिश्नर संतुष्ट होता है कि प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर यदि अभिलेख से प्रमाणित है कि आवेदन में दिये गये तथ्य गलत या अपूर्ण या विश्वसनीय नहीं है, आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी कर तथा कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर एवं अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत हो, पर सम्यक् विचार करते हुए नया या संशोधित हकदारी प्रमाणपत्र जारी करने या प्रार्थनापत्र अस्वीकार करने का आदेश पारित कर सकता है। ऐसे आदेश की प्रति आवेदक पर तामील की जायेगी।

(5) जनवरी, 2008 एवं प्रारंभ होने वाली तथा 30 जून, 2008 को समाप्त होने वाले कर अवधि हेतु, देय शुद्ध कर सम्बन्धित कर अवधि के रिटर्न के साथ नहीं जमा किया गया हो तब निम्न प्रकार से जमा किया जायेगा :–

क्र0 सं0	कर अवधि समाप्त होने की तिथि	शुद्ध कर जमा करने की अंतिम तिथि
1.	31.01.2008	20.08.2008
2.	29.02.2008	20.09.2008
3.	31.03.2008	20.10.2008
4.	30.04.2008	20.11.2008
5.	31.05.2008	20.12.2008
6.	30.06.2008	31.07.2008

(6) 30 जून, 2008 को समाप्त होने वाले कर अवधि के पश्चात शुद्ध देय कर की धनराशि सम्बन्धित कर अवधि के रिटर्न के साथ जमा किया जायेगा।

(7) इस नियम के उपनियम (5) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्तर्गत औद्योगिक इकाई कर नहीं जमा करती है, तो ऐसी स्थिति में धारा 33 की उप धारा(2) के अन्तर्गत निर्धारित ब्याज की धनराशि एवं अधिनियम की धारा–54 के प्राविधानों के अन्तर्गत देय अर्थदण्ड भी देय होगा।

(8) अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत रिफण्ड अथवा देय ब्याज (यदि कोई हो), नियम 50 एवं 51 के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत देय होगा।

(9) **हकदारी प्रमाण पत्र में अंकित धनराशि मे से अधिनियम के अन्तर्गत देय कर एवं केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत देय कर एवं खरीद पर अर्जित आई0टी0सी0 की कुल धनराशि घटा दिया जायेगा।**

(10) कर का भुगतान, जिसके लिये आस्थगन की सुविधा किसी भी वित्तीय वर्ष के लिये दी गयी है, वह पॉच वर्ष के लिये आस्थगित की जायेगी और यह पॉच वर्ष की अवधि, ऐसे वित्तीय वर्ष के अन्तिम कर अवधि की कर रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित अन्तिम दिनांक के तुरन्त बाद से प्रारम्भ होगी।

(11) **व्यवहारी जो अधिनियम या केन्द्रीय बिकीकर अधिनियम के अधीन देय शुद्ध कर अर्जित आई0टी0सी0 के आस्थगन या वापसी की सुविधा ले रहे है, वह कुल देय कर या अर्जित आई0टी0सी0 की गणना का विवरण, कुल अनुतोष राशि, गत माह तक प्रयुक्त राशि, माह में प्रयुक्त राशि एवं माह के अन्त में अवशेष राशि, कर अवधि की रिटर्न के साथ फार्म अडतालिस में दाखिल करेगें।**

नियम 75–क का बढाया जाना

29. उक्त नियमावली में, नियम 75 के बाद निम्नलिखित नियम बढा दिया जाएगा, अर्थात् :–

करनिर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की प्रथम प्रति व्यवहारी को बिना किसी मूल्य के दी जायेगी तथा किसी आदेश की अगली प्रति व्यवहारी को बीस रूपये के फोलियो पर आपूर्ति की जायेगी। यदि आदेश चार पृष्ठों से अधिक का है तो प्रति पृष्ठ पॉच रूपया फीस होगी। फीस की धनराशि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर परिवर्तित की जा सकती है।

फार्म VII-क का बढाया जाना

30. उक्त नियमावली में फार्म VII के बाद निम्नलिखित फार्म बढा दिया जाएगा, अर्थात् :–

फार्म VII-क

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम–32क देखें]

आकस्मिक व्यवहारी के पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र

आवेदक का पासपोर्ट साइज का फोटो

[फार्म भरने के पूर्व निर्देश पड़े]

सेवा में,
पंजीयन अधिकारी,
....

रसीद संख्या

दिनांक d d m m y y y y

महोदय,

मै -- पुत्र/पुत्री/पत्नी --प्रास्थिति ----------------------, सर्वश्री (फर्म का नाम) --, यूपीवैट अध्यादेश, 2007 की धारा-17 के अंतर्गत पंजीयन एवं टिन के आवंटन हेतु आवेदन करता/करती हूँ। इस हेतु व्यापार से संबंधित विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत करता/करती हूँ :-

1.	आवेदक का पूरा नाम	
2.	आवेदक के पिता / पति का पूरा नाम	
3.	आवेदक का वर्तमान पता	पिन -
4.	आवेदक का स्थायी पता	पिन -
5.	आवेदक की प्रास्थिति कोड	(निर्देशों के क्रमांक-12 को देखे)
6.	प्रान्त में मुख्य व्यापार स्थल का पूर्ण पता	पिन -
7.	दूरभाष संख्या STD कोड सहित, यदि कोई हो	
8.	मोबाईल नंबर, यदि कोई हो	
9.	ई-मेल आई0डी0-यदि कोई हो	
10.	फैक्स नंबर-यदि कोई हो	
11.	(क) प्रान्त के भीतर या बाहर स्थित पंजीकृत / मुख्य व्यापार स्थल का पूर्ण पता, यदि कोई हो	पिन -
	(ख) अन्य राज्य के अन्दर स्थित मुख्य व्यापार स्थल का बिक्रीकर/वैट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन संख्या (यदि लागू हो)	

12.	व्यापार का संघठन (कृपया संबंधित खाने में टिक ✔ करें और अन्य को कॉसं ✔ करें)				
	स्वामित्व ☐	साझेदारी ☐	हिन्दू अविभाज्य परिवार ☐	कंपनी ☐	सोसायटी ☐
	राज्य या केन्द्रीय सरकार के कॉरपोरेशन ☐	क्लब ☐	एसोसिएशन ☐	अन्य	

13.	व्यापार के प्रारम्भ का दिनांक	d	d	m	m	y	y	y	y

14.	क्या आप वैट एक्ट के अन्तर्गत पूर्व में आकस्मिक व्यवहारी अथवा पूर्व में अन्य प्रकार से पंजीकृत रहे हैं, कृपया पंजीयन सं0 तथा वर्ष जब पंजीयन पूर्व में जारी हुआ था, सूचित करें	लागू नहीं	पंजीयन नं0
15.	अवधि जिसके लिए पंजीयन चाहिए	से	तक
16.	व्यापार के उद्देश्य से मुख्य वस्तुओं का विवरण	1 2 3 etc.	

17.	रखे जाने वाले अभिलेख का विवरण	
	1.	2.
	3.	4.
	5.	6.
	7.	8.
	9.	10.

18. बैंक खाते का विवरण

कमांक	शाखा का नाम एवं पता	खाते का प्रकार	खाता नं0

19. पंजीयन शुल्क का विवरण

कमाक	विवरण	धनराशि	ट्रैजरी चालान संख्या	दिनांक	बैंक की शाखा का नाम
1.	पंजीयन शुल्क				

घोषणा

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... प्रस्थिति ...., घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही व सत्य है। उपरोक्त विवरण में कोई भी परिवर्तन होने पर मै पंजीकरण प्राधिकारी/करनिर्धारण अधिकारी, वाणिज्य कर विभाग को अविलंब सूचित करने का आश्वासन देता/देती हूँ।

दिनांक –

आवेदक के हस्ताक्षर –

स्थान –

प्रास्थिति –

फार्म XI-क का बढाया जाना

31. उक्त नियमावली में फार्म XI के बाद निम्नलिखित फार्म बढा दिया जाएगा, अर्थात् :–

फार्म XI-क

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 कर नियम–32क का उपनियम (6) देखें]

आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटो

पंजीयन प्रमाण पत्र तथा टिन का आबंटन
(आकस्मिक व्यवहारी के लिये)

सर्वश्री .... जिसका मुख्य व्यापार स्थल .... में स्थित है जो वाणिज्य कर मण्डल/खण्ड .... में आता है, को, उ0प्र0वैट अधिनियम,2008 के प्राविधानों के अधीन, एतद् द्वारा व्यापारी के रूप में पंजीकृत किया जाता है और टिन | | | | | | | | | | | | आबंटित किया जाता है। यह पंजीयन प्रमाण–पत्र दिनांक .... से दिनांक .... तक प्रभावी रहेगा

कम संख्या	विवरण		
1	2	3	
1.	व्यापार की प्रकृति		
2.	माल का विवरण	1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		10	
		--	
3.	उ0प्र0 के अन्दर व उ0प्र0 के बाहर शाखाओं के स्थान	1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		10	
		--	

स्थान :
दिनांक :

पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर
तथा मुहर

फार्म XXIII का संशोधन 32. उक्त नियमावली में, नीचे अनुसूची–क में दिये गये विद्यमान फार्म तेइस के स्थान पर नीचे अनुसूची–ख में दिया गया फार्म रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

शिड्यूल–क

वर्तमान फार्म

फार्म–तेइस

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम–42 देखें)

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की सम्परीक्षा आख्या

भाग–1

प्रमाणित किया जाता है कि मैं/हमनें निम्न वर्णित टैक्स पीरियड के रिटर्न के सत्यता तथा पूरा होने की जॉच कर लिया है।

कम संख्या	ब्योरा	विवरण
i-	व्यापारी का नाम एवं प्रास्थिति	
ii-	व्यापारी के मुख्य स्थल का पता	
iii-	टैक्स पेयर आईडेन्टीफिकेशन संख्या (टिन)	
iv-	हकदारी प्रमाण–पत्र की संख्या, यदि कोई हो	
v-	स्थाई लेखा संख्या (पैन)	
vi-	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पंजीयन की संख्या	
vii	अन्य एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कमांक, यदि कोई हो	
viii-	सत्यापित नक्शे की अवधि	से .... तक ....
ix-	सत्यापित रिटर्न (टिक)	(i) यू0पी0 वैट एक्ट, 2008 के अन्तर्गत
		(ii) केन्द्रीय बिकीकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत

प्रमाणित किया जाता है कि व्यवहारी द्वारा दाखिल रिटर्न में कमियों, त्रुटियों एवं अननुपालन के संबंध में, मैं /हमारे अवलोकन एवं टिप्पणी के आडिट आख्या के भाग–2 में रहते हुए ;

1- मेरी/हमारी राय में व्यवहारी द्वारा रखी गयी लेखा पुस्तकें व अन्य संबंधित अभिलेख रिटर्न के त्रुटिरहित होने एवं पूर्ण होने के सत्यापन के लिए पर्याप्त हैं।

2- सत्यापनाधीन अवधि में की गयी समस्त खरीद एवं बिकी से संबंधित दाखिल रिटर्न में घोषित विकय आवर्त एवं कय आवर्त में सम्मिलित है।

3- बिकी आवर्त / खरीद आवर्त में किया गया सुधार सत्यापनाधीन अवधि हेतु लेखा पुस्तकों की प्रविष्टि पर आधारित है ।

4- सकल बिकी अथवा खरीद आवर्त में से की गयी कटौतियां जिसमें माल वापसी से संबंधित कटौतियां सम्मिलित हैं जिनका दावा नक्शों में किया गया है अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अनुरुप है।

5- बिकी की गयी वस्तुओं के वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए और लागू कर की दर, देयकर की गणना जैसा कि रिटर्न में दर्शाया गया है, सही है ।

6- सत्यापनाधीन अवधि के दौरान की गयी खरीद के संबंध में अनुमन्य आई0टी0सी0 की गणना एवं गत वर्ष में किए गए आई0टी0सी0 के दावों का समायोजन सही है ।

7. सत्यापनाधीन अवधि से संबंधित रिटर्न के साथ निर्धारित प्रारुप में दाखिल की गयी पंजीकृत व्यवहारी से की गयी खरीद की सूची सही एवं पूर्ण है ।

8. रिटर्न के साथ दाखिल अन्य आवश्यक सूचना सही व पूर्ण है।

9. मैं/हम सत्यापनाधीन अवधि के रिटर्न के सत्यापन के उददेश्य से निर्भर रहे हैं–

(क) समाप्त हो रहे वर्ष......................हेतु रखी गयी लेखा पुस्तकें एवं अभिलेख, यथा
(i)......................(ii)........................(iii)..........................(iv)........................
(v)......................(vi)........................(vii)..........................(viii)........................

(ख) समाप्त हो रहे वर्ष.................................... हेतु लाभ–हानि खाता एवं बैलेन्स शीट........................

(ग) **Dovuments in support of concession and deduction claimed are**
(i)...........................(ii)..............................(iii).......................................
(iv)..........................(v)...............................(vi).......................................

(घ) ....

(च) ....

10– सत्यापन की अवधि में किये गये मुख्य परिवर्तन

(i) व्यापारी के संविधान में परिवर्तन

(ii) स्टाक के मूल्यांकन के प्रणाली में परिवर्तन

(iii) लेखा प्रकिया में परिवर्तन

(iv) व्यापारिक गतविधि को प्रभावित करने वाला अन्य परिवर्तन

11– अख्या एवं टिप्पणी (रिटर्न तथा लेखा बहियों के संबंध में पायी गयी कमी एवं अनिमित्त के संबंध मे) आडिट रिर्पोट के भाग–2 में अंकित किया जाये।

12– विभिन्न कर नियमों के अंतर्गत अतिरिक्त कर दायित्व एवं अतिरिक्त वापसी की धनराशि के संबंध में सत्यापनाधीन अवधि के नक्शों के सत्यापन के परिणाम का सारांश ।

कम संख्या	ब्योरा	रिटर्न के अनुसार	लेखों के अनुसार	अंतर
1	2	3	4	5
1–	यू0पी0 वैट ऐक्ट, 2008 के अन्तर्गत देय कर			
2–	यू0पी0 वैट ऐक्ट, 2008 में समायोजित आई0टी0सी0			
3–	यू0पी0 वैट ऐक्ट, 2008 के अन्तर्गत शुद्ध देय कर			
4–	केन्द्रीय बिकीकर अधिनियम,1956 के अन्तर्गत देय कर			
5–	केन्द्रीय बिकीकर अधिनियम,1956 में समायोजित आई0टी0सी0			
6–	केन्द्रीय बिकीकर अधिनियम,1956 के अन्तर्गत शुद्ध देय कर			
7–	यू0पी0 वैट ऐक्ट, केन्द्रीय बिकीकर अधिनियम के अन्तर्गत कुल समायोजित आई0टी0सी0			
8–	यू0पी0टी0टी0 कर या यू0पी0वैट के अधीन देयों के सापेक्ष समायोजित आई0टी0सी0			
9–	यू0पी0 वैट अधिनियम, 2008 के अंतर्गत उत्कमित आई0टी0सी0			
10–	जमा की गयी उत्कमित आई0टी0सी0			
11–	दावा किया गया रिफण्ड			
12–	अतिरिक्त मॉग			
13–	अगले वर्ष के लिए अग्रेसित आई0टी0सी0			

13- व्यवहारी को यह सलाह दी गयी है ....

(क) रु0/–........................कर दायित्व के अंतर की धनराशि जमा करने हेतु

(ख) रु0/–........................की धनराशि की वापसी का दावा करने हेतु

(ग) दिनांक .... को समाप्त हो रहे करअवधि के लिए रिटर्न को पुनरीक्षित करने हेतु

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का नाम-----------------

सदस्यता संख्या...............................

संलग्नक. 1- लाभ–हानि खाता एवं बैलेन्स शीट के साथ आडिट आख्या ।

2- आख्या का भाग–2 फार्म–23 में ।

फार्म–तेइस

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उ0प्र0 मूल्य संवधित कर नियमावली, 2008 का नियम–42 देखें)

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की आडिट आख्या

भाग–II

नोट:-

1- कृपया रिपोर्ट के इस भाग के साथ कोई दस्तावेज संलग्न न करें।

2- सत्यापन के बिन्दु इंगित करने हेतु समस्त बिन्दुओं को शामिल नही करते हैं । यदि कोई अतिरिक्त सूचना है तो उसका उल्लेख टिप्पणी के कालम में लिखा जा सकता है ।

3- आख्या का कोई स्तम्भ खाली नही छोडना है यदि मॉगी गई सूचना प्रासंगिक नही है तो "लागू नही " लिखा जाए।

4- कम्प्यूटर पर बनायी गयी आख्या की हार्ड कापी स्वीकार की जाएगी, यदि आख्या निर्धारित प्रारुप में है ।

खण्ड क :– सामान्य सूचनायें

1.	कर निर्धारण वर्ष	2	0			-	2	0					
2.	संपरीक्ष की अवधि	D	D	M	M	Y	Y	समाप्ति की अवधि	D	D	M	M	Y Y

3.	व्यापारी का नाम व पता	-

4.	करदाता पहचान संख्या [टिन]	
	उत्तर प्रदेश वैट ऐक्ट की धारा 42 के अन्तर्गत हकदारी प्रमाण पत्र	
	सेवाकर अधिनियम के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र	
	किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र, यदि कोई हो	

5.	व्यापार का मुख्य स्थान, डिपो/शाखा/गोदाम/उत्पादन स्थल उ0प्र0 में/ उ0प्र0 के बाहर :–	
	विवरण	पता
a-	व्यापार का मुख्य स्थान	
b-	शाखा / डिपो /गोदाम	
	i-	
	ii-	
	iii-	
	iv-	

6.	फर्म के साझीदारों, स्वामी, निदेशकों, कर्ता, ट्रस्ट, मुख्य अधिकारी आदि का नाम व पता :–			
	नाम व पता	प्रास्थिति	कहाँ से	कहाँ तक
	(i)			
	(ii)			
	(iii)			
	(iv)			
	(v)			

7.	बैंक खातों का विवरण		
क0 सं0	शाखा का नाम व पता	खाते का प्रकार	खाता सं0
I			
II			
III			

खण्ड ख :– व्यापार से संबन्धित सूचना

1-	व्यापार का प्रकार (उचित खाना/खाने को चिन्हित करें)			
	थोक ☐	फुटकर ☐	निर्माण/प्रसंस्करण ☐	आयात ☐
	कमीशन एजेंसी ☐	कार्य संविदा ☐	माल के हस्तांतरण माल के प्रयोग के अधिकार का हस्तांतरण ☐	हायर परचेज ☐
	निर्यात ☐	अन्य कोई		

2-	डीलर का संघटन (उचित खाना/खाने को चिन्हित करें)				
	स्वामित्व ☐	साझीदारी ☐	हिन्दू अविभाजित परिवार ☐	कंपनी ☐	सोसायटी ☐
	राज्य या केंद्रीय सरकार के कॉरपोरेशन ☐	क्लब ☐	एसोसिएशन ☐	कोई अन्य	

3- कारबार से संबंधित वस्तुओं का नाम		
क0सं0	वस्तुओं का विवरण	वस्तुओं के विशेष नाम

4-	व्यापारिक गतिविधि का संक्षिप्त विवरण

5-	यू0पी0 वैट ऐक्ट की धारा 6 के अन्तर्गत समाधान का विकल्प लिया गया ...... ▯ (केवल टिक लगायें)	पुनः विक्रेता	सिविल संविदाकार	विद्युत संविदाकार	अन्य कोई	

खण्ड ग :– सत्यापन की अवधि में वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी घोषणा–पत्र अथवा प्रमाण–पत्र से संबन्धित सूचना :–

1-	फार्म का विवरण –							
क0 सं0	फार्म का नाम	प्रारम्भिक रहतिया सं0	प्राप्ति सं0	प्रयोग		खोया /नष्ट सं0	जमा फार्मो सं0	अन्तिम रहतिया संख्या
				संख्या	आच्छादित धनराशि			
1	2	3	4	5(a)	5(b)	6	7	8
i	XXI							
ii	XXXI							
iii	XXXVIII							
iv	C							
v	F							
vi	H							
vii	EI							
viii	EII							
ix	I							

2-	सत्यापन की अवधि में कर निर्धारण अधिकारी से पृष्ठांकित फार्म–डी का विवरण						
प्रारम्भिक रहतिया	क0नि0 वर्ष में प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्रों की सं0	क0नि0 वर्ष में जारी प्रमाण पत्रों की सं0	प्रमाण पत्र की अन्तिम रहतिया	वस्तुवार प्रमाण–पत्र के विरूद्ध की गयी खरीद			
				वस्तु का नाम	माप/मात्रा	प्रयोग किये गये फार्म की सं0	आच्छादित धनराशि
1	2	3	4	5(क)	5(ख	5(ग)	5(घ)

3-	कर मुक्त अथवा कर की दर में कमी से संबन्धित फार्मो से आच्छादित धनराशि		
क0 सं0	विवरण	घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र की संख्या	आच्छादित धनराशि
1	2	3	4
1-	प्रमाण पत्रों के विरूद्ध उ0प्र0 के अन्दर बिक्री		
2-	फार्म सी के विरूद्ध बिक्री		
3-	फार्म एफ के विरूद्ध बिक्री या स्टाक हस्तान्तरण		
4-	फार्म एच के विरूद्ध बिक्री		
5-	फार्म ईI एवं सी के विरूद्ध बिक्री		
6-	फार्म ईII एवं सी के विरूद्ध बिक्री		
7-	फार्म आई के विरूद्ध बिक्री		
8-	फार्म जे के विरूद्ध बिक्री		
9-	अन्य कोई प्रमाण पत्र		

खण्ड घ :– तलाशी एवं अभिग्रहण के संबंध में सूचना :–

1-	तलाशी, जांच एवं अभिग्रहण की सूचना गत वर्ष, वर्तमान वर्ष एवं अगले वर्ष में की गयी हो(यदि कोई हो) जो इस वर्ष से संबंधित हो।		
क0 सं0	तलाशी जांच एवं अभिग्रहण का दिनांक	प्राधिकारी का नाम जिसके द्वारा तलाशी एवं अभिग्रहण की कार्यवाही की गयी	परिणाम
i			
ii			
--			

2-	अर्थ दण्ड / अनन्तिम कर निर्धारण का विवरण और अपील / रिट का परिणाम						
क0 सं0	आदेश का दिनांक	धारा जिसमें आदेश पारित किया गया	अर्थ दण्ड / कर की धनराशि	अपील / रिट का परिणाम / यदि अनिर्णित है तो अपील / रिट का कमांक			
				प्रथम अपील	अधिकरण	निपटारा आयोग	उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालय
i							
ii							
--							

खण्ड ङ :– निवेश से संबंधित सूचना

1- पूँजीगत वस्तुएं											
क0 सं0	वस्तु का विवरण	प्रारम्भिक रहतिया		खरीद		बिकी / निस्तारण अन्य प्रकार से		पूँजीगत खाते में अन्तरण		अन्तिम रहतिया	
		मात्रा / माप	मूल्य	मात्रा / माप	मूल्य	मात्रा / माप	मूल्य	मात्रा / माप	मूल्य	मात्रा / माप	मूल्य
	योग :										

2– पूँजी		
क–	कार्यकारी पूँजीगत निवेश (वर्तमान लेनदारी एवं वर्तमान देनदारी का अन्तर)	रू0 .... (लाख में)
ख–	स्थायी पूँजीगत निवेश (भूमि, भवन, प्लान्ट एवं मशीनरी में)	रू0 .... (लाख में)

खण्ड च :– खरीद एवं बिकी, प्रारम्भिक एवं अन्तिम रहतिया के संबंध में सूचना –

1– प्रारम्भिक /अन्तिम रहतिया / खरीद / उत्पादन / बिकी का विवरण			
(क) प्रारम्भिक रहतिय			
क0 सं0	वस्तु का नाम	नाप / मात्रा / वजन	मूल्य
1	2	3	4
i-			
आदि			

(ख) खरीद			
क0 सं0	वस्तु का नाम	नाप / मात्रा / वजन	मूल्य
1	2	3	4
i-			
आदि			

(ग) हस्तान्तरण से प्राप्त			
क0 सं0	वस्तु का नाम	नाप / मात्रा / वजन	मूल्य
1	2	3	4
i-			
आदि			

(घ) अन्य प्रकार से प्राप्त			
क0 सं0	वस्तु का नाम	नाप / मात्रा / वजन	मूल्य
1	2	3	4
i-			
आदि			

(ड.) प्रान्त के अन्दर बिक्री			
क0सं0	वस्तु का नाम	नाप / मात्रा / वजन	मूल्य
1	2	3	4
i-			
आदि			

(च) अन्तर्प्रान्तीय वाणिज्य या व्यापार के दौरान बिक्री			
क0सं0	वस्तु का नाम	नाप / मात्रा / वजन	मूल्य
1	2	3	4
i-			
आदि			

(छ) भारत की सीमा के बाहर निर्यात के दौरान बिक्री			
क0सं0	वस्तु का नाम	नाप / मात्रा / वजन	मूल्य
1	2	3	4
i-			
आदि			

(ज) भारत के सीमा के बाहर माल के आयात के दौरान की गयी बिक्री			
क0सं0	वस्तु का नाम	नाप / मात्रा / वजन	मूल्य
1	2	3	4
i-			
आदि			

(झ) प्रदेश के बाहर बिक्री (कन्साइन्मेन्ट बिक्री/स्टाक ट्रांसफर आदि)			
क0सं0	वस्तु का नाम	नाप / मात्रा / वजन	मूल्य
1	2	3	4
i-			
आदि			

(ञ) उत्पाद में खपत			
क0 सं0	वस्तु का नाम	नाप / मात्रा / वजन	मूल्य
1	2	3	4
i-			
etc			

(ट) प्रोसेसिंग में खपत			
क0 सं0	वस्तु का नाम	नाप / मात्र / वजन	मूल्य
1	2	3	4
i-			
आदि			

(ठ) पैकिंग में खपत			
क0 सं0	वस्तु का नाम	नाप / मात्रा / वजन	मूल्य
1	2	3	4
i-			
आदि			

(ड) अन्तिम रहतिया			
क0 सं0	वस्तु का नाम	नाप / मात्रा / वजन	मूल्य
1	2	3	4
i-			
आदि			

2 (क) खरीद कर आवर्त					
क0 सं0	खरीद का विवरण	वैट वस्तुएं (रू0 में)	नान वैट वस्तुएं (रू0 में)	कर मुक्त वस्तुएं (रू0 में)	योग (रू0 में)
i-	उ0प्र0 में पंजीकृत व्यापारी से खरीद				
ii-	उ0प्र0 के अन्दर पंजीकृत व्यापारी से भिन्न व्यक्तियों से खरीद				
iii-	आयात के दौरान खरीद				
iv-	निर्यात के दौरान खरीद				
v-	एक राज्य से दूसरे राज्य में दस्तावेज के अंतरण द्वारा माल के मूवमेण्ट के दौरान खरीद				
vi-	अन्तर्राजीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान खरीद				
vii-	एक्स यू0पी0 निर्देष्ठा के खाते में खरीद				
viii-	यू0पी0 निर्देष्ठा के खाते में खरीद				
ix-	अन्य उद्देश्य के लिये की गयी खरीद				

2 (ख) पंजीकृत व्यापारी से भिन्न व्यक्ति से की गयी खरीद पर देय कर				
क0 सं0	वस्तु का नाम	खरीदी गयी वस्तु का टर्नओवर	कर की दर	कर की धनराशि
i-				
ii-				
iii-				
iv-				
v-				
vi-				
आदि				

3 (क) बिक्री का आवर्त					
क0 सं0	बिक्री का विवरण	वैट वस्तुएं (रू0 में)	नान वैट वस्तुएं (रू0 में)	कर मुक्त वस्तुएं (रू0 में)	योग (रू0 में)
i-	उ0प्र0 के अन्दर पंजीकृत व्यापारी से बिक्री				
ii-	उ0प्र0 के अन्दर पंजीकृत व्यापारी से भिन्न व्यक्ति को बिक्री				
iii-	आयात के दौरान बिक्री				
iv-	केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत निर्यात के दौरान बिक्री				
v-	केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा 5(3) के अन्तर्गत निर्यात के दौरान बिक्री				
vi-	केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम,1956 की धारा 5(5) के अन्तर्गत बिक्री				
vii	केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम,1956 की धारा 6(3) के अन्तर्गत बिक्री				
viii	केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम,1956 की धारा 8(6) के अन्तर्गत बिक्री				
ix-	प्रान्त के बाहर बिक्री				
x-	एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त मे दस्तावेजों का हस्तानान्तरण के माध्यम से दस्तावेजों के दौरान बिक्री				
xi-	अन्तप्रान्तीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान बिक्री पंजीकृत व्यापारी से बिक्री				
xii-	अन्तप्रान्तीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान बिक्री पंजीकृत व्यापारी से भिन्न बिक्री				
xiii-	उ0प्र0 के बाहर स्थित निर्देष्टा के खाते में बिक्री				
xiv-	उ0प्र0 मे स्थित निर्देष्टा के खाते में बिक्री				
xv-	अन्य प्रकार की बिक्री				

3 (ख) उ0प्र0 वैट के अन्तर्गत कर दायित्व				
क0 सं0	वस्तु का नाम	माल की बिक्री का आवर्त	कर की दर	कर की धनराशि
i-				
ii-				
iii-				
iv-				
v-				
vi-				
आदि				

3 (ग) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत देय कर					
क्र0 सं0	वस्तु का नाम	आवर्त का विवरण	आवर्त रुपयों में	कर की दर	कर की धनराशि
1	2	3	4	5	
i					
ii-					
आदि					

3 (घ) यू0पी0 वैट अधिनियम के अन्तर्गत कार्य संविदा के दौरान की बिक्री के आवर्त पर देय कर				
क्र0 सं0	वस्तु का नाम	करयोग्य आवर्त	कर की दर	कर की धनराशि
i-				
ii-				
iii-				
iv-				
आदि	योग			

3 (ङ.) अन्तर्प्रान्तीय व्यापार के दौरान कार्य संविदा के अन्तर्गत की गयी बिक्री पर कर दायित्व					
क्र0 सं0	वस्तु का नाम	कर की दर	फार्म–सी के विरुद्व की गयी बिक्री का करयोग्य आवर्त	बिना फार्म–सी के की गयी बिक्री का करयोग्य आवर्त	कर की धनराशि
i-					
ii-					
iii-					
iv-					
आदि	योग				

3 (च) यू0पी0 वैट अधिनियम,2008 के अन्तर्गत माल के उपयोग का अधिकार के अंतरण के दौरान देय कर				
क्र0 सं0	वस्तु का नाम जिसका उपयोग का अधिकार अंतरित हुआ	बिक्री का कर योग्य आवर्त	कर की दर	कर की धनराशि
i-				
ii-				
iii-				
iv-				
आदि	योग			

3 (छ) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत किसी माल के प्रयोग के अधिकार का देय कर					
क्र0 सं0	वस्तु का नाम जिसका उपयोग का अधिकार अंतरित हुआ	कर की दर	फार्म–सी के विरुद्व केन्द्रीय बिक्री का आर्वत	बिना फार्म–सी के विरुद्व केन्द्रीय बिक्री का आर्वत	कर की धनराशि
i-					
ii-					
iii-					
iv-					
आदि	योग				

4 – समाधान राशि						
क्र0 सं0	सकर्म संविदा का प्रकार	प्राप्त या प्राप्य कुल धनराशि	अनुमन्य कटौती	समाधान राशि योग्य धनराशि	समाधान की दर	समाधान की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
i						
ii						

5 – कुल देय कर		
क0 सं0	विवरण	धनराशि
i	खरीद पर कर	
ii	बिक्री पर कर	
iii	सकर्म संविदा के अन्तर्गत देय कर	
iv	माल के प्रयोग के अधिकार के हस्तानन्तरण के अन्तर्गत देय कर	
v	स्रोत पर की गयी कटौती की धनराशि	
vi	समाधान की धनराशि	
vii	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कर	
viii	कुल देय कर	

6 – आई0टी0सी0		
क0सं0	विवरण	धनराशि
i-	गत कर निर्धारण वर्ष के आगे लाई गई आई0टी0सी0	
ii-*	कर निर्धारण वर्ष के दौरान अर्जित आई0टी0सी0	
iii-	योग (i+ii)	
iv	चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय बिकी कर के विरुद्व समायोजित आई0टी0सी0	
v-	चालू वर्ष के दौरान प्रान्तीय देय कर के विरुद्व समायोजित आई0टी0सी0	
vi-	यू0पी0टी0टी0 के देयकर के विरुद्व समायोजित आई0टी0सी0	
vii-	अन्य किसी प्रकार के देयकर के विरुद्व समायोजित आई0टी0सी0	
viii-	धारा 41 के अन्तर्गत रिफण्ड किया गया आई0टी0सी0	
ix-	धारा 15 के अन्तर्गत रिफण्ड किया गया आई0टी0सी0 (धारा–41 को छोड़कर)	
x-	योग (iv +v +vi +vii +viii +ix)	
xi-	अवशेष आई0टी0सी0	
xii	अग्रिम वर्ष हेतु आगे लाई गयी आई0टी0सी0	

7 – रिटर्न का जमा एवं कर का भुगतान				
(क) रिटर्न का जमा एवं कर का भुगतान				
अवधि	रिर्टन की जमा		कर का भुगतान	
	देय तिथि	जमा तिथि	देय तिथि	भुगतान की तिथि
अप्रैल				
मई				
जून				
जुलाई				
अगस्त				
सितम्बर				
अक्टूबर				
नवम्बर				
दिसम्बर				
जनवरी				
फरवरी				
मार्च				

(ख) प्रेक्षण
रिटर्न के जमा तथा कर के भुगतान में विलम्ब अथवा भुगतान न करने एवं आर्थिक भुगतान के संबंध में टिप्पणी

8(क)– ट्रेजरी/बैंक में टैक्स पीरियड के रिटर्न के साथ जमा धनराशि का विवरण					
माह	धनराशि	ट्र0चा0नं0	दिनांक	बैंक/ट्रेजरी का नाम	ब्रांच का नाम
अप्रैल					
मई					
जून					
जुलाई					
अगस्त					
सितम्बर					
अक्टूबर					
नवम्बर					
दिसम्बर					
जनवरी					
फरवरी					
मार्च					

8(ख)– फार्म अडतालिस–क में समायोजन का विवरण				
क्र0 सं0	फार्म अडतालिस–क का आदेश संख्या	माह जिसमें समायोजन किया गया	धनराशि	वर्ष जहाँ से समायोजन किया गया

8(ग)– फार्म इकतीस में टी0डी0एस0 का विवरण				
क्र0 सं0	संविदी का नाम व पता	संविदा की संख्या एवं दिनांक	टी0डी0एस0 की धनराशि	फार्म इकतीस की संख्या

9– शुद्व देय कर एवं मॉग/वापसी						
अधिनियम का नाम	देयकर	समायोजित आई0टी0सी0	जमा/समायोजित कर			मॉग/वापसी
			बैंक में	समायोजन	टी0डी0एस0	
1	2	3	4	5	6	7
यू0पी0वैट						

G:- सत्यापन

– प्रारंभिक रहतिया/अन्तिम रहतियां					
क्र0 सं0	विवरण	धनराशि	सत्यापन	अवलोकन	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
i-	उसी दशा में, निर्मित, अर्द्वनिर्मित, पैकिंग सामग्री, निष्प्रयोज्य उत्पाद, सह		वस्तुवार सूची:– i- मूल्यांकन का आधार ii- नियोक्ता का स्टाक		

	उत्पाद का प्रारम्भिव व अन्तिम रहतिया		iii- राज्य के अन्दर स्टाक iv- राज्य के बाहर स्टाक v- एजेन्ट के पास स्टाक vi- अन्य व्यक्ति के पास स्टाक vii-टैक्स सेल इन्वायस के सापेक्ष स्टाक सत्यापन योग्य है अथवा नहीं		

2– खरीद का सत्यापन

क0 सं0	विवरण	धनराशि	सत्यापन	अवलोकन	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
क	**पंजीकृत व्यापारी से खरीद**		**क्या खरीद;-** (i) कर बीजक/बिकी बीजक के विरुद्व की गई है या नहीं (ii) की धनराशि में वेय कर की धनराशि सम्मिलित है ? (iii) में खर्चे जैसे कमीशन, दायी पैकिंग/ फारवर्डिग चार्जेज, ढुलाई, उतराई, पैकिंग सामान का मूल्य सम्मिलित है ? (iv) की धनराशि में से माल वापसी से संबंधित धनराशि घटा दी गई है ? **क्या ;-** (i) संबंधित टैक्स/सेल इन्वायस में केता व्यापार का नाम पता अंकित है ? (ii) विकेता का संबंधित टिन सत्यापनीय है ? (iii) भाड़ा मूल्य अथवा इन्सटालेशन खर्चे अलग से वसूला गया है ? (iv) कर की धनराशि टैक्स/सेल इन्वायस में अलग से वसूला गया है ?		
ख	**पंजीकृत व्यापारी से भिन्न अन्य व्यक्ति से खरीद**		**क्या;-** (i) पंजीकृत व्यवहारी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से खरीद सत्यापन योग्य है अथवा नहीं ? (ii) कोंषागार में कर जमा कर दिया है अथवा नहीं ? (iii) **मूल व्यवहारी** के लिये की गई खरीद पर कर जमा कर दिया है अथवा नहीं ? (iv) **मूल व्यवहारी** के लिये की गई खरीद हेतु प्रमाण पत्र VI जारी कर दिया है अथवा नहीं ? (v) प्रमाण पत्र VI मे दर्शाये गये माल का मूल्य तथा वजन लेखा पुस्तकों से मेल खाता है अथवा नहीं ? (vi) निश्चित किया गया कर योग्य खरीद का आवर्त अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अनुसार है अथवा नहीं ? (vii)खरीद बीजकों का रख रखाव अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अनुसार किय गया है अथवा नहीं ?		

ग	**घोषणा पत्र अथवा प्रमाण पत्र के विरूद्ध की गयी खरीद**		**क्या;-** (i) घोषणा पत्र फर्म 'सी' के विरुद्व की गयी खरीद केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम, 1956 की धारा–7 की उपधारा(2) के अंतर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुरुप है अथवा नही ? (ii) केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत फार्म–सी के विरुद्व खरीदे गये माल अथवा उ0प्र0 वैट अधिनियम के अंतर्गत कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रपत्र–'डी' के विरुद्व खरीदे गये माल का प्रयोग उसी उददेश्य के लिए किया गया है जिसके लिए उसे खरीद गया था अथवा नही ? (iii) प्रान्त बाहर से आयातित माल निर्धारित आयात घोषणा प्रपत्र–सी आच्छादित है अथवा नही ? (iv) आयात घोषणा पत्र का प्रयोग खरीद हुए माल की पुनर्बिकी की गयी है अथवा निर्माण में, प्रसंस्करण या पैकिंग में किया गया है अथवा नही ? (v) आयात घोषणा पत्र का प्रयोग कर खरीदे गये माल का प्रयोग उपर्युक्त कमॉक–4 की परिस्थितियों में नही किया गया है तो अन्यथा निस्तारित माल की मात्रा /माप/वजद क्या है । (vi) आयातित माल पर देयकर का भुगतान कर दिया गया है अथवा नही ?		

बिकी का सत्यापन					
क0 सं0	विवरण	धनराशि	सत्यापन	अवलोकन	टिप्पणी
1.	बिकी का आवर्त		**क्या;-** (i) बिकी के सकल आवर्त में सत्यापन अवधि के अन्तर्गत बिकी के समस्त सम्व्यवहार एवं पूँजी की बिकी सम्मिलित है अथवा नही ? (ii) अनुमन्य की गयी छूट, इन्सेन्टिव या रिबेट या पुरस्कार जैसी धनराशिया सम्मिलित है अथवा नही ? (iii) केता से विकेता को प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल की धनराशि सम्मिलित है अथवा नही ? (iv) देय डयूटी शुल्क जिसका भुगतान अस्थगित कर दिया गया है सम्मिलित है अथवा नही ? (v) पैकिंग सामग्री का मूल्य सम्मिलित है अथवा नही ? (vi) संविदाकारों के मामलों में आवर्त का निर्धारण वैट नियमावली के नियम–9 के अनुसार किया गया है अथवा नही ? (vii) माल के प्रयोग के अधिकार के अंतरण के मामलों में आवर्त का निर्धारण नियमावली के नियम–10 के अनुसार किया गया है अथवा नही (viii) निर्धारित अनुमन्य अवधि के बाद वापस किये गये माल को घटाया गया है अथवा नही? (ix) सम्पूर्ण बिजनेस की बिकी से प्राप्त धनराशि सही है अथवा नही ? (x) केडिट/डेबिट नोट करदाता के पास उपलब्ध हैं अथवा नही ?		
2.	शाखा अंतरण आदि		(क) शाखा/डिपों/अभिकर्ता आदि को हस्तान्तरित माल के मूल्यॉकन की क्या पद्वति अपनायी गयी है ।		

			(ख) लेखा पुस्तकों से धनराशि का सत्यापन । (ग) क्या उ0प्र0 केन्द्रीय बिक्री कर नियमावली के नियम–4 में आवश्यक समस्त सूचना लेखा पुस्तकों में है अथवा नही ? (घ) क्या फार्म–एफ प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उचित प्रकार से भरकर एवं हस्ताक्षरित कर माल के डिस्पैच के साक्ष्य के साथ कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दिया गया है अथवा नही ? (च) बिक्री की धनराशि किस विधि एवं माध्यम से प्राप्त की गयी है । (छ) यदि भुगतान चेक अथवा ड्राफट अथवा पेय आर्डर से प्राप्त नही हुआ है तो नगद प्राप्त धनराशि का उल्लेख करें, और यह धनराशि कैसे आयी ?		
3.	देयकर को सम्मिलित करते हुए बिक्री के आवर्त		बिक्री के आवर्त एवं देयकर में लेखापुस्तकों से अन्तर की स्थिति में उसका मिलान ।		
4.	धारा–4 के अंतर्गत बिक्री		बिक्री किए गए माल का विवरण एव अनुसूची की प्रविष्टि संख्या		

5.	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा–8 के अंतर्गत की गयी समस्त बिक्री का विवरण					
	क-	फार्म–सी के विरुद्व की गयी करयोग्य बिक्री		संबंधित प्राविधानों के अंतर्गत निर्धारित शर्तें पूरी हैं अथवा नही ?		
	ख-	ऐसे करयोग्य माल की बिक्री जो फार्म–सी से आच्छादित नही है		कर का भुगतान कर दिया गया है अथवा नही ?		
	ग-	करमुक्ति माल की बिक्री		क्या माल वैट अधिनियम की अनुसूची–1 में सम्मिलित है या वैट अधिनियम अथवा केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जारी किसी विज्ञप्ति द्वारा करमुक्त किया गया है		
	घ-	करयोग्य माल की बिक्री की गयी है परन्तु E-1 और सी अथवा E-2 और सी से आच्छादित दिखाते हुए करमुक्त मॉगी गयी है		क्या माल के मूवमेन्ट के दौरान सम्व्यवहार पूर्ण किया गया है अथव डिलीवरी में विलम्ब हुआ है या डिलीवरी तक दी गयी, जबकि माल डिलीवरी योग्य स्थिति में उतार लिया गया		
	च-	धारा–6(3)के अंतर्गत बिक्री		केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा–6(3) के अंतर्गत वर्णित शर्तो का पालन कर लिया गया है यदि नही तो उसका विवरण।		
	छ-	धारा– 8(6) के अंतर्गत बिक्री		केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा–8(6) के अंतर्गत वर्णित शर्तो का पालन कर लिया गया है यदि नही तो उसका विवरण।		
	ज-	धारा– 5(3) के अंतर्गत बिक्री		केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा–5(3) के अंतर्गत वर्णित शर्तो का पालन कर लिया गया है यदि नही तो उसका विवरण।		
	झ-	धारा– 5(5) के अंतर्गत बिक्री		केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा–5(5) के अंतर्गत वर्णित शर्तो का पालन कर लिया गया है यदि नही तो उसका विवरण।		
	ट-	धारा–8(5) के अंतर्गत जारी विज्ञप्ति के अंतर्गत करयोग्य माल की		केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा–8(5) के अंतर्गत वर्णित शर्तो का पालन कर लिया गया है यदि नही तो उसका विवरण।		

		बिकी				
	ठ-	भारत की सीमा के बाहर निर्यात के दौरान बिकी		केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम, 1956 की धारा–5(1) के अंतर्गत वर्णित शर्तो का पालन कर लिया गया है यदि नही तो उसका विवरण।		
	ड-	भारत की सीमा के भीतर आयात के दौरान बिकी		केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम, 1956 की धारा–5(2) के अंतर्गत वर्णित शर्तो का पालन कर लिया गया है यदि नही तो उसका विवरण।		
6.		कर की धनराशि अलग से दर्शायी गयी है अथवा केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम की धारा–8क के प्राविधानों के अनुसार गणना की गयी है		क्या धारा–8क के प्राविधानों के अनुसार गणना की गयी कर की धनराशि सकल देय कर के बराबर है ।		
7.		कटौतियों का दावा				
	क-	अकरयोग्य अभिभार		(क) ऐसे अभिभार का विवरण जिसे अकरयोग्य दर्शाया गया है (ख) बिकी मूल्य की परिभाषा को बिकी की शर्तो के साथ पढते हुए इसके प्रकाश में कटौतियों की अनुमन्यता (ग) संविदाकारी के संबंध में यह सत्यापित करें कि दर्शायी गयी कटौतियां अनुमन्य है और अनुमन्य कटौतियों की गणना हेतु अपनायी गयी पद्वति को स्पष्ट करें । (ध) माल के प्रयोग के अधिकार के अंतरण के संबंध में दर्शायी गयी करमुक्त कटौतियां अनुमन्य हैं अथवा नही?		
	ब-	नॉन वैट गुडस की बिकी		बिकी किये गये माल का विवरण और अनुसूची की प्रविष्टि संख्या		
8.		देयकर की गणना		(क) बिकियों के वर्गीकरण एवं कर की दरों के वर्गीकरण हेतु अपनायी गयी पद्वति (ख) संविदाकारी के संबंध में विभिन्न दरों से करयोग्य माल का बिकी मूल्य निश्चित करने हेतु अपनायी गयी पद्वति । (ग) पटटे से संबंधित सम्व्यवहारों एवं हायर परचेज सम्व्यवहारों में करयोग्य बिकी मूल्य निश्चित करने हेतु अपनायी गयी पद्वति		
	क-	करयोग्य बिकी 1 प्रतिशत की दर से		माल का विवरण एवं अनुसूची की प्रविष्टि संख्या		
	ख-	करयोग्य बिकी 2 प्रतिशत की दर से		उक्त		
	ग-	करयोग्य बिकी 4 प्रतिशत की दर से		उक्त		
	ध-					
	च-					
	छ-					
	आदि					
9-		उ0प्र0 वैट अधिनियम के अंतर्गत कार्य संविदा पर देयकर		(क) उ0प्र0 वैट अधिनियम के अंतर्गत करदायित्व निस्तारित करने हेतु एवं देय समाधान राशि/कर के निस्तारण हेतु अपनायी गयी पद्वति । (ख) सत्यापन अवधि हेतु घोषणा पत्र के रुपपत्रों में घोषित विकय धन के आवर्त पर कर दायित्व		

10-		उ0प्र0 वैट अधिनियम के अंतर्गत पटटा संविदा पर देयकर की धनराशि		(क) उ0प्र0 वैट नियमावली के अंतर्गत करदायित्व निस्तारित करने हेतु अपनायी गयी पद्वति एवं देयकर की धनराशि । (ख) सत्यापन अवधि हेतु घोषणा पत्र के रुपपत्रों में घोषित विकय धन के आवर्त पर कर दायित्व ।		

भाग–1; आई0टी0सी0 हेतु खरीद का सत्यापन

1.		कय आवर्त		विभिन्न श्रेणियों में खरीद के वर्गीकरण हेतु अपनायी गयी पद्वति ।		
	क-	भारत में आयात		कय बीजक व अन्य समर्थक अभिलेख		
	ख-	अन्तर्प्रान्तीय खरीद		(क) कय बीजक व अन्य समर्थक अभिलेख (ख) केन्द्रीय बिकीकर अधिनियम के अंतर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र में संलग्न सूची में खरीदी गयी वस्तुओं की श्रेणी में सम्मिलित हैं एवं उनका प्रयोग घोषित उददेश्य के लिए किया गया है यदि कोई अनियमित्ता हों तो उसका विवरण रिपोर्ट में दें ।		
	ग-	शाखा अंतरण		क) धनराशि का सत्यापन लेखा पुस्तकों से । (ख) स्टॉक अभिलेखों में प्रविष्टि ।		
	ध-	पंजीकृत व्यवहारी से स्थानीय खरीद		कर बीजक व अन्य समर्थित अभिलेख रखे गये हैं अथवा नही		
	ङ–	**पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न अन्य व्यक्ति से खरीद**		**पंजीकृत व्यवहारी के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से की गयी समस्त खरीद का चिन्हीकरण जिसमें कार्य संविदा भी सम्मिलित है ।**		
2.		आई0टी0सी0 / उत्कमित्त आई0टी0सी0 की गणना				
1-	क-	पंजीकृत से खरीद पर भुगतान किया गया अथवा देयकर		व्यवहारी द्वारा अनुमन्य आई0टी0सी0 की गणना हेतु रखे गये आई0टी0सी0 रजिस्टर की पर्याप्ता		
	ख-	खरीद पर दिया गया कर जिसपर आई0टी0सी0 देय नही है		ऐसी खरीद को चिन्हित करने हेतु अपनायी गयी पद्वति जिसपर आई0टी0सी0 देय नही है ।		
	ग-	आई0टी0सी0 देययोग्य खरीद पर दिया गया कर		क्या आई0टी0सी0 देय योग्य खरीद ऐसे कर बीजक से समर्थित है जो कि इस संबंध में निर्धारित शर्तो को पूरा करती है		
	ध-	खरीद मूल्य की निर्धारित दर पर आई0टी0सी0 का रिवर्सल				
	(ध)i.	करमुक्त माल के निर्माण में प्रयुक्त माल		उत्कमित आई0टी0सी0 की गणना के लिए अपनायी गयी पद्वति और उत्कमित आई0टी0सी0 के अनुपातिक की तर्कसंगता		
	(ध)ii.	करमुक्त माल की पैकिंग हेतु प्रयुक्त पैकिंग सामग्री		उक्त		
	(ध)iii.	बिकी के अतिरिक्त अन्य प्रकार से खरीदे माल का प्रदेश बाहर हस्तांतरण		ऐसी खरीद को चिनिहत करने की प्रकिया		
	(ध)iv.	ऐसे माल के निर्माण में प्रयुक्त माल जिसे बिकी के अतिरिक्त अन्य प्रकार से प्रदेश के बाहर हस्तांतरित		उत्कमित आई0टी0सी0 की गणना के लिए अपनायी गयी पद्वति और उत्कमित आई0टी0सी0 के अनुपातिक की तर्कसंगता		

		किया गया				
	ङ-	ऐसी कार्य संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त माल पर उत्कमित आई0टी0सी0 जिसके लिए संविदाकार द्वारा समाधान योजना का विकल्प अपनाया गया है		सकल देय उत्कमित आई0टी0सी0 को चिन्हित करने हेतु अपनायी गयी पद्वति एवं उत्कमित आई0टी0सी0 की गणना हेतु अपनायी गयी पद्वति		
	च-	ऐसा माल पर उत्कमित आई0टी0सी जिसके पूॅजी माल होने का दावा किया गया था परन्तु ऐसे माल पर आई0टी0सी0 अनुमन्य नही है		उ0प्र0 वैट अधिनियम की धारा–2च(नौ) में उल्लिखित वस्तुओं का चिन्हीकरण		
	छ-	ऐसे माल पर उत्कमित आई0टी0सी0 जिसे पूॅजीमाल माना गया था परन्तु उसका प्रयोग मरम्मत व रख–रखाव के लिए किया गया है		ऐसी श्रेणी के माल पर अनुमन्य सकल उत्कमित आई0टी0सी0 को चिन्हित करने हेतु अपनायी गयी पद्वति और उत्कमित आई0टी0सी0 की गणना हेतु अपनायी गयी पद्वति		
	ज-	ऐसे माल के संबंध में उत्कमित आई0टी0सी0 जिसके संबंध में व्यवहारी के पास करबीजक नही है अथवा उसकी खरीद की गयी परन्तु माल की डिलीवरी नही ली गयी है		ऐसी श्रेणी की खरीद को चिन्हित करने हेतु अपनायी गयी पद्वति और उत्कमित आई0टी0सी0 की गणना हेतु अपनायी गयी पद्वति।		
	झ-	ऐसी खरीद के संबंध में उत्कमित आई0टी0सी0 जिसका कर बीजक केता व्यवहारी से खो गया है		उक्त		
	ञ-	ऐसे पूॅजी माल के खरीद के संबंध में उत्कमित आइ0टी0सी0 जिसका प्रयोग कार्य संविदा में कर लिया गया है		ऐसे माल के चिन्हीकरण एवं उत्कमित आई0टी0सी0 की गणना हेतु अपनायी गयी पद्वति		
	ट-	धारा–6 के अंतर्गत		उक्त		

		समाधान योजना के आरम्भ में प्रारम्भिक रहतिये पर उत्कमित आई0टी0सी0				
	ठ-	व्यापार बंदी की तिथि में अंतिम रहतिया पर उत्कमित आई0टी0सी0		उक्त		
	ड-	ऐसे माल पर उत्कमित आई0टी0सी0 जिसका प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति के माल के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकिंग के लिए किया गया है		उक्त		
	ढ-	ऐसे माल के संबंध में उत्कमित आई0टी0सी0 जिसे दान में दिया गया, मुफत दिया गया, या खो गया, या चोरी हो गया हो।		उक्त		
	ण-	ऐसे माल के संबंध में उत्कमित आई0टी0सी0 जिसका प्रयोग नॉन वैट गुडस के निर्माण, प्रसंस्करण, अथवा पैकिंग में किया गया हो		उक्त		
	त-	केता से प्राप्त केडिट नोट के संबंध में उत्कमित आई0टी0सी0		उक्त		
	थ-	ऐसी परिस्थितियों में उत्कमित आई0टी0सी0 जिसमें आई0टी0सी0 अनुमन्य नही है		उक्त		
2-		शेष आई0टी0सी0				
		दि0 01.01.08 को स्टॉक में उपलब्ध माल के संबंध में दि0 30.6.08 के बाद किए गए आई0टी0सी0 के दावे को जोडे		क) लेखा पुस्तकों के अनुसार अंतिम रहतिया का स्टॉक सत्यापन ख) संबंधित खरीद का सत्यापन, आई0टी0सी0 हेतु अनुमन्यता और दावा की गयी आई0टी0सी0 की धनराशि		
3-		देयकर के विरुद्ध आई0टी0सी0 का समायोजन				

4-		देय केन्द्रीय बिक्री कर के विरुद्व आई0टी0सी0 का समायोजन				
5-		नक्शों में आई0टी0सी0 रिफण्ड का किया गया दावा				
6-		शेष यदि कोई है		आई0टी0सी0 शेष होने का यदि कोई कारण है, उल्लेख करें ।		

खण्ड–ट केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत रिटर्न का सत्यापन						
क0 सं0		विवरण	धनराशि	सत्यापन	अवलोकन	टिप्पणी
1.		सकल बिक्री आवर्त जिसमें शाखा अंतरण सम्मिलित है		नक्शों के अनुसार सकल बिक्री आवर्त		
2.		उ0प्र0 वैट अधिनियम के अंतर्गत सकल बिक्री आवर्त		उ0प्र0 वैट अधिनियम के अंतर्गत दाखिल नक्शों के अनुसार सकल बिक्री आवर्त		
3.		केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बिक्री आवर्त जिसमें शाखा अंतरण सम्मिलित है		उ0प्र0 वैट अधिनियम के अंतर्गत बिक्री आवर्त एवं शाखा अंतरण		
4.		शाखा अंतरण		क) शाखा अंतरण के सत्यापन हेतु अपनायी गयी पद्वति ख) लेखा पुस्तकों से धनराशि का सत्यापन		
5.		केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत देयकर को सम्मिलित करते हुए बिक्री आवर्त		लेखा पुस्तकों से बिक्री आवर्त और देय बिक्री कर का मिलान		
6.		कटौतियों का दावा				
	i	कर की धनराशि क्या अलग से दर्शायी गयी है अथवा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा–8क के प्राविधानो के अनुसार गणना की गयी है		यह धनराशि सकल देय बिक्री कर के बराबर होनी चाहिए		
	ii	अकरयोग्य अभिभार		(क) अकरयोग्य अभिभार होने के दावो का विवरण (ख) बिक्री की परिभाषा को बिक्री की शर्तो के प्रकाश में पढते हुए कटौतियों की अनुमन्यता ।		
	iii	प्रान्त के बाहर धारा–4 के अंतर्गत		प्रान्त के बाहर पूर्ण की गयी बिक्रियां ।		
	iv	धारा–5(1) के अंतर्गत निर्यात के दौरान बिक्री–हाई सीज सेल्स		अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार अभिलिखित किये जाने एवं जारी प्रकिया तथा इस संबंध में विधिक स्थिति ।		
	v	धारा–5(1) के अंतर्गत निर्यात के दौरान बिक्री– बिक्रियां जो आयात घटित करती हैं		अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार अभिलिखित किये जाने एवं जारी प्रकिया तथा इस संबंध में विधिक स्थिति ।		

	vi	धारा–5(2) के अंतर्गत निर्यात के दौरान बिकी–व्यवहारी द्वारा सीधे निर्यात		अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार अभिलिखित किये जाने एवं जारी प्रकिया तथा इस संबंध में विधिक स्थिति ।		
	vii	धारा–5(3) के अंतर्गत निर्यात के दौरान फार्म–एच के विरुद्व बिकी		अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार अभिलिखित किये जाने एवं जारी प्रकिया तथा इस संबंध में विधिक स्थिति ।		
	viii	धारा–6(2) के अंतर्गत ट्रान्जिक सेल		अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार अभिलिखित किये जाने एवं जारी प्रकिया तथा इस संबंध में विधिक स्थिति ।		
	ix	पूर्ववर्ती अधिनियम के अंतर्गत कर से छूट अथवा कर की दर में कमी का लाभ ले ही औद्योगिक इकाई द्वारा बिकी		यह छूट केवल उन्हीं श्रेणी की वस्तुओं पर अनुमन्य है जिनका उल्लेख पात्रता प्रमाण पत्र में किया गया है और उनकी बिकी फार्म–सी से समर्थित है ।		
	x	केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम, 1956 की धारा–5(5), 6(3),8(6) के अंतर्गत बिकी		क्या सही दर्शायी गयी है ? और संबंधित प्राविधानों की शर्तो को पूरा करती है ।		
7.		देय केन्द्रीय बिकी कर की गणना				
	i	फार्म–सी के विरुद्व बिकी				
	ii	4% की दर से करयोग्य बिकी				
	iii	……… की दर से करयोग्य बिकी		उ0प्र0 वैट अधिनियम के अंतर्गत बिकी किये गये माल का विवरण अनुसूची की प्रविष्टि संख्या।		
	iv	……… की दर से करयोग्य बिकी		उ0प्र0 वैट अधिनियम के अंतर्गत बिकी किये गये माल का विवरण अनुसूची की प्रविष्टि संख्या ।		
	v	बिना फार्म–सी के बिकी				
	vi	……… की दर से करयोग्य बिकी		उ0प्र0 वैट अधिनियम के अंतर्गत बिकी किये गये माल का विवरण अनुसूची की प्रविष्टि संख्या ।		
	vii	……… की दर से करयोग्य बिकी		उ0प्र0 वैट अधिनियम के अंतर्गत बिकी किये गये माल का विवरण अनुसूची की प्रविष्टि संख्या ।		
	viii	……… की दर से करयोग्य बिकी		उ0प्र0 वैट अधिनियम के अंतर्गत बिकी किये गये माल का विवरण अनुसूची की प्रविष्टि संख्या ।		
		सकल देय बिकी कर				

स्थान…………… हस्ताक्षर…………………………

दिनांक………. विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का नाम………………

सदस्य संख्या……………………

शिड्यूल–ख

फार्म इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है

फार्म–तेइस

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 21 की उपधारा 17 और उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम–42 देखें)

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की सम्परीक्षा आख्या

क व्यवहारी का नाम

ख प्रास्थिति

ग करदाता पहचान संख्या (टिन)

घ हकदारी प्रमाण पत्र की संख्या, यदि कोई हो

च उत्तर प्रदेश में व्यापार का मुख्य स्थल

छ सम्परीक्षा की अवधि

ज क्या किसी प्रकार की समाधान योजना स्वीकार किया है :

मैं/हम अवलोकन/टिप्पणी से यह प्रमाणित करते हैं कि :

(i) मेरी/हमारी राय में व्यवहारी द्वारा रखी गई लेखा पुस्तकें एवं अन्य संबंधित अभिलेख रिटर्न के त्रुटि रहित होने के सत्यापन के लिये पर्याप्त है।

(ii) सत्यापनीय अवधि में की गई समस्त खरीद एवं बिक्री से संबंधित विवरण, दाखिल रिर्टन में घोषित विकय आवर्त एवं कय आवर्त में समिलित है।

(iii) यह भी सत्यापित किया जाता है कि फार्म XXVI / XXVI-A / XXVI-B में प्रदत्त सूचनायें व्यवहारी द्वारा रखे लेखा पुस्तकों एवं अन्य अभिलेख से प्रमाणित हैं।

झ सम्परीक्षा अवधि के दौरान आई0टी0सी0/आर0आई0टी0सी0 की गणना/समायोजन का विवरण,

कमांक	विवरण	रिटर्न के अनुसार	लेखा पुस्तकों के अनुसार	टिप्पणी
1	खरीद पर देय आई0टी0सी0 का प्रारम्भिक अवशेष			
2	दिनांक 01.01.2008 को प्रारम्भिक रहतिया से संबंधित आई0टी0सी0 का प्रारम्भिक अवशेष			
3	गत वर्षों मे कय की गई पूंजीगत वस्तुओं पर उपलब्ध आई0टी0सी0 का प्रारम्भिक रहतिया			
4	प्रारम्भिक रहतिया एवं सम्परीक्षा अवधि के दौरान खरीद पर उपलब्द्व आई0टी0सी0			
5	संगत कर निर्धारण वर्ष हेतु उपलब्द्व आई0टी0सी0 (1+2+3+4)			
6	उ0प्र0 वैट एक्ट, 2008 के अन्तर्गत देय कर			
7	केन्द्रीय ब्रिकी कर अधिनियम के अन्तर्गत देय कर			
8	कुल देय कर (6+7)			
9	उ0प्र0 वैट एक्ट, 2008 के अन्तर्गत समायोजित आई0टी0सी0			
10	केन्द्रीय ब्रिकी कर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत समायोजित आई0टी0सी0			
11	कुल समायोजित आई0टी0सी0 (9+10)			
12	उ0प्र0 वैट एक्ट, 2008 के अन्तर्गत शुद्ध देय कर (6-9)			
13	चालान से जमा वैट			
14	अवशेष देय वैट **(12-13)**			
15	केन्द्रीय ब्रिकी कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत शुद्ध देय कर (7-10)			
16	चालान से जमा केन्द्रीय ब्रिकी कर			
17	अवशेष देय केन्द्रीय ब्रिकी कर **(15-16)**			
18	उ0प्र0 वैट अथवा केन्द्रीय ब्रिकी कर के अन्तर्गत देय के विरूद्ध समायोजित आई0टी0सी0			
19	उ0प्र0 वैट एक्ट, 2008 के अन्तर्गत घोषित आर0आई0टी0सी0			
20	आर0आई0टी0सी0 जमा/समायोजित			
21	वर्ष के दौरान वापस की गई आई0टी0सी0			
22	अग्रेनित आई0टी0सी0 (5-11-18-19-21+20)			
23	पूंजीगत माल पर देय आई0टी0सी0 जो आगे अग्रेनित की गई, का वर्षवार विवरण			

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं प्रास्थिति

प्राधिकार सदस्यता संख्या ....

संलग्नक :–

(1) फार्म संख्या XXVI/XXVI-A/XXVI-B

(2) आयकर आडिट रिपोर्ट ट्रेडिंग एकाउण्ट, प्राफिट एवं लास एकाउण्ट तथा
वैलेंस शीट के साथ

फार्म–XXIV का संशोधन 33. उक्त नियमावली में, नीचे अनुसूची–क में दिये गये विद्यमान फार्म–चौबीस के स्थान पर नीचे अनुसूची–ख में दिया गया फार्म रख दिया जाएगा, अर्थात :–

शिड्यूल–क
वर्तमान फार्म
फार्म - चौबीस

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-45(2) देखें]

कर अवधि का विवरण पत्र - मासिक / त्रैमासिक

[साफ अक्षरों में भरा जाए]

1.	कर निर्धारण वर्ष	:	-
2.	टैक्स पीरियड के समापन का दिनांक	:	
3.	कर निर्धारक प्राधिकारी का पद नाम	-	
4.	मण्डल / खण्ड का नाम	-	
5.	व्यापारी / फर्म का नाम व पता	-	
6.	करदाता की पहचान संख्या [टिन]	-	
7.	खरीद का विवरण (रूपए में)		

ए- वैट वस्तुएं

i.	टैक्स इनवाइस के विरूद्ध की गई खरीद (अनुलग्नक-ए)	-	
ii.	अपंजीकृत से की गई खरीद	-	
iii.	करमुक्त वस्तुओं की खरीद	-	
iv.	उ0प्र0 के बाहर से की गई खरीद	-	
v.	निर्देष्टा के खाते में की गई खरीद	-	
vi.	अन्य खरीद	-	
	योग	-	

बी- नॉन वैट वस्तुएं

i.	पंजीकृत व्यापारी से की गई खरीद	-	
ii.	अपंजीकृत से की गई खरीद	-	
iii.	करमुक्त वस्तुओं की खरीद	-	
iv.	उ0प्र0 के बाहर से की गई खरीद	-	
v.	निर्देष्टा के खाते में की गई खरीद	-	
vi.	अन्य खरीद	-	
	योग	-	
	कुल योग	-	

8. खरीद पर कर की गणना

क्र0सं0	कर की दर	वस्तुओं का नाम	खरीद की धनराशि	कर की धनराशि
	वैट वस्तुएं			
i.	1%			
ii.	4%			
iii.	12.5%			
		योग		

	नॉनवैट वस्तुएं			
i.	20%			
ii.	21%			
iii.	26%			
iv.	32.5%			
v.	---			
		योग		
		(वैट व नान वैट) कुल योग		

9.	बिक्री का विवरण [रूपए में]

ए- वैट वस्तुएं

i.	टैक्स इनवाइस के विरूद्ध विक्रय धन (अनुलग्नक-बी)	-
ii.	क्रमांक-i से भिन्न विक्रय धन	-
iii.	करमुक्त वस्तुओं का विक्रय धन	-
iv.	फार्म-सी के विरूद्ध अन्तर्राज्यीय बिक्री	-
v.	फार्म-सी के बिना अन्तर्राज्यीय बिक्री	-
vi.	भारत के बाहर निर्यात के दौरान बिक्री	-
vii.	आयात के दौरान बिक्री	-
viii.	राज्य के बाहर की बिक्री	-
ix.	अन्तर्राज्यीय वाणिज्य / व्यापार के दौरान अनुवर्ती बिक्री	-
x.	अन्य बिक्री	-
	योग	-

बी- नॉनवैट वस्तुएं

i.	करयोग्य विक्रय धन	-
ii.	करमुक्त विक्रय धन	-
iii.	कर अदा किया गया विक्रय धन	-
iv.	प्रिंसिपल के खाते में की गयी बिक्री का विक्रय धन	-
v.	अन्य विक्रय धन	-
	योग	-
	कुल योग	-

10.	बिक्री पर कर की गणना

क्रम सं0	कर की दर	वस्तुओं का नाम	बिक्री की धनराशि	कर की धनराशि
	वैट वस्तुएं			
i.	1%			
ii.	4%			
iii.	12.5%			
		योग		
	नॉनवैट वस्तुएं			
i.	20%			
ii.	21%			
iii.	26%			
iv.	32.5%			
v.	---			
		योग		
		(वैट व नान वैट) कुल योग		

11.	समाधान योजना की किश्त, यदि कोई हो	-
12.	टी0डी0एस0 की धनराशि	-

13.	देय कर [रूपए में]

i.	खरीद पर कर	-	
ii.	बिक्री पर कर	-	
iii.	समाधान योजना की किश्त, यदि कोई हो	-	
iv.	टी0डी0एस0 की धनराशि	-	
	योग	-	

14.	आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का विवरण

i.	पूर्ववर्ती टैक्स पीरियड से आगे लाई गयी आईटीसी	-	
ii.	टैक्स पीरियड के दौरान आईटीसी का दावा	-	
iii.	देय कर के विरूद्ध समायोजन	-	
iv.	अग्रिम टैक्स पीरियड हेतु आगे ले जायी गयी आईटीसी, यदि कोई हो	-	
	योग	-	

15.	शुद्ध कर

i.	कुल देय कर [क्रम सं0. 13]	-	
ii.	आईटीसी का समायोजन [14 (iii)]	-	
iii.	शुद्ध देय कर	-	

16.	जमा कर का विवरण

बैंक का नाम / शाखा	चालान नं0	दिनांक	कर की धनराशि
योग	अंको में		
योग	शब्दों में		

अनुलग्नक -ए - टैक्स इनवाइस के विरूद्ध वैट वस्तुओं की खरीद की सूची

बी - टैक्स इनवाइस के विरूद्ध वैट वस्तुओं की बिक्री की सूची

ट्रैजरी चालान संख्या / दिनांक...

घोषणा

मै .... पुत्र / पुत्री / पत्नी .... प्रास्थिति .... [ःर्थात स्वामी, निदेशक, साझीदार आदि जैसाकि नियम 32(6) में दिया गया है] एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ एवं सत्यापित करता/करती हूँ कि इस विवरण पत्र में दिये गये विवरण एवं आंकड़ें मेरी श्रेष्ठतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण है तथा जान बूझ कर न तो कोई तथ्य छिपाया गया है और न ही मिथ्या प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक - हस्ताक्षर -

स्थान - प्रस्थिति -

नोट: इस फार्म पर उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-32(6) के अंतर्गत अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही हस्ताक्षर किया जाएगा।

अनुलग्नक - ए

[उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-45(3) देखें]

टैक्स इनवाइस के विरूद्ध की गई खरीद की सूची :

(i)	क्रेता व्यापारी का नाम व पता	
(ii)	टिन (TIN)	
(iii)	कर निर्धारण वर्ष	-	टैक्स पीरियड के समापन का दिनांक d d m m y y y y

(iv)	विक्रेता व्यापारी का नाम व पता	टिन	टैक्स इनवाइस की संख्या	टैक्स इनवाइस का दिनांक	वस्तुओ का विवरण			माल का करयोग्य मूल्य	वसूल किये गये कर की धनराशि	टैक्स इनवाइस की कुल धनराशि
					नाम	कोड	मात्रा / वजन / परिमाप			
1										
2										
3										
4										
5										

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक :

अनुलग्नक - बी

[उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-45(3) देखें]

टैक्स इनवाइस के विरूद्ध की गई बिक्री की सूची :

(i)	विक्रेता व्यापारी का नाम व पता	
(ii)	टिन (TIN)	
(iii)	कर निर्धारण वर्ष	-	टैक्स पीरियड के समापन का दिनांक d d m m y y y y

(iv)	क्रेता व्यापारी का नाम व पता	टिन	टैक्स इनवाइस की संख्या	टैक्स इनवाइस का दिनांक	वस्तुओ का विवरण			माल का करयोग्य मूल्य	वसूल किये गये कर की धनराशि	टैक्स इनवाइस की कुल धनराशि
					नाम	कोड	मात्रा / वजन / परिमाप			
1										
2										
3										
4										
5										

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक :

शिड्यूल–ख

फार्म इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है

फार्म - चौबीस

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-45(2) देखें]

कर अवधि का विवरण पत्र - मासिक / त्रैमासिक

[साफ अक्षरों में भरा जाए]

1.	कर निर्धारण वर्ष	:	-
2.	टैक्स पीरियड के समापन का दिनांक	:	
3.	कर निर्धारक प्राधिकारी का पद नाम	-	
4.	मण्डल / खण्ड का नाम	-	
5.	व्यवहारी / फर्म का नाम व पता	-	
6.	करदाता की पहचान संख्या [टिन]	-	
7.	खरीद का विवरण (रूपए में)		

ए- वैट वस्तुएं

i.	निजी खाते में टैक्स बीजक के विरूद्ध खरीद (अनुलग्नक–ए पार्ट–I)	-	
ii.	पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से निजी खाते मे खरीद	-	
iii.	कर मुक्त वस्तु की खरीद	-	
iv.	उ0प्र0 के बाहर से खरीद	-	
v.	निर्देष्टा के खाते मे खरीद	-	
	(a) प्रान्तीय निर्देष्टा		
	(a-i) कर बीजक के विरूद्ध खरीद (अनुलग्नक–ए पार्ट–II)		
	(a-ii) अन्य खरीद		
	(b) यू0पी0 बाहर निर्देष्टा		
vi.	अन्य कोई खरीद	-	
	योग	-	
vii.	कय वापसी घटाये अनुलग्नक ए–1	-	
viii.	शुद्ध कय धनराशि	-	

b- नान वैट वस्तुये

i.	पंजीकृत व्यवहारी से खरीद	-	
ii.	पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से खरीद	-	
iii.	करमुक्त माल की खरीद	-	
iv.	उ0प्र0 के बाहर से खरीद	-	
v.	निर्देष्टा के खाते मे खरीद	-	
	(a) प्रान्तीय निर्देष्टा		
	(b) यू0पी0 बाहर निर्देष्टा		
vi.	अन्य कोई खरीद	-	
	योग:	-	
vii.	कय वापसी घटाये अनुलग्नक ए–1		
viii.	शुद्ध कय धनराशि		
	सकल योग :	-	

c-	प्रांत के अंदर से कैपिटल गुडस की खरीद		
i	टैक्स बीजक के विरूद्ध खरीद (अनुलग्नक–ए–2)	-	
ii	पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से खरीद	-	
	योग:	-	

d-	कमीशन एजेण्ट के माध्यम से की गयी खरीद जिसके लिए फार्म–vi प्राप्त हुआ

क्रम सं0	प्रमाण पत्र सं0	तिथि	क्रय माल का मूल्य	देय कर की राशि
1				
2				
3				
		योग		

8	खरीद पर कर की गणना

क्रम सं0	कर की दर	वस्तु	क्रय आवर्त	कर
	वैट वस्तुयें			
i.	1%			
ii.	4%			
iii.	12.5%			
अतिरिक्त कर				
iv.	0.5%			
v.	1%			
		योग :		
	नान वैट वस्तुयें			
vi.				
vii.				
viii.				
ix.				
x.				
		योग:		
		सकल योग :		

9	बिक्री का विवरण

a- वैट वस्तुयें

i.	निजी खाते में बिक्री का आवर्त टैक्स बीजक के विरूद्ध (अनुलग्नक–बी – पार्ट–1)	-	
ii.	कालम i से भिन्न निजी खाते में बिक्री का आवर्त	-	
iii.	करमुक्त माल का बिक्री का आवर्त	-	
iv.	निर्देष्टा के खाते में बिक्री		
	(a) प्रान्तीय निर्देष्टा		
	(a-i)	टैक्स बीजक के विरूद्ध बिक्री (अनुलग्नक–बी–2)	
	(a-ii)	अन्य बिक्री	
	(b) यू0पी0 बाहर निर्देष्टा		
v.	अन्तरप्रांतीय बिक्री सी फार्म से	-	
vi.	अन्तरप्रांतीय बिक्री बिना सी फार्म से	-	
vii.	भारत के बाहर निर्यात के दौरान बिक्री	-	
viii	आयात के दौरान बिक्री	-	
ix.	राज्य के बाहर बिक्री	-	
x.	आढ़त पर बिक्री/स्टाक ट्रान्सफर		
xi.	अन्य कोई बिक्री	-	
	योग		
xii.	बिक्री वापसी घटाये (अनुलग्नक–बी–1)		
xiii	शुद्ध बिक्री की धनराशि		

b- नान वैट वस्तुयें

i.	करयोग्य बिक्री का आवर्त	-	
ii.	करमुक्त बिक्री का आवर्त	-	
iii.	टैक्सपेड बिक्री का आवर्त	-	
iv.	निर्देष्टा के खाते में बिक्री		
	(a) प्रान्तीय निर्देष्टा		
	(b) यू0पी0 बाहर निर्देष्टा		
v.	अन्य कोई बिक्री	-	

	योग:	-
vi.	बिकी वापसी घटाये (अनुलग्नक–बी–1)	
vii	शुद्ध बिकी की धनराशि	
	सकल योग :	-

c- कमीशन एजेण्ट के माध्यम से की गयी बिकी जिसके लिए फार्म–v में प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ

कम सं0	प्रमाण पत्र सं0	तिथि	कय माल का मूल्य	देय कर की राशि
i.				
ii.				
iii.				
		योग		

10. बिकी पर कर की गणना

कम सं0	कर की दर	वस्तु	विकय धनराशि	कर
	वैट वस्तुयें			
i.	1%			
ii.	4%			
iii.	12.5%			
अतिरिक्त कर				
i.	0.5%			
ii.	1%			
		योग :		
	नान वैट वस्तुयें			
i.				
ii.				
iii.				
iv.				
v.				
		योग:		
		(वैट एवं नान वैट वस्तुओं)सकल योग :		

11.	समाधान योजना के किश्त की धनराशि यदि कोई हो	-
12.	टी0डी0एस0 की धनराशि	-

13. देय कर [रुपये में]

i.	खरीद पर कर	-
ii.	बिकी पर कर	-
iii.	समाधान योजना के किश्त की धनराशि यदि कोई हो	-
iv.	टी0डी0एस0 की धनराशि	-
	योग:	-

14. आई0टी0सी0 का विवरण

i.	गत करअवधि से आगे लायी गयी आई0टी0सी0	-
ii.	करअवधि में अर्जित आई0टी0सी0	-
	(a) निजी खाते में खरीद	
	(b) कय कमीशन एजेण्ट के माध्यम से की गयी खरीद जिसके लिए फार्म–vi प्राप्त हुआ	
	योग:	
	(c) करअवधि के प्रारम्भिक स्टाक पर देय आई0टी0सी0 की किश्त	
	(d) करअवधि में कैपिटल गुडस पर देय आई0टी0सी0 की किश्त	
	योग	-
	(e) करअवधि में रिवर्स की गयी आई0टी0सी0	
	(f) करअवधि में संदेय आई0टी0सी0 (a+b+c+d-e)	
iii.	(a) देयकर के विरुद्ध आई0टी0सी0 का समायोजन	-
	(b) केन्द्रीय बिकी कर के विरुद्ध आई0टी0सी0 का समायोजन	
iv.	आगामी करअवधि के लिए लायी गयी आई0टी0सी, यदि कोई	-
	योग	-

15.	शुद्ध कर

i.	कुल देयकर (कम सं0–13)	-	
ii	आई0टी0सी0 का समायोजन [14 (vii)]	-	
iii	शुद्ध कर	-	

15.	जमा कर का विवरण

A- बैंक / ट्रेजरी जहाँ कर जमा हुआ है			
बैंक / शाखा का नाम	चालान नम्बर	दिनांक	कर की धनराशि
योग			
B- समायोजन बाउचर के विरुद्ध समायोजन			
समायोजन बाउचर का कमांक		दिनांक	कर की धनराशि
योग			
C- कुल जमा कर (A+B)		अंको में	
		शब्दों में	

अनुलग्नक- 1 - अनुलग्नक A / A-1 / A-2 / B / B-1 जो भी लागू हो .
2 - ट्रेजरी चालान संख्या ..../ दिनांक ....

घोषणा

मै .... पुत्र / पुत्री / पत्नी .... प्रास्थिति .... [अर्थात स्वामी, निदेशक, साझीदार आदि जैसाकि नियम 32(6) में दिया गया है] एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ एवं सत्यापित करता/करती हूँ कि इस विवरण पत्र में दिये गये विवरण एवं आंकड़ें मेरी श्रेष्ठतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण है तथा जान बूझ कर न तो कोई तथ्य छिपाया गया है और न ही मिथ्या प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक - हस्ताक्षर -

स्थान - प्रस्थिति -

अनुलग्नक - ए

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

फार्म - चौबीस

[उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-45(3) देखें]

टैक्स इनवाइस के विरूद्ध की गई खरीद की सूची :

(i)	क्रेता व्यवहारी का नाम व पता	
(ii)	टिन (TIN)	
(iii)	कर निर्धारण वर्ष	-

टैक्स पीरियड के समापन का दिनांक

निजी खाते मे खरीद

पार्ट-I

(iv)	विक्रेता व्यवहारी का नाम व पता	टिन	टैक्स इनवाइस की संख्या	टैक्स इनवाइस का दिनांक	वस्तुओ का विवरण			माल का करयोग्य मूल्य	वसूल किये गये कर की धनराशि	टैक्स इनवाइस की कुल धनराशि
					नाम	कोड	मात्रा / परिमाप			
1										
2										
3										
आदि										
							योग			

कमीशन खाते मे खरीद

पार्ट-II

(iv)	विक्रेता व्यवहारी का नाम व पता	टिन	टैक्स इनवाइस की संख्या	टैक्स इनवाइस का दिनांक	वस्तुओ का विवरण			माल का करयोग्य मूल्य	वसूल किये गये कर की धनराशि	टैक्स इनवाइस की कुल धनराशि
					नाम	कोड	मात्रा / परिमाप			
1										
2										
3										
आदि										
							योग			

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक :

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

फार्म - चौबीस

अनुलग्नक A-1

क्रय वापसी की सूची.

(i)	क्रेता व्यवहारी का नाम और पता	
(ii)	टिन	
(iii)	कर निर्धारण वर्ष	-

कर अवधि की समाप्ति की तिथि: d d m m y y y y

क्रय वापसी का विवरण.

(iv)	विक्रेता व्यवहारी का नाम और पता	टिन	करबीजक/बिक्री बीजक/क्रय बीजक की संख्या	दिनांक	वस्तु का नाम	मात्रा	माल का करयोग्य मूल्य	वसूले गये कर की राशि	योग (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वैट वस्तुये									
1									
2									
etc.						योग :			
नान वैट वस्तुये									
1									
2									
आदि						योग :			

मात्रा	माल का करयोग्य मूल्य	कर की धनराशि	योग (12+13)	जारी डेबिट नोट का क्रमॉक	दिनांक	प्राप्त क्रेडिट नोट का क्रमॉक	दिनांक
11	12	13	14	15	16	17	18
वैट वस्तुये							
नान वैट वस्तुये							
योग :							

(v) कर बीजक के विरुद्ध की गयी खरीद के सापेक्ष्य वापसी की धनराशि रु0 ....

(vi) उक्त वस्तुओं में सन्नहित कर की धनराशि रु0.................

अधिकृत प्राधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर
दिनांक

अनुलग्नक A-2

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

फार्म - चौबीस

[वैट नियमावली के नियम–44(3) देखे]

प्रांत के अंदर से खरीदे गये कैपिटल गुडस की सूची.

(i)	केता व्यवहारी का नाम और पता	
(ii)	टिन	
(iii)	कर निर्धारण वर्ष	-

करअवधि समाप्ति का दिनांक

A-टैक्स इनवायस के विरुद्ध खरीदे गये कैपिटल गुडस की सूची.

	विकेता व्यवहारी का नाम और पता	टिन	कर बीजक संख्या	कर बीजक का दिनांक	माल का विवरण		माल का करयोग्य मूल्य	वसूले गये कर की राशि	कर बीजक की सकल राशि
					नाम	मात्रा / माप			
1									
2									
3									
4									
5									
						योग			

B- पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से खरीदे गये कैपिटल गुडस की सूची.

	माल का विवरण		कय बीजक संख्या	कय बीजक का दिनांक	माल का करयोग्य मूल्य	रिटर्न के साथ जमा कर की राशि
	नाम	मात्रा / माप				
1						
2						
3						
4						
5						
				योग		

अधिकृत प्राधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर
दिनांक

अनुलग्नक B

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

फार्म - चौबीस

[वैट नियमावली के नियम–45(3) देखे]

टैक्स इनवायस के विरुद्ध की गयी बिक्री की सूची

(i)	विक्रेता व्यवहारी का नाम व पता	
(ii)	टिन	
(iii)	कर निर्धारण वर्ष	-

कर अवधि की समाप्ति की तिथि | d | d | m | m | y | y | y | y |

निजी खाते में खरीद

Part-I

(iv)	क्रेता व्यवहारी का नाम व पता	टिन	टैक्स बीजक का क्रमॉक	टैक्स बीजक का दिनांक	माल का विवरण			माल का करयोग्य मूल्य	वसूली की धनराशि	टैक्स बीजक की सकल राशि
					नाम	कोड	मात्रा / माप			
1										
2										
3										
etc.										
							योग :			

कमीशन खाते की बिक्री

Part-II

(iv)	क्रेता व्यवहारी का नाम व पता	टिन	टैक्स बीजक का क्रमॉक	टैक्स बीजक का दिनांक	माल का विवरण			माल का करयोग्य मूल्य	वसूली की धनराशि	टैक्स बीजक की सकल राशि
					नाम	नाम	नाम			
1										
2										
3										
etc.										
							योग :			

अधिकृत प्राधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर
दिनांक

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

फार्म - चौबीस

अनुलग्नक B–1

बिकी वापसी की सूची

(i)	विकेता व्यवहारी का नाम व पता
(ii)	टिन

(iii)	कर निर्धारण वर्ष	-	कर अवधि के समाप्ति की तिथि d d m m y y y y

बिकी वापसी का विवरण

(iv)	विकेता व्यवहारी का नाम व पता	टिन	करबीजक/बिकी बीजक/कय बीजक की संख्या	दिनांक	वस्तु का नाम	मात्रा	माल का करयोग्य मूल्य	वसूले गये कर की राशि	योग (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वैट वस्तुये									
1									
2									
						योग			
नान वैट वस्तुये									
1									
2									
						योग :			

मात्रा	माल का करयोग्य मूल्य	कर की धनराशि	योग (12+13)	जारी केडिट नोट का कमॉक	दिनांक	प्राप्त डेबिट नोट का कमॉक	दिनांक
11	12	13	14	15	16	17	18
वैट वस्तुये							
नान वैट वस्तुये							
योग							

(v) टैक्स बीजक के विरुद्ध की गयी बिकी के सापेक्ष्य वापसी की धनराशि रु0 ....

(vi) उक्त वस्तुओं में समाहित कर की धनराशि रु0.................

अधिकृत प्राधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक

फार्म-XXIV-ब का संशोधन

34. उक्त नियमावली में, नीचे अनुसूची–क में दिये गये विद्यमान फार्म चौबीस–ब के स्थान पर नीचे अनुसूची–ख में दिया गया फार्म रख दिया जाएगा, अर्थात :–

शिड्यूल–क

वर्तमान फार्म

फार्म - चौबीस (ब)

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-45(10)(ब) देखें]

टैक्स पीरियड का रिटर्न - मासिक / तिमाही

[साफ अक्षरों में भरा जाए]

1.	कर निर्धारण वर्ष	- -
2.	टैक्स पीरियड के समापन का दिनांक	- d d mm - y y y y
3.	कर निर्धारक प्राधिकारी का पद नाम	-
4.	कॉरपोरेट सर्किल / मण्डल / खण्ड का नाम	-
5.	कंपनी / कॉरपोरेशन का नाम व पता	-
6.	करदाता की पहचान संख्या [टिन]	-
7.	खरीद का विवरण [रूपए में]	

अ- वैट वस्तुएं

i.	टैक्स इनवाइस के विरूद्ध की गई खरीद (अनुलग्नक-ए)	-
ii.	अपंजीकृत से की गई खरीद	-
iii.	करमुक्त वस्तुओं की खरीद	-
iv.	उ०प्र० के बाहर से की गई खरीद	-
v.	भारत के बाहर से की गई खरीद	
vi.	निर्देष्टा के खाते में की गई खरीद	-
vii.	अन्य खरीद	-
	योग	-

ब- नॉन वैट गुड्स

i.	पंजीकृत व्यापारी से की गई खरीद	-
ii.	अपंजीकृत से की गई खरीद	-
iii.	करमुक्त वस्तुओ की खरीद	-
iv.	उ०प्र० के बाहर से की गई खरीद	-
v.	भारत के बाहर से की गई खरीद	-
vi.	निर्देष्टा के खाते में की गई खरीद	-
vii.	अन्य खरीद	-
	योग	-
	कुल योग	-

8. खरीद पर कर की गणना

क्र०सं०	कर की दर	वस्तुओं का नाम	खरीद की धनराशि	कर की धनराशि
	वैट वस्तुएं			
i.	1%			
ii.	4%			
iii.	12.5%			
		योग		
	नॉन वैट वस्तुएं			
i.	20%			
ii	21%			

iii	26%			
iv	32.5%			
v	---			
		योग		
		कुल योग		

9.	बिक्री का विवरण

अ- वैट वस्तुएं

i.	टैक्स इनवाइस के विरूद्ध विक्रय धन (अनुलग्नक-बी)	-															
ii.	पंजीकृत से भिन्न को की गई बिक्री का विक्रय धन	-															
iii.	करमुक्त माल का विक्रय धन	-															
iv.	फार्म-सी के विरूद्ध अन्तर्राज्यीय बिक्री	-															
v.	फार्म-सी के बिना अन्तर्राज्यीय बिक्री	-															
vi.	भारत के बाहर निर्यात के दौरान बिक्री	-															
vii.	आयात के दौरान बिक्री	-															
viii.	राज्य के बाहर की बिक्री	-															
ix.	माल के मूवमेन्ट के दौरान एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में फार्म ई एवं सी के विरूद्ध बिक्री	-															
x.	अन्य बिक्री	-															
	योग	-															

ब- नॉन वैट वस्तुएं

i.	करयोग्य विक्रय धन	-															
ii.	करमुक्त विक्रय धन	-															
iii.	कर अदा किया गया विक्रय धन	-															
iv.	फार्म सी के विरूद्ध अन्तर्राज्यीय बिक्री का विक्रय धन	-															
v.	फार्म सी के बिना अन्तर्राज्यीय बिक्री का विक्रय धन	-															
vi.	भारत के बाहर निर्यात के दौरान बिक्री का विक्रय धन	-															
vii.	आयात के दौरान बिक्री	-															
viii.	प्रान्त बाहर बिक्री	-															
ix.	माल के मूवमेन्ट के दौरान एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में फार्म ई एवं सी के विरूद्ध बिक्री	-															
x.	निर्देष्टा के खाते में बिक्री	-															
xi.	अन्य बिक्री	-															
	योग	-															
	कुल योग	-															

10.	बिक्री पर कर की गणना

क्र0सं0	कर की दर	वस्तुओं का नाम	बिक्री की धनराशि	कर की धनराशि
	वैट गुड्स			
i.	1%			
ii.	4%			
iii.	12.5%			
		योग		
	नॉन वैट वस्तुएं			
i.	20%			
ii.	21%			
iii.	26%			
iv.	32.5%			
v.	---			
		योग		
		कुल योग		

11.	समाधान योजना की किश्त, यदि कोई हो	-															
12.	टी0डी0एस0 की धनराशि	-															

13.	देय कर [रूपए में]

i.	खरीद पर कर	-																
ii.	बिक्री पर कर	-																
iii.	समाधान योजना की किश्त, यदि कोई हो	-																
iv.	टी0डी0एस0 की धनराशि	-																
	योग	-																

14.	आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का विवरण

i.	पूर्ववती टैक्स पीरियड से आगे लाई गई आईटीसी	-																
ii.	टैक्स पीरियड के दौरान आईटीसी का दावा	-																
iii.	देय कर के विरूद्ध समायोजन	-																
iv.	अग्रिम टैक्स पीरियड हेतु आगे ले जायी गयी आईटीसी, यदि कोई हो	-																
	योग	-																

15.	शुद्ध कर

i.	कुल देय कर (क्रम सं0-13)	-																
ii.	आईटीसी का समायोजन [14 (iii)]	-																
iii.	शुद्ध देय कर	-																

16.	जमा कर का विवरण

बैंक का नाम / शाखा	ट्रेजरी चालान नं0	दिनांक	कर की धनराशि
योग	अंकों में		
योग	शब्दों में		

अनुलग्नक- ए - टैक्स इनवाइस के विरूद्ध वैट वस्तुओं की खरीद की सूची
बी - टैक्स इनवाइस के विरूद्ध वैट वस्तुओं की बिक्री की सूची
सी - खरीद, बिक्री, स्टॉक आदि का विवरण
ट्रेजरी चालान संख्या---------------/दिनांक----------------------

घोषणा

मैं, -- पुत्र/पुत्री/पत्नी------------------------------------प्रास्थिति -------------------------[अर्थात स्वामी, निदेशक, साझीदार आदि जैसाकि नियम 32(6) में दिया गया है] एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ एवं सत्यापित करता/करती हूँ कि इस विवरण पत्र में दिये गये विवरण एवं आंकड़ें मेरी श्रेष्ठतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण है तथा जान बूझ कर न तो कोई तथ्य छिपाया गया है और न ही मिथ्या प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक - हस्ताक्षर -

स्थान - प्रास्थिति -

नोट: इस फार्म पर उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-32(6) के अंतर्गत अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही हस्ताक्षर किया जाएगा।

अनुलग्नक - ए

[उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-45(10)(ब) देखें]

टैक्स इनवाइस के विरूद्ध खरीद की सूची

(i)	क्रेता व्यापारी का नाम व पता	
(ii)	टिन	
(iii)	कर निर्धारण वर्ष	-

टैक्स पीरियड समापन का दिनांक

(iv)	विक्रेता व्यापारी का नाम व पता	टिन	टैक्स इनवाइस की संख्या	टैक्स इनवाइस का दिनांक	वस्तुओं का विवरण			माल का करयोग्य मूल्य	वसूल किये गये कर की धनराशि	टैक्स इनवाइस की कुल धनराशि
					नाम	कोड	मात्रा / वजन / परिमाप			
1										
2										
3										
4										
5										

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर
दिनांक

अनुलग्नक - बी

(उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-45(10)(ब) देखें)

टैक्स इनवाइस के विरूद्ध की गयी बिक्री की सूची

(i)	विक्रेता व्यापारी का नाम व पता	
(ii)	टिन	
(iii)	कर निर्धारण वर्ष	-

टैक्स पीरियड के समापन का दिनांक

(iv)	क्रेता व्यापारी का नाम व पता	टिन	टैक्स इनवाइस की संख्या	टैक्स इनवाइस का दिनांक	वस्तुओं का विवरण			माल का करयोग्य मूल्य	वसूल किये गये कर की धनराशि	टैक्स इनवाइस की कुल धनराशि
					नाम	कोड	मात्रा / वजन / परिमाप			
1										
2										
3										
4										
5										

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर
दिनांक

अनुलग्नक - सी

(उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-45(10)(ब) देखें)

टैक्स पीरियड समापन का दिनांक—————

1. कच्चा माल

क्र0सं0	वस्तु का विवरण		प्रारंभिक रहतिया	प्राप्त कच्चा माल			उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल	अन्यथा प्रयुक्त कच्चा माल	अंतिम रहतिया
				खरीद	स्टॉक ट्रान्सफर	कुल			
1	2		3	4	4ब	4स	5	6	7
1		मात्रा में							
		रूपए में							
2		मात्रा में							
		रूपए में							
3		मात्रा में							
		रूपए में							
–		मात्रा में							
		रूपए में							

2. उत्पादन व खरीद

क्र0सं0	वस्तु का विवरण		प्रारंभिक रहतिया	उत्पादन से प्राप्त	अन्य खरीद या प्राप्त	कुल [4+5]	निस्तारित	अंतिम रहतिया
1	2		3	4	5	6	7	8
1		मात्रा में						
		रूपए में						
2		मात्रा में						
		रूपए में						
3		मात्रा में						
		रूपए में						
–		मात्रा में						
		रूपए में						

3. उत्पादों का निस्तारण - बिक्री जिसमें वेस्टेज व पुराने तथा निष्प्रयोज्य वस्तु आदि सम्मिलित है

क्र0सं0	वस्तुओं का विवरण		उ0प्र0 में बिक्री	उ0प्र0 के बाहर बिक्री			निर्यात		स्टॉक ट्रान्सफर		वेस्टेज या अन्यथा निस्तारित
				फार्म सी के विरूद्ध	फार्म सी के बिना	फार्म ई / सी के विरूद्ध	फार्म एच के विरूद्ध	अन्य	यू0पी0 में	यू0पी0 के बाहर	
1	2		3	4	4ब	4स	5	5ब	6	6ब	7
1		मात्रा में									
		रूपए में									
2		मात्रा में									
		रूपए में									
3		मात्रा में									
		रूपए में									
–		मात्रा में									
		रूपए में									

4. कैन्टीन को किया गया भुगतान

क्र0सं0	संविदाकार का नाम व पता	टिन	संविदा संख्या / दिनांक	किया गया भुगतान	टीडीएस कटौती की राशि	जमा टीडीएस की राशि	ट्रेजरी चालान / दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
--							

5. संविदाकार को किया गया भुगतान [प्रयोग का अधिकार]

क्र0सं0	संविदाकार का नाम व पता	टिन	संविदा संख्या / दिनांक	किया गया भुगतान	टीडीएस कटौती की राशि	जमा टीडीएस की राशि	ट्रेजरी चालान / दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
--							

6. कार्य संविदाकार को किया गया भुगतान

क्र0सं0	संविदाकार का नाम व पता	टिन	संविदा संख्या / दिनांक	संविदा की प्रकृति	किया गया भुगतान	टीडीएस कटौती की राशि	जमा टीडीएस की राशि	ट्रेजरी चालान / दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
--								

7. [अ] खरीद [कच्चा माल]

क्र0सं0	विक्रेता का नाम व पता	टिन	बिल संख्या व दिनांक	वस्तुओं का विवरण		यू0पी0के अंदर		यू0पी0के बाहर	भारत के बाहर
						पंजीकृत से	अपंजीकृत से		
1	2	3	4	5		6	6ब	7	8
1					मात्रा में				
					रूपए में				
2					मात्रा में				
					रूपए में				
3					मात्रा में				
					रूपए में				
--					मात्रा में				
					रूपए में				

[ब] खरीद [पैकिंग मैटीरियल]

क्र0सं0	विक्रेता का नाम व पता	टिन	बिल संख्या व दिनांक	वस्तुओं का विवरण		यू0पी0के अंदर		यू0पी0के बाहर	भारत के बाहर
						पंजीकृत से	अपंजीकृत से		
1	2	3	4	5		6	6ब	7	8
1					मात्रा में				
					रूपए में				
2					मात्रा में				
					रूपए में				
3					मात्रा में				
					रूपए में				
–					मात्रा में				
					रूपए में				

[स] खरीद [कन्ज्यूमेबल्स]

क्र0सं0	विक्रेता का नाम व पता	टिन	बिल संख्या व दिनांक	वस्तुओं का विवरण		यू0पी0के अंदर		यू0पी0के बाहर	भारत के बाहर
						पंजीकृत से	अपंजीकृत से		
1	2	3	4	5		6	6ब	7	8
1					मात्रा में				
					रूपए में				
2					मात्रा में				
					रूपए में				
3					मात्रा में				
					रूपए में				
–					मात्रा में				
					रूपए में				

[द] खरीद [कैपिटल गुड्स]

क्र0सं0	विक्रेता का नाम व पता	टिन	बिल संख्या व दिनांक	वस्तुओं का विवरण		यू0पी0के अंदर		यू0पी0के बाहर	भारत के बाहर
						पंजीकृत से	अपंजीकृत से		
1	2	3	4	5		6	6ब	7	8
1					मात्रा में				
					रूपए में				
2					मात्रा में				
					रूपए में				
3					मात्रा में				
					रूपए में				
–					मात्रा में				
					रूपए में				

[च] खरीद [अन्य गुड्स]

क्र0सं0	विक्रेता का नाम व पता	टिन	बिल संख्या व दिनांक	वस्तुओं का विवरण		यू0पी0के अंदर		यू0पी0के बाहर	भारत के बाहर
						पंजीकृत से	अपंजीकृत से		
1	2	3	4	5		6	6ब	7	8
1					मात्रा में				
					रूपए में				
2					मात्रा में				
					रूपए में				
3					मात्रा में				
					रूपए में				
--					मात्रा में				
					रूपए में				

[छ] फिनिश्ड गुड्स की ट्रेडिंग के लिए खरीद

क्र0सं0	विक्रेता का नाम व पता	टिन	बिल संख्या व दिनांक	वस्तुओं का विवरण		यू0पी0के अंदर		यू0पी0के बाहर	भारत के बाहर
						पंजीकृत से	अपंजीकृत से		
1	2	3	4	5		6	6ब	7	8
1					मात्रा में				
					रूपए में				
2					मात्रा में				
					रूपए में				
3					मात्रा में				
					रूपए में				
--					मात्रा में				
					रूपए में				

8. प्राप्त कच्चे माल के स्टॉक ट्रान्सफर का विवरण

क्र0सं0	वस्तुओं का विवरण	पारेषक का नाम	टिन	ट्रान्सफर चालान संख्या व दिनांक	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
--						

9. कच्चे माल के स्टॉक ट्रान्सफर का विवरण

क्र0सं0	वस्तुओं का विवरण	पारेषक का नाम	टिन	ट्रान्सफर चालान संख्या व दिनांक	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
--						

10. स्टॉक ट्रान्सफर से प्राप्त फिनिश्ड गुड्स का विवरण

क्र0सं0	वस्तुओं का विवरण	परेषक का नाम	टिन	ट्रान्सफर चालान संख्या व दिनांक	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
--						

11. स्टॉक ट्रान्सफर से फिनिश्ड प्रोडक्ट के परिवहन का विवरण

क्र0सं0	वस्तुओं का विवरण	पारेषिती का नाम	टिन	ट्रान्सफर चालान संख्या व दिनांक	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
--						

12. फार्म सी के विरूद्ध फिनिश्ड प्रोडक्ट / कच्चे माल की बिक्री

क्र0सं0	वस्तुओं का विवरण	क्रेता का नाम व पता	टिन	बिल संख्या व दिनांक	मात्रा	मूल्य	वैट की दर	वैट की राशि	कुल मूल्य	प्राप्त फार्म संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
--										

13. फार्म सी / ई / एच के बिना फिनिश्ड प्रोडक्ट / कच्चे माल की बिक्री

क्र0सं0	वस्तुओं का विवरण	क्रेता का नाम व पता	टिन	बिल संख्या व दिनांक	मात्रा	मूल्य	वैट की दर	वैट की राशि	कुल मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
--									

14. फार्म ई एवं सी के विरूद्ध फिनिश्ड प्रोडक्ट / कच्चे माल की बिक्री

क्र0सं0	वस्तुओं का विवरण	क्रेता का नाम व पता	टिन	बिल संख्या व दिनांक	मात्रा	मूल्य	वैट की दर	वैट की राशि	कुल मूल्य	प्राप्त फार्म संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
--										

15. फार्म एच के विरूद्ध फिनिश्ड प्रोडक्ट / कच्चे माल की बिक्री (निर्यात के दौरान)

क्र0सं0	वस्तुओं का विवरण	क्रेता का नाम व पता	टिन	बिल संख्या व दिनांक	मात्रा	मूल्य	प्राप्त फार्म संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
--							

16. फिनिश्ड प्रोडक्ट / कच्चे माल की बिक्री (फार्म एच के बिना निर्यात के दौरान)

क्र0सं0	वस्तुओं का विवरण	क्रेता का नाम व पता	टिन	बिल संख्या व दिनांक	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
--						

17. यू0पी0 के अंदर अपंजीकृत से खरीदे कच्चे माल / फिनिश्ड प्रोडक्ट / कन्ज्यूमेबल / पैकिंग मैटीरियल / कैपिटल गुड्स व अन्य माल की खरीद की सूची

क्र0सं0	वस्तुओं का विवरण	क्रेता का नाम व पता	टिन	बिल संख्या व दिनांक	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
--						

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
दिनांक

शिड्यूल–ख

फार्म इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है

फार्म – चौबीस–बी

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम–45(10)(ख) देखें)

कर अवधि का रिटर्न – मासिक/त्रैमासिक

1.	कर निर्धारण वर्ष	- -
2.	कर अवधि के समाप्ति का दिनांक	- d d - m m - y y y y
3.	कर निर्धारक प्राधिकारी का पदनाम	-
4.	मण्डल/खण्ड का नाम	-
5.	व्यवहारी का नाम एवं पता	-
6.	करदाता पहचान संख्या [टिन]	-
7.	खरीद का विवरण [रुपये में]	

a- वैट वस्तुयें

i.	निजी खाते में टैक्स बीजक के विरुद्ध खरीद (अनुलग्नक–ए)	-
ii.	निजी खाते में पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से खरीद	-
iii.	करमुक्त माल की खरीद	-
iv.	यू0पी0 बाहर से खरीद	-
v.	अन्य कोई खरीद	-
	योग :	-
vi.	कय वापसी घटाये (अनुलग्नक–ए–1)	-
vii.	कय की शुद्ध राशि	-

b- नान वैट वस्तुयें

i.	पंजीकृत व्यवहारी से खरीद	-
ii.	पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से खरीद	-
iii.	करमुक्त माल की खरीद	-
iv.	यू0पी0 बाहर से खरीद	-
v.	अन्य कोई खरीद	-
	योग :	-
vi.	कय वापसी घटाये (अनुलग्नक–ए–1)	
vii.	कय की शुद्ध राशि	
	सकल योग :	-

c- राज्य के अंदर से कैपिटल गुडस की खरीद

i	टैक्स इनवायस के विरुद्ध खरीद (अनुलग्नक–ए–2)	-
ii	पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से खरीद	-
	योग:	-

8. कय पर कर की गणना

कमॉक	कर की दर	वस्तु	कय का आवर्त	कर
	वैट वस्तुयें			
i.	1%			
ii.	4%			
iii.	12.5%			
अतिरिक्त कर				
i.	0.5%			
ii.	1%			
		योग		
	नान वैट गुडस			
i.				
ii.				
iii.				
iv.				
		योग:		
		सकल योग		

9.	बिकी का विवरण

a- वैट वस्तुयें

i.	निजी खाते में टैक्स इनवायस के विरुद्ध बिकी का टर्न ओवर (अनुलग्नक-B)	-	
ii.	कालम i के अतिरिक्त निजी खाते में बिकी का टर्न ओवर	-	
iii.	करमुक्त माल की बिकी का टर्न ओवर	-	
iv.	सी फार्म के विरुद्ध अन्तर्प्रान्तीय बिकी	-	
v.	बिना सी फार्म के विरुद्ध अन्तर्प्रान्तीय बिकी	-	
vi.	भारत के बाहर निर्यात के दौरान बिकी	-	
vii	आयात के दौरान बिकी	-	
viii.	राज्य के बाहर बिकी	-	
ix.	कमीशन पर बिकी/स्टाक ट्रान्सफर	-	
x.	अन्य बिकी	-	
	योग :		
xi.	बिकी वापसी घटाये (अनुलग्नकB-1)		
xii.	शुद्ध विकय राशि		

b- नान वैट वस्तुयें

i.	बिकी का करयोग्य टर्न ओवर	-	
ii.	करमुक्त माल की बिकी का टर्न ओवर	-	
iii.	टैक्सपेड माल का की बिकी का टर्न ओवर	-	
iv.	अन्य बिकी	-	
	योग:	-	
v.	बिकी वापसी घटाये (अनुलग्नक B-1)		
vi	बिकी की शुद्ध राशि		
	सकल योग :	-	

10.	बिकी पर कर की गणना

कर्मांक	कर की दर	वस्तु	बिकी मूल्य	कर
	वैट वस्तुयें			
i.	1%			
ii.	4%			
iii.	12.5%			
	अतिरिक्त कर			
	0.5%			
	1%			
		योग		
	नान वैट वस्तुयें			
i.				
ii.				
iii.				
		योग :		
	(वैट/नान वैट वस्तुये)	सकल योग		

11	टी0डी0एस0 की धनराशि.	-	

12	देयकर रुपये में

i.	कय पर कर	-	
ii.	बिकी पर कर	-	
iii.	टी0डी0एस0 की धनराशि.	-	
	योग:	-	

13 आई0टी0सी0 का विवरण

i.	गत कर अवधि से आगे लायी गयी आई0टी0सी0	-	
ii.	कर अवधि में अर्जित आई0टी0सी0	-	
iii.	निजी खाते में की गयी खरीद पर आई0टी0सी0	-	
iv.	कर अवधि में प्रारंभिक स्टाक पर देय आई0टी0सी0 की किश्त	-	
v.	कर अवधि में कैपिटल गुडस पर देय आई0टी0सी0 की किश्त	-	
vi.	योग :	-	
vii.	कर अवधि में रिवर्स की गयी आई0टी0सी0	-	
viii	कर अवधि में एडमिशनुबल आई0टी0सी0 **(vi-vii)**	-	
ix.	देय कर के विरुद्ध आई0टी0सी0 का समायोजन	-	
x.	देय केन्द्रीय बिकी कर के विरुद्ध आई0टी0सी0 का समायोजन	-	
xi.	आगामी टैक्स पीरियड के लिए लायी गयी आई0टी0सी0 यदिकोई हो	-	

14.	शुद्ध कर	
i.	शुद्धदेय कर	-
ii	समायोजित आई0टी0सी0 [13 (viii)]	-
iii	शुद्ध कर [i.-ii]	-

15.	जमा कर का विवरण		
A- बैंक / ट्रेजरी में जमा कर			
बैंक / शाखा का नाम	चालान संख्या	दिनांक	कर की धनराशि
		योग :	
B- समायोजन बाउचर के विरुद्ध समायोजन			
समायोजन बाउचर की संख्या		दिनांक	कर की धनराशि
योग :			
C- कुल जमा कर (A+B)		संख्या में	
		शब्दों में	

अनुलग्नक - 1 - अनुलग्नक A / A-1 / A-2 / B / B-1 / C जो लागू हो
2 - ट्रेजरी चालना संख्या ..../ दिनांक ....

घोषणा

मैं, -- पुत्र/पुत्री/पत्नी-----------------------------------प्रास्थिति ------------------------[अर्थात स्वामी, निदेशक, साझीदार आदि जैसाकि नियम 32(6) में दिया गया है] एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ एवं सत्यापित करता/करती हूँ कि इस विवरण पत्र में दिये गये विवरण एवं आंकड़ें मेरी श्रेष्ठतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण है तथा जान बूझ कर न तो कोई तथ्य छिपाया गया है और न ही मिथ्या प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक - हस्ताक्षर -

स्थान - प्रास्थिति -

अनुलग्नक - ए

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

फार्म — चौबीस–बी

[उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-45(3) देखें]

टैक्स इनवाइस के विरूद्ध की गई खरीद की सूची :

(i)	क्रेता व्यापारी का नाम व पता	
(ii)	टिन (TIN)	
(iii)	कर निर्धारण वर्ष	-

टैक्स पीरियड के समापन का दिनांक

निजी खाते मे खरीद

(iv)	विक्रेता व्यापारी का नाम व पता	टिन	टैक्स इनवाइस की संख्या	टैक्स इनवाइस का दिनांक	वस्तुओ का विवरण			माल का करयोग्य मूल्य	वसूल किये गये कर की धनराशि	टैक्स इनवाइस की कुल धनराशि
					नाम	कोड	मात्रा / परिमाप			
1										
2										
3										
आदि										
							योग			

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर
दिनांक :

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

फार्म — चौबीस—बी

अनुलग्नक - ए-1

कय वापसी की सूची

(i)	केता व्यवहारी का नाम और पता	
(ii)	टिन	
(iii)	कर निर्धारण वर्ष	-
	कर अवधि की समाप्ति की तिथि	d d m m y y y y

कय वापसी का विवरण

(iv)	विकेता व्यवहारी का नाम और पता	टिन	करबीजक / बिकी बीजक / कय बीजक की संख्या	दिनांक	वस्तु का नाम	मात्रा	माल का करयोग्य मूल्य	वसूले गये कर की राशि	योग (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वैट वस्तुये									
1									
2									
etc.									
						योग :			
नान वैट वस्तुये									
1									
2									
आदि									
						योग :			

मात्रा	माल का करयोग्य मूल्य	कर की धनराशि	योग (12+13)	जारी डेबिट नोट का कमाँक	दिनांक	प्राप्त केडिट नोट का कमाँक	दिनांक
11	12	13	14	15	16	17	18
वैट वस्तुये							
नान वैट वस्तुये							
योग :							

(v) टैक्स बीजक के विरुद्ध की गयी खरीद के सापेक्ष्य वापसी की धनराशि रु0 ....

(vi) उक्त वस्तुओं में समाहित कर की धनराशि रु0.................

अधिकृत प्राधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर
दिनांक

अनुलग्नक ए-2

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

फार्म – चौबीस–बी

[वैट नियमावली के नियम–44(3) देखे]

प्रांत के अंदर से खरीदे गये कैपिटल गुडस की सूची.

(i)	क्रेता व्यवहारी का नाम और पता
(ii)	टिन
(iii)	कर निर्धारण वर्ष -

करअवधि समाप्ति का दिनांक d d m m y y y y

A-टैक्स इनवायस के विरुद्ध खरीदे गये कैपिटल गुडस की सूची.

	विक्रेता व्यवहारी का नाम और पता	टिन	कर बीजक संख्या	कर बीजक का दिनांक	माल का विवरण		माल का करयोग्य मूल्य	वसूले गये कर की राशि	कर बीजक की सकल राशि
					नाम	मात्रा / माप			
1									
2									
3									
4									
5									
						योग			

B- पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से खरीदे गये कैपिटल गुडस की सूची.

	माल का विवरण		क्रय बीजक संख्या	कर बीजक का दिनांक	माल का करयोग्य मूल्य	रिटर्न के साथ जमा कर की राशि
	नाम	मात्रा / माप				
1						
2						
3						
4						
5						
				योग		

अधिकृत प्राधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर
दिनांक

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

फार्म – चौबीस–बी

<u>अनुलग्नक–बी</u>

[वैट नियमावली के नियम–45(3) देखे]

टैक्स इनवायस के विरुद्ध की गयी बिक्री की सूची

(i)	विक्रेता व्यवहारी का नाम व पता	
(ii)	टिन	
(iii)	कर निर्धारण वर्ष	-

कर अवधि की समाप्ति की तिथि: d d m m y y y y

(iv)	क्रेता व्यवहारी का नाम व पता	टिन	कर बीजक संख्या	कर बीजक का दिनांक	माल का विवरण			माल का कर योग्य मूल्य	वसूले गये कर की धनराशि	कर बीजक की कुल धनराशि
					नाम	कोड	मात्रा / माप			
1										
2										
3										
4										
etc.										
							योग :			

अधिकृत प्रतिनिधि का नाम एवं हस्ताक्षर
दिनांक

अनुलग्नक –बी–1

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

फार्म – चौबीस–बी

बिक्री वापसी की सूची

(i)	विक्रेता व्यवहारी का नाम व पता	
(ii)	टिन	

(iii)	कर निर्धारण वर्ष	-	कर अवधि के समाप्ति की तिथि	d d m m y y y y

बिक्री वापसी का विवरण

(iv)	विक्रेता व्यवहारी का नाम व पता	टिन	करबीजक/बिक्री बीजक/क्रय बीजक की संख्या	दिनांक	वस्तु का नाम	मात्रा	माल का करयोग्य मूल्य	वसूले गये कर की राशि	योग (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वैट वस्तुये									
1									
2									
						योग			
नान वैट वस्तुये									
1									
2									
						योग :			

मात्रा	माल का करयोग्य मूल्य	कर की धनराशि	योग (12+13)	जारी केडिट नोट का कमॉक	दिनांक	प्राप्त डेबिट नोट का कमॉक	दिनांक
11	12	13	14	15	16	17	18
वैट वस्तुये							
नान वैट वस्तुये							
योग							

(v) टैक्स बीजक के विरुद्ध की गयी बिक्री के सापेक्ष्य वापसी की धनराशि रु0 ....

(vi) उक्त वस्तुओं में समाहित कर की धनराशि रु0.................

अधिकृत प्रतिनिधि का नाम एवं हस्ताक्षर
दिनांक

अनुलग्नक–सी

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

फार्म – चौबीस–बी

[वैट नियमावली,2008 के नियम–45 के उपनियम (10)(बी) देखे]

कर अवधि की समाप्ति का दिनांक --------------------

(1) कच्चा माल

कमांक	वस्तु का विवरण		प्रारम्भिक रहतिया	प्राप्त कच्चा माल			उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल	अन्य प्रकार से कच्चा माल का निष्पादन	अन्तिम रहतिया
				खरीद	स्टाक ट्रान्सफर	योग			
1	2		3	4a	4b	4c	5	6	7
1		मात्रा							
		मूल्य रूपये में							
2		मात्रा							
		मूल्य रूपये में							
3		मात्रा							
		मूल्य रूपये में							
--		मात्रा							
		मूल्य रूपये में							

(2) निर्माण एवं खरीद

कमांक	वस्तु का विवरण		प्रारम्भिक रहतिया	निर्माण से प्राप्त	खरीद अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त	योग [4+5]	निष्पादन	अन्तिम रहतिया
1	2		3	4	5	6	7	8
1		मात्रा						
		मूल्य रूपये में						
2		मात्रा						
		मूल्य रूपये में						
3		मात्रा						
		मूल्य रूपये में						
--		मात्रा						
		मूल्य रूपये में						

(3) उत्पाद का निस्पादन (बिकी जिसमें वेस्टेज एवं पुरानी तथा निष्प्रयोज्य माल शामिल है)

कमांक	उत्पाद का विवरण		उ0प्र0 में बिकी	उ0प्र0 के बाहर बिकी			निर्यात		स्टाक ट्रान्सफर		वेस्टेज अथवा अन्य प्रकार से निस्पादन
				फार्म–सी के विरूद्व बिकी	बिना फार्म–सी के बिकी	फार्म–ई एवं सी के विरूद्व बिकी	फार्म–एच के विरूद्व	अन्य	उ0प्र0 में	उ0प्र0 के बाहर	
1	2		3	4a	4b	4c	5a	5b	6a	6b	7
1		मात्रा									
		मूल्य रूपये में									
2		मात्रा									
		मूल्य रूपये में									
3		मात्रा									
		मूल्य रूपये में									
--		मात्रा									
		मूल्य रूपये में									

(4) संविदाकार को किया गया भुगतान

कमांक	संविदाकार का नाम एवं पता	टिन	कान्टेक्ट नं0 व दिनांक	किया गया भुगतान	टी0डी0एस0 की राशि	जमा टी0डी0एस0 की राशि	चालान संख्या एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
--							

(5) संविदाकार को किया गया भुगतान [राईट टु यूज]

कमांक	संविदाकार का नाम एवं पता	टिन	कान्टेक्ट नं0 व दिनांक	किया गया भुगतान	टी0डी0एस0 की राशि	जमा टी0डी0एस0 की राशि	चालान संख्या एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
--							

(6) कार्य संविदाकार को किया गया भुगतान

कमांक	संविदाकार का नाम एवं पता	टिन	कान्टेक्ट नं0 व दिनांक	कान्टेक्ट की प्रकृति	किया गया भुगतान	टी0डी0एस0 की राशि	जमा टी0डी0एस0 की राशि	चालान संख्या एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
--								

(7) [a] कच्चे माल की खरीद

कमांक	विकेता का नाम एवं पता	टिन	बिल नं0 व दिनांक	वस्तु का विवरण		उ0प्र0 के भीतर		उ0प्र0 के बाहर	भारत के बाहर
						पंजीकृत से	अपंजीकृत से		
1	2	3	4	5		6a	6b	7	8
1					मात्रा				
					मूल्य रूपये में				
2					मात्रा				
					मूल्य रूपये में				
3					मात्रा				
					मूल्य रूपये में				
--					मात्रा				
					मूल्य रूपये में				

[b] पैकिंग मैटिरियल की खरीद

कम सं0	विक्रेता का नाम व पता	टिन	बिल नं0 व दिनांक	वस्तु का नाम		यू0पी0 के अन्दर		यू0पी0 बाहर से	भारत के बाहर से
						पंजीकृत से	अपंजीकृत से		
1	2	3	4	5		6a	6b	7	8
1					मात्रा में				
					रुपये में				
2					मात्रा में				
					रुपये में				
3					मात्रा में				
					रुपये में				
--					मात्रा में				
					रुपये में				

[c] कन्ज्यूमेबुल की खरीद

कम सं0	विक्रेता का नाम व पता	टिन	बिल नं0 व दिनांक	वस्तु का नाम		यू0पी0 के अन्दर		यू0पी0 बाहर से	भारत के बाहर से
						पंजीकृत से	अपंजीकृत से		
1	2	3	4	5		6a	6b	7	8
1					मात्रा में				
					रुपये में				
2					मात्रा में				
					रुपये में				
3					मात्रा में				
					रुपये में				
--					मात्रा में				
					रुपये में				

[d] कैपिटल गुडस की खरीद

कम सं0	विक्रेता का नाम व पता	टिन	बिल नं0 व दिनांक	वस्तु का नाम		यू0पी0 के अन्दर		यू0पी0 बाहर से	भारत के बाहर से
						पंजीकृत से	अपंजीकृत से		
1	2	3	4	5		6a	6b	7	8
1					मात्रा में				
					रुपये में				
2					मात्रा में				
					रुपये में				
3					मात्रा में				
					रुपये में				
--					मात्रा में				
					रुपये में				

[e] अन्य वस्तुओं की खरीद

कम सं0	विक्रेता का नाम व पता	टिन	बिल नं0 व दिनांक	वस्तु का नाम		यू0पी0 के अन्दर		यू0पी0 बाहर से	भारत के बाहर से
						पंजीकृत से	अपंजीकृत से		
1	2	3	4	5		6a	6b	7	8
1					मात्रा में				
					रुपये में				

2					मात्रा में				
					रुपये में				
3					मात्रा में				
					रुपये में				
--					मात्रा में				
					रुपये में				

[f] तैयार माल की ट्रेडिंग के लिए खरीद

कम सं0	विकेता का नाम व पता	टिन	बिल नं0 व दिनांक	वस्तु का नाम		यू0पी0 के अन्दर		यू0पी0 बाहर से	भारत के बाहर से
						पंजीकृत से	अपंजीकृत से		
1	2	3	4	5		6a	6b	7	8
1					मात्रा में				
					रुपये में				
2					मात्रा में				
					रुपये में				
3					मात्रा में				
					रुपये में				
--					मात्रा में				
					रुपये में				

(8) स्टाक ट्रान्सफर से प्राप्त रॉ मैटीरियल का विवरण

कम सं0	वस्तु का विवरण	कन्साइनर का नाम	टिन	ट्रान्सफर चालान सं0/दिनांक	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
--						

(9) रॉ मैटीरियल के स्टाक ट्रान्सफर का विवरण

कम सं0	वस्तु का विवरण	कन्साइनी का नाम	टिन	ट्रान्सफर चालान सं0/दिनांक	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
--						

(10) स्टाक ट्रान्सफर से प्राप्त तैयार माल का विवरण

कम सं0	वस्तु का विवरण	कन्साइनर का नाम	टिन	ट्रान्सफर चालान सं0/दिनांक	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
--						

(11) स्टाक ट्रान्सफर हुए तैयार माल का विवरण

कम सं0	वस्तु का विवरण	कन्साइनी का नाम	टिन	ट्रान्सफर चालान सं0/दिनांक	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
--						

(12) तैयार माल/कच्चा माल की सी फार्म से बिकी

कम सं0	वस्तु का विवरण	केता का नाम एवं पता	टिन	बिल नं0 एवं दिनांक	मात्रा	मूल्य	वैट की दर	वैट की धनराशि	कुल मूल्य	प्राप्त फार्म की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
--										

(13) तैयार माल/कच्चा माल की बिना सी/ई/एच फार्म से बिकी

कम सं0	वस्तु का विवरण	केता का नाम एवं पता	टिन	बिल नं0 एवं दिनांक	मात्रा	मूल्य	वैट की धनराशि	कुल मूल्य	प्राप्त फार्म की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
--									

(14) तैयार माल/कच्चा माल की ई एवं सी फार्म से बिकी

कम सं0	वस्तु का विवरण	केता का नाम एवं पता	टिन	बिल नं0 एवं दिनांक	मात्रा	मूल्य	वैट की दर	वैट की धनराशि	कुल मूल्य	प्राप्त फार्म की कम संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
--										

(15) तैयार माल/कच्चा माल की फार्म एच से बिकी(निर्यात के दौरान)

कम सं0	वस्तु का विवरण	केता का नाम एवं पता	टिन	बिल नं0 एवं दिनांक	मात्रा	मूल्य	प्राप्त फार्म की कम संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
--							

(16) तैयार माल/कच्चा माल का निर्यात की सूची (फार्म एच से भिन्न)

कम सं0	वस्तु का विवरण	केता का नाम एवं पता	टिन	बिल नं0 एवं दिनांक	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
--						

(17) यू0पी0 के अन्दर से कच्चा माल/तैयार उत्पाद/कन्ज्यूमेबुल/पैकिंग मैटीरियल/कैपिटल गुडस एवं अन्य माल की अपंजीकृत से खरीद की सूची

कम सं0	वस्तु का विवरण	केता का नाम एवं पता	टिन	बिल नं0 एवं दिनांक	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
--						

अधिकृत प्राधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर
दिनांक

फार्म-XXIV-C का का बढाया जाना

35. उक्त नियमावली में फार्म XXIV-B के बाद निम्नलिखित फार्म बढा दिया जाएगा, अर्थात् :—

फार्म – चौबीस–सी

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम–45(10) देखें)

मासिक/त्रैमासिक कर अवधि का रिटर्न (कार्य संविदा करने वाले व्यहारी के लिये)

1-	कर निर्धारण वर्ष	-
2-	कर अवधि समाप्ति का दिनांक	-
3-	कर निर्धारण प्राधिकारी का पदनाम	-
4-	मण्डल/खण्ड का नाम	-
5-	व्यवहारी का नाम/पता	-
6-	करदाता पहचान संख्या [टिन]	-

7- वस्तुवार खरीद का विवरण एवं कय का दायित्व

(a) खरीद का विवरण

कम सं0	वस्तु	उत्तर प्रदेश के अन्दर से खरीद की धनराशि		उत्तर प्रदेश के बाहर से खरीद की धनराशि		
		पंजीकृत व्यवहारी से खरीद	पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से खरीद	मूल्य	भाड़ा एवं अन्य अन्तरनिहित खर्चे	योग

पंजीकृत व्यवहारी से खरीद का विवरण संलग्न करें संलग्नक–सी–1

(b) अपंजीकृत से किये गये खरीद पर देय कय कर

कम सं0	वस्तु	खरीद का आवर्त	कर की दर	कर की धनराशि

8-समाधान योजना से आच्छादित संविदा के संबंध में समाधान राशि (अनुलग्नक–2सी में संलग्न करें) रु0..................

9- किसी समाधान योजना से आच्छादित कार्य संविदा के मामलों में करयोग्य टर्नओवर की गणना–

(a) यदि समुचित लेखा पुस्तकों का रख–रखाव किया गया हो

क0 सं0	विवरण	धनराशि
1-	प्राप्त/प्राप्त होने वाली समस्त धनराशि	
2-	घटाये	
i-	सकर्म कार्य संविदा के निष्पादन में खपत हो गयी वस्तुओं, जिनका अन्तरण संपति के रुप में नही हुआ है, के मूल्य की समस्त धनराशि	
ii-	करमुक्त वस्तुओं के लाभ सहित मूल्य, की समस्त धनराशियां	
iii-	सकर्म कार्य संविदा के निष्पादन हेतु भाड़े पर ली गयी मशीन एवं उपकरण पर भुगतान की गयी अथवा भुगतान योगय भाड़े की समस्त धनराशिया	
iv-	सेवा एवं मजदूरी एवं इसपर लाभ, की समस्त धनराशियां	
v-	सकर्म कार्य संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त विकीत वस्तु का मूल्य जिसकी सम्पति के रुप में अन्तरण अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में हुई हो।	
vi-	सकर्म कार्य संविदा के निष्पादन में अर्न्तग्रस्त विकीत वस्तुओं का मूल्य जिसकी सम्पत्ति के रुप में अंतरण भारत की सीमा के बाहर निर्यात से हुआ है।	
vii	उन समस्त वस्तुओं के मूल्य जिनका बिकी के उपरान्त अंतरण सम्पत्ति के रुप में प्रान्त से बाहर हुआ हो ।	
viii	सकर्म कार्य संविदा कार्य का निष्पादन करने वाले व्यवहारी, जो ऐसी वस्तुओं की खरीद पर कर देने के लिए स्वयंदायी है, के द्वारा प्रान्त के भीतर से खरीदे गये नान वैट गुड्स की समस्त धनराशियॉं;	
ix	व्यवहारी द्वारा पंजीकृत व्यवहारी से खरीदी गयी नान वैट गुड्स वस्तुओं के मूल्य की समस्त धनराशियॉं ।	
x	संविदी के द्वारा मजदूर उपलब्ध कराने एवं सेवा प्रदान करने से सम्बन्धित स्थापना का खर्च और इस प्रकार के अन्य खर्चे, एवं इन पर लाभ की धनराशि।	
3-	योग (2 का i से x तक)	
4-	यू0पी0 वैट एक्ट, 2008 के अन्तर्गत कर आवर्त (1-3)	

5-	पंजीकृत उप–संविदाकारों को किया गया भुगतान	
6-	यू0पी0 वैट एक्ट, 2008 के अन्तर्गत शुद्ध कर योग्य आवर्त (4-5)	

(b) यदि समुचित लेखा पुस्तकों की रख–रखाव न किया गया हो

कम सं0	कान्टेक्ट नं0	संविदी का नाम एवं पता	संविदी का प्रकार	प्राप्त अथवा प्राप्त की धनराशि	मजदूरी एवं सेवा एवं इस पर लाभ के मद में कटौती की धनराशि	पंजीकृत उप–संविदाकार को किया गया भुगतान	कार्य संविदा की शुद्ध कर योग्य राशि [5-(6+7)]
1	2	3	4	5	6	7	8

*उ0प्र0 वैट नियमाववली के नियम–9(3) के अन्तर्गत

(c) कर की गणना :–

कम सं0	वस्तु का विवरण	कर योग्य बिकी का आवर्त	कर की दर	कर की राशि
i-				
ii-				
iii-				
iv-				
etc			योग्य=	

10- कुल देयकर [8+9(c)] रु0----------------

11- आई0टी0सी0 का विवरण

कम सं0.	विवरण	धनराशि
i-	गत कर अवधि से आगे लायी गई आई0टी0सी की गणना	
ii.	कर अवधि के दौरान अर्जित आई0टी0सी *	
iii	योग (i+ii)	
iv	कर अवधि मे देय कर के विरूद्ध समायोजित आई0टी0सी	
v	अगले कर अवधि में अग्रसारित आई0टी0सी की अवशेष धनराशि (iii-iv)	

* अनुलग्नक 3–सी मे विवरण संलग्न

12- शुद्ध देय कर [10-11(iv)] रु0 ....

13- जमा कर का विवरण :–

(a) बैंक/ट्रेजरी जहॉ कर जमा हुआ

बैंक/शाखा का नाम	ट्रेजरी चालान सं0	दिनांक	कर की धनराशि
	योग :		

(b) समायोजन बॉउचर्स से समायोजन

समायोजन बॉउचर सं0	दिनांक	कर की धनराशि
योग:		

(c)- टी0डी0एस0 द्वारा जमा

कम सं0	संविदी/व्यक्ति जिसने टी0डी0एस0 कटौती का नाम व पता	टी0डी0एस0की धनराशि	जमा फार्म–XXXI का कमांक
	योग :		

14- कुल जमा कर [13(a)+13(b)+13(c)] रु0-----------------------

घोषणा

मै, -- पुत्र/पुत्री/पत्नी------------------------------------प्रास्थिति ------------------------[अर्थात स्वामी, निदेशक, साझीदार आदि जैसाकि नियम 32(6) में दिया गया है] एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ एवं सत्यापित करता/करती हूँ कि इस विवरण पत्र में दिये गये विवरण एवं आंकड़ें मेरी श्रेष्ठतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण है तथा जान बूझ कर न तो कोई तथ्य छिपाया गया है और न ही मिथ्या प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक -

स्वामी, निदेशक, साझीदार आदि का नाम एवं हस्ताक्षर ....
फर्म का नाम एवं व्यापार की प्राकृति ....
टिन ....

अनुलग्नक–सी -1

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम–45(10) देखें)

फार्म – चौबीस–सी

कर बीजक से की गई खरीद की सूची

(i)	केता व्यवहारी का नाम और पता	
(ii)	टिन	
(iii)	कर निर्धारण वर्ष	-

करअवधि समाप्ति का दिनांक d d m m y y y y

(iv)	विकेता व्यवहारी का नाम और पता	टिन	कर बीजक संख्या	कर बीजक का दिनांक	माल का विवरण			माल का करयोग्य मूल्य	वसूले गये कर की राशि	कर बीजक की सकल राशि
					नाम	कोड	मात्रा/माप			
1										
2										
3										
4										
5										

पार्टनर/प्रोपाईटर आदि का नाम एवं हस्ताक्षर
प्रस्थिति ....
व्यवहारी का नाम एवं पद्वति ....
टिन ....

अनुलग्नक–सी–2

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

फार्म – चौबीस–सी

समाधान योजना को आच्छादित संविदा में समाधान राशि की गणना

क0 सं0	कान्टेक्ट नं0	संविदी का नाम एवं पता	संविदी का प्रकार	सकल प्राप्त/प्राप्त धनराशि	उप–संविदा कार को भुगतान की धनराशि	संदेय कटौती			शुद्ध समाधान योग्य राशि [5-(6+7+8+9)]	समाधान राशि की धनराशि	समाधान राशि से अधिक कर योग्य राशि, यदि कोई हो				सकल समाधान राशि (11+15)
						भू कार्य	संविदी द्वारा आपूर्ति की गई वस्तु	अन्य कटौती			वस्तु	आवर्त	कर की दर	कर की धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

पार्टनर/प्रोपाईटर आदि का नाम एवं हस्ताक्षर
प्रास्थिति ....
व्यवहारी का नाम एवं पद्वति ....
टिन ....

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

फार्म – चौबीस–सी

अनुलग्नक–सी–3

(A) कर योग्य माल की खरीद पर अर्जित आई0टी0सी0

क0सं0	वस्तु का नाम	टैक्स इनवायस द्वारा पंजीकृत व्यवहारी से खरीद			टैक्स इनवायस द्वारा अपंजीकृत व्यवहारी से खरीद			कुल आई0टी0सी0
		माप/मात्रा	वस्तु का मूल्य	जमा/ जमायोग्य कर	माप/मात्रा	वस्तु का मूल्य	ट्रेजरी से जमा कर	(5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	योग							

(B) समाधान योजना के अन्तर्गत कार्य संविदा हेतु प्रयुक्त माल पर आई0टी0सी0 की गणना

क0सं0	वस्तु का नाम	समाधान योजना से आच्छादित कार्य संविदा में प्रयुक्त माल की माप/मात्रा	कालम–3 में दर्शित मात्रा का कय मूल्य (कर छोड़कर)	बिकी से भिन्न निस्तारित माल का मूल्य (लगभग)	योग [4+5]	एक्ट के अंतर्गत देयकर की दर	आर0आई0टी0सी0 की धनराशि
1	2	3	4	5		6	7
i							

(C) शुद्ध देय आई0टी0सी0 [A(9) – B(7)] रू0 ....

पार्टनर/प्रोपाईटर आदि का नाम एवं हस्ताक्षर
प्रास्थिति ....
व्यवहारी का नाम एवं पद्वति ....
टिन ....

फार्म - चौबीस–डी

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम–45(10ए) देखें)

कैजुएल ट्रेडर्स के लिए टैक्स रिटर्न

सेवा में,

कर निर्धारण अधिकारी

खण्ड..जनपद..................................

महोदय,

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... प्रस्थिति ....,

सर्वश्री ....एतद द्वारा टैक्स रिटर्न तथा व्यापार का विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत करता हूँ।

1.	कर निर्धारण वर्ष	2	0			-	2	0			
2.	कर निर्धारण अवधि						Ending on				
3.	व्यवहारी का नाम व पता	-									
4.	कर दाता पहचान संख्या [टिन]										

5. बैंक खाते का विवरण			
क0सं0	शाखा का नाम व पता	खाते की प्रकृति	खाता संख्या

6. वाणिज्य कर विभाग से फार्म XXXVIII/ सी फार्म का विवरण

फार्म का नाम	प्राप्त	प्रयुक्त		खोया/नष्ट	अभ्यर्पित	
		कम	आच्छादित धनराशि	संख्या	कुल संख्या.	प्राप्ति संख्या व दिनांक
1	2	3(a)	3(b)	4	5(a)	5(b)
फार्म XXXVIII						
फार्म C						

अनुलग्नक–II , III में विस्तृत विवरण संलग्न करें

7. खरीद का विवरण (रूपए में)

ए- वैट वस्तुएं

i.	टैक्स बीजक के विरूद्ध खरीद (अनुलग्नक–I)	-	
ii.	पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से निजी खाते मे खरीद	-	
iii.	कर मुक्त वस्तु की खरीद	-	
iv.	उ0प्र0 के बाहर से खरीद	-	
v.	अन्य कोई खरीद	-	
	योग	-	

b- नान वैट वस्तुये

i.	पंजीकृत व्यवहारी से खरीद	-	
ii.	पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से खरीद	-	
iii.	उ0प्र0 के बाहर से खरीद	-	
iv.	अन्य कोई खरीद	-	
	योग	-	

8. खरीद पर कर की गणना

कम सं0	कर की दर	वस्तु	कय आवर्त	कर
	वैट वस्तुयें			
xi.	1%			
xii.	4%			
xiii.	12.5%			
	अतिरिक्त कर			
xiv.	0.5%			
xv.	1%			
		योग		
	नान वैट वस्तुयें			
xvi.				
xvii.				
xviii.				
xix.				
xx.				
		योग:		
		सकल योग :		

9.	बिकी का विवरण

a- वैट वस्तुयें

i.	कर योग्य माल की बिकी	-															
ii.	कर मुक्त माल की बिकी	-															
iii.	अन्य बिकी	-															
	योग																

b- नान वैट वस्तुयें

i.	कर योग्य माल की बिकी	-															
	योग																

10.	बिकी पर कर की गणना

कम सं0	कर की दर	वस्तु	विकय धनराशि	कर
	वैट वस्तुयें			
i.	1%			
ii.	4%			
iii.	12.5%			
अतिरिक्त कर				
i.	0.5%			
ii.	1%			
		योग :		
	नान वैट वस्तुयें			
i.				
ii.				
iii.				
iv.				
v.				
		योग:		
		(वैट एवं नान वैट वस्तुओं)सकल योग :		

11.	अन्तिम रहतिया

कम संख्या	माल का विवरण	मात्रा/माप		मूल्य		कुल मूल्य	कालम 3(a) में अंकित वस्तुओं पर जमा कर
		प्रांतीय माल	प्रांत बाहर माल	प्रांत बाहर माल	प्रांत बाहर माल		
1	2	3(a)	3(b)	4(a)	4(b)	5	6
i.-							
ii-							
iii-							
Etc.							
			योग:				

12.	देय कर

i.	खरीद पर कर	-													
ii.	बिकी पर कर	-													
	योग:	-													

13. अंतिम स्टाक पर आर0आई0टी0सी0 जैसा 11(6)में वर्णित

14. आई0टी0सी0 का विवरण

i.	व्यापार के अवधि में अर्जित आई0टी0सी0															
ii.	व्यापार के अवधि में रिवर्स आई0टी0सी0															
iii.	व्यापार के अवधि में संदेय आई0टी0सी0 (i-ii)															
iv.	देय कर के विरुद्ध आई0टी0सी0 का समायोजन															

15.	शुद्ध कर

i.	कुल देयकर (कम सं0. 12)	-													
ii	समायोजित आई0टी0सी0 [14 (iv)]	-													
iii	शुद्ध कर	-													

16- टेजरी / बैंक में जमा कर का विवरण						
क0सं0	बिकी का दिनांक	धनराशि	टेजरी चालान नम्बर.	दिनांक	बैंक का नाम	शाखा का नाम एवं पता
1	2	3	4	5	6	7
i.						
ii.						
etc.						
	योग :					

17 - वापसी / मॉग की गणना		
क0सं0	विवरण	धनराशि
i.	**देय कर की कुल राशि**	
ii.	**बैंक में जमा कर**	
iii.	**अवशेष देय कर / वापसी**	

घोषणा

मैं, -- पुत्र/पुत्री/पत्नी------------------------------------प्रास्थिति -------------------------[अर्थात स्वामी, निदेशक, साझीदार आदि जैसाकि नियम 32(6) में दिया गया है] एतद्‌द्वारा घोषणा करता/करती हूँ एवं सत्यापित करता/करती हूँ कि इस विवरण पत्र में दिये गये विवरण एवं आंकड़ें मेरी श्रेष्ठतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण है तथा जान बूझ कर न तो कोई तथ्य छिपाया गया है और न ही मिथ्या प्रस्तुत किया गया है।

साझीदार / स्वामी / कर्ता आदि के नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक -

प्रास्थिति -

स्थान -

व्यवहारी का नाम–

नोट: 1 इस फार्म पर उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-32(6) के अंतर्गत अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही हस्ताक्षर किया जाएगा।

2 सारणी में दिया गया स्थान यदि कम पड़ता हो तो अलग शीट पर निर्धारित प्रारुप में सूचना प्रस्तुत की जा सकती है।

अनुलग्नक - I

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट XXIV–डी

[उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-45(10)(ब) देखें]

टैक्स इनवाइस के विरूद्ध खरीद की सूची

(i)	क्रेता व्यवहारी का नाम व पता	
(ii)	टिन	
(iii)	कर निर्धारण वर्ष	-

टैक्स पीरियड समापन का दिनांक

(iv)	विक्रेता व्यवहारी का नाम व पता	टिन	टैक्स इनवाइस की संख्या	टैक्स इनवाइस का दिनांक	वस्तुओं का विवरण			माल का करयोग्य मूल्य	वसूल किये गये कर की धनराशि	टैक्स इनवाइस की कुल धनराशि
					नाम	कोड	मात्रा / वजन / परिमाप			
1										
2										
3										
4										
5										

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर
दिनांक

अनुलग्नक - II

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट XXIV—डी

कर निर्धारण वर्ष में वाणिज्य कर विभाग से प्राप्त (फार्म XXXVIII) के प्रयोग का विवरण

क0 सं0	घोषण (फार्म XXXVIII) का कमांक	विक्रेता/ प्रेषक व्यवहारी का नाम एवं पता	टिन	वस्तु	टैक्स/ सेल इन्वाईस की कम संख्या/ दिनांक	मात्रा/माप/ वजन फार्म XXXVIII के अनुसार	मात्रा/माप/ वजन टैक्स/ सेल इन्वाईस के अनुसार	फार्म XXXVIII के अनुसार मूल्य	टैक्स/ सेल इन्वाईस के अनुसार मूल्य	कालम 9 व 10 का अन्तर	कलम 11 में दर्शित अन्तर का कारण (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	कालम 7 व 8 का अन्तर	कलम 13 में दर्शित अन्तर का कारण (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर
दिनांक

अनुलग्नक - III

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट XXIV—डी

कर निर्धारण वर्ष में वाणिज्य कर विभाग से प्राप्त (फार्म सी केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम) के प्रयोग का विवरण

क0 सं0	घोषण का कमांक	विक्रेता व्यवहारी का नाम एवं पता	विक्रेता व्यवहारी का टिन	वस्तु	टैक्स/ सेल इन्वाईस की कम संख्या	दिनांक	मात्रा/माप/ वजन	टैक्स/ सेल इन्वाईस के अनुसार मूल्य	खरीद का कर निर्धारण वर्ष	जारी फार्म XXXVIII की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल प्रयुक्त घोषणा पत्र =					कुल धनराशि :					

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर
दिनांक

फार्म XLV का संशोधन 36. उक्त नियमावली में, नीचे अनुसूची–क में दिये गये विद्यमान फार्म–XLV के स्थान पर नीचे अनुसूची–ख में दिया गया फार्म रख दिया जाएगा, अर्थात :–

शिड्यूल–क
वर्तमान फार्म

प्रपत्र–पैतालीस

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

(उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियम, 2008 के नियम–70 के उपनियम–1 को देखे)

हकदारी प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र

सेवा में,

कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

महोदय,

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... प्रास्थिति ....
सर्वश्री..एतद द्वारा व्यापार के विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत करता हूँ

1-	व्यापारी का नाम व पता	-

2-	करदाता पहचान संख्या (टिन)	
	कर कटौती संख्या (टी0डी0एन0)	
	सेवा प्रदायी संख्या (एस0पी0एन0)	

3-	मुख्य व्यापार स्थल/डिपो/शाखा/गोदाम/निर्माण स्थल(प्रान्त/प्रान्त बाहर)	
	विवरण	पता
क-	मुख्य व्यापार स्थल का पता	
ख-	शाखा/ गोदाम/डिपो आदि	
i		
ii		
iii		
iv		
ग-	निर्माण स्थल	

4-	व्यवहारी का संविधान (कृपया सही बाक्स में निशान लगाये)				
	स्वामित्व ☐	साझेदारी ☐	हिन्दू अविभाजित परिवार ☐	कम्पनी ☐	सोसाइटी ☐
	राज्य या केन्द्रीय सरकार का उपकम ☐	क्लब ☐	एसोसियेशन ☐	अन्य कोई	

5-	साझेदार/स्वामी/डायरेक्टर/कर्ता/ट्रस्टी/मुख्याधिकारी, आदि का नाम व पता			
	नाम व पता	प्रास्थिति	कहाँ से	कहाँ तक
i				
ii				
iii				
iv				
v				

6-	बैंक खाते का विवरण जिसमें वापसी की धनराशि जमा होगी		
क्0सं0	शाखा का नाम व पता	खाते का प्रकार	खाता संख्या
i			
ii			
iii			

7-	करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी का विवरण		
क0सं0	विवरण	विवरण	
i	करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी की सुविधा प्राप्ति के प्रारम्भ की तिथि		
ii	करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी की सुविधा की अवधि	से	तक
iii	स्थाई पूँजी निवेश की धनराशि		
iv	करमुक्ति अथवा कर की दर मे कमी है अनुमन्य स्थायी पूँजी निवेश		
v	करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी की धनराशि		
vi	दि0 01.01.08 के पूर्व करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी, से संबंधित उपभोग की गयी धनराशि		
vii	दि0 01.01.08 को अवशेष करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी की धनराशि		
viii	दि0 01.01.08 के पूर्व उपभोग की गयी छूट की अवधि		
ix	दि0 01.01.08 को अवशेष उपभोग हेतु छूट की अवधि		
x	नोटिफिकेशन सं0 एवं दि0 जिसके अंतर्गत करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी स्वीकृत की गयी		
xi	पात्रता प्रमाण पत्र के संख्या एवं दिनांक यदि जारी हो		
xii	ऐसे मामले जिसमें छूट की सुविधा पात्रता प्रमाण पत्र पर आधारित नही हो, तो नोटिफिकेशन संख्या एवं दिनांक		
xiii	यदि छूट की सुविधा भविष्य के पूँजी निवेश पर आधारित हो एवं उक्त निवेश की अवधि अवशेष हो, ऐसी स्थिति में निवेश की अवधि अंकित करें		
xiv	यदि छूट की सुविधा केवल अवधि पर निर्भर हो नोटिफिकेशन संख्या एवं दिनांक (नोटिफिकेशन की सत्यापित प्रति संलग्न करें)		

8-	इकाई में उत्पादित वस्तुओं का विवरण		
S.N.	इकाई में उत्पादित वस्तुओं का नाम	पात्रता प्रमाण पत्र में अंकित वस्तुओं का नाम(यदि पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है, तो लागू नही है अंकित करें)	उत्पादन प्रारम्भ का दिनांक
i			
ii			
iii			
iv			
v			
vi			
vii			
viii			
ix			
x			
xi			

9(क)	दि0 01.01.08 के पूर्व करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी का लाभ प्रारम्भ के पश्चात तलाशी, जॉच/लेखा पुस्तकों अथवा माल के अभिग्रहण का विवरण		
ख	तलाशी/जॉच/अभिग्रहण का दिनांक	अधिकारी का नाम जिसने तलाशी/अभिग्रहण की कार्यवाही की	परिणाम
क-			
ख.			
ग.			

9(ख)	अर्थदण्ड/अनन्तिम कर निर्धारण एवं अपील/रिट के परिणाम का विवरण						
क0सं0	आदेश का दिनांक	धारा जिसके अंतर्गत आदेश पारित किया गया	अर्थदण्ड/कर की धनराशि	अपील/रिट का परिणाम यदि अनिस्तारित है तो अपील/ रिट की संख्या			
				प्रथम अपील	अधिकरण	निपटारा आयोग	उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय
क.							
ख.							
ग.							

घोषणा

मैं.................................... पुत्र/पुत्री/पत्नी ----------------------------प्रास्थिति...............
अर्थात (स्वामी, निदेशक, साझेदार आदि जैसा निमय–32(6) में प्राविधानित है)
एतद द्वारा घोषणा सत्यापित करता हूँ कि दिये गये विवरण एवं ऑकडे मेरे विश्वास एवं जानकारी में सत्य एवं पूर्ण हैं तथा मेरे द्वारा जानबूझकर न तो अनदेखा किया गया है न तो छिपाया गया है न तो गलत कहा गया है

दिनांक
स्थान

साझीदार/ स्वामी/कर्ता आदि के नाम व पता
प्रास्थिति
व्यापारी का नाम
करदाता पहचान संख्या..

उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम–32(6) के अंतर्गत अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही प्रार्थना पत्र हस्ताक्षरित किया जाएगा।

शिड्यूल–ख
फार्म इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है
प्रपत्र–पैतालीस

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

(उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियम, 2008 के नियम–70 के उपनियम–1 को देखे)

हकदारी प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र

1-	व्यापारी का नाम व पता	-

2-	करदाता पहचान संख्या (टिन)	
	कर कटौती संख्या (टी0डी0एन0)	
	सेवा प्रदायी संख्या (एस0पी0एन0)	

3-	मुख्य व्यापार स्थल/डिपो/शाखा/गोदाम/निर्माण स्थल(प्रान्त/प्रान्त बाहर)	
	विवरण	पता
क-	मुख्य व्यापार स्थल का पता	
ख-	शाखा/ गोदाम/डिपो आदि	
i		
ii		
iii		
iv		
ग-	निर्माण स्थल	

4-	व्यवहारी का संविधान (कृपया सही बाक्स में निशान लगाये)				
	स्वामित्व ☐	साझेदारी ☐	हिन्दू अविभाजित परिवार ☐	कम्पनी ☐	सोसाइटी ☐
	राज्य या केन्द्रीय सरकार का उपकम ☐	क्लब ☐	एसोसियेशन ☐	अन्य कोई	

5-	साझेदार/स्वामी/डायरेक्टर/कर्ता/ट्रस्टी/मुख्याधिकारी, आदि का नाम व पता			
	नाम व पता	प्रास्थिति	कहाँ से	कहाँ तक
i				
ii				
iii				
iv				
v				

6-	बैंक खाते का विवरण जिसमें वापसी की धनराशि जमा होगी		
क0सं0	शाखा का नाम व पता	खाते का प्रकार	खाता संख्या
i			
ii			
iii			

7-	करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी का विवरण		
क0सं0	विवरण	विवरण	
i	करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी की सुविधा प्राप्ति के प्रारम्भ की तिथि		
ii	करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी की सुविधा की अवधि	से	तक
iii	स्थाई पूँजी निवेश की धनराशि		
iv	करमुक्ति अथवा कर की दर मे कमी है अनुमन्य स्थायी पूँजी निवेश		
v	करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी की धनराशि		
vi	दि0 01.01.08 के पूर्व करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी, से संबंधित उपभोग की गयी धनराशि		
vii	दि0 01.01.08 को अवशेष करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी की धनराशि		
viii	दि0 01.01.08 के पूर्व उपभोग की गयी छूट की अवधि		
ix	दि0 01.01.08 को अवशेष उपभोग हेतु छूट की अवधि		
x	नोटिफिकेशन सं0 एवं दि0 जिसके अंतर्गत करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी स्वीकृत की गयी		
xi	पात्रता प्रमाण पत्र के संख्या एवं दिनांक यदि जारी हो		
xii	ऐसे मामले जिसमें छूट की सुविधा पात्रता प्रमाण पत्र पर आधारित नही हो, तो नोटिफिकेशन संख्या एवं दिनांक		
xiii	यदि छूट की सुविधा भविष्य के पूँजी निवेश पर आधारित हो एवं उक्त निवेश की अवधि अवशेष हो, ऐसी स्थिति में निवेश की अवधि अंकित करें		
xiv	यदि छूट की सुविधा केवल अवधि पर निर्भर हो नोटिफिकेशन संख्या एवं दिनांक (नोटिफिकेशन की सत्यापित प्रति संलग्न करें)		

8-	**औद्योगिक इकाइयों में निर्मित माल का विवरण**		
क0सं0	**औद्योगिक इकाई में उत्पादित वस्तुओं का नाम**	**पात्रता प्रमाण पत्र में अंकित वस्तुओं का नाम(यदि पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक नही है "लागू नही" अंकित करें)**	**उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक**
1	**2**	**3**	**4**
i			
ii			
iii			
iv			

v			
vi			
vii			
viii			
ix			
x			
xi			

8(a)	माल के उत्पादन अथवा पैकिंग के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद का विवरण	
क0सं0	वस्तुओं का वर्गीकरण	वस्तुओं के वर्गीकरण का विवरण
1	2	3
i-	कच्चा माल	(i) (ii)
ii-	प्रसंस्कृति माल	(i) (ii)
iii-	कन्ज्यूमेबल स्टोर्स	(i) (ii)
iv-	पेट्रोल एवं डीजल के अतिरिक्त ईंधन	(i) (ii)
v-	पैकिंग मैटीरियल	(i) (ii)
vi-	स्नेहक	(i) (ii)

9(क)	दि0 01.01.08 के पूर्व करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी का लाभ प्रारम्भ के पश्चात तलाशी, जॉच/लेखा पुस्तकों अथवा माल के अभिग्रहण का विवरण		
ख	तलाशी/जॉच/अभिग्रहण का दिनांक	अधिकारी का नाम जिसने तलाशी/अभिग्रहण की कार्यवाही की	परिणाम
क-			
ख.			
ग.			

9(ख)	अर्थदण्ड/अनन्तिम कर निर्धारण एवं अपील/रिट के परिणाम का विवरण						
क0सं0	आदेश का दिनांक	धारा जिसके अंतर्गत आदेश पारित किया गया	अर्थदण्ड/कर की धनराशि	अपील/रिट का परिणाम यदि अनिस्तारित है तो अपील/ रिट की संख्या			
				प्रथम अपील	अधिकरण	निपटारा आयोग	उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय
क.							
ख.							
ग.							

घोषणा

मैं..................................... पुत्र/पुत्री/पत्नी ----------------------------प्रास्थिति..................
अर्थात (स्वामी, निदेशक, साझेदार आदि जैसा निमय–32(6) में प्राविधानित है)
एतद् द्वारा घोषणा सत्यापित करता हूँ कि दिये गये विवरण एवं ऑकडे मेरे विश्वास एवं जानकारी में सत्य एवं पूर्ण हैं तथा मेरे द्वारा जानबूझकर न तो अनदेखा किया गया है न तो छिपाया गया है न तो गलत कहा गया है

दिनांक
स्थान

साझीदार/ स्वामी/कर्ता आदि के नाम व पता
प्रास्थिति
व्यापारी का नाम
करदाता पहचान संख्या...

नोट:– उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम–32(6) के अंतर्गत अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही प्रार्थना पत्र हस्ताक्षरित किया जाएगा।

फार्म XLVI का संशोधन 37 ~~38.~~ **उक्त नियमावली में, नीचे अनुसूची–क में दिये गये विद्यमान फार्म–XLVI के स्थान पर नीचे अनुसूची–ख में दिया गया फार्म रख दिया जाएगा, अर्थात :–**

शिड्यूल–क
वर्तमान फार्म
प्रपत्र–छियालीस
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

(उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियम, 2008 के नियम–70 के उपनियम–3 को देखे)

हकदारी प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र पर कर निर्धारक प्राधिकारी की आख्या

सेवा में,

कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

1-	व्यापारी का नाम व पता	-

2-	करदाता पहचान संख्या (टिन)	
	कर कटौती संख्या (टी0डी0एन0)	
	सेवा प्रदायी संख्या (एस0पी0एन0)	

3-	मुख्य व्यापार स्थल/डिपो/शाखा/गोदाम/निर्माण स्थल(प्रान्त/प्रान्त बाहर)	
	विवरण	पता
क-	मुख्य व्यापार स्थल का पता	
ख-	शाखा/ गोदाम/डिपो आदि	
i		
ii		
iii		
iv		
ग-	निर्माण स्थल	

4-	व्यवहारी का संविधान (कृपया सही बाक्स में निशान लगाये)				
	स्वामित्व ☐	साझेदारी ☐	हिन्दू अविभाजित परिवार ☐	कम्पनी ☐	सोसाइटी ☐
	राज्य या केन्द्रीय सरकार का उपकम ☐	क्लब ☐	एसोसियेशन ☐	अन्य कोई	

5-	साझेदार/स्वामी/डायरेक्टर/कर्ता/ट्रस्टी/मुख्याधिकारी, आदि का नाम व पता			
	नाम व पता	प्रास्थिति	कहॉ से	कहॉ तक
i				
ii				
iii				

iv				
v				

6-	बैंक खाते का विवरण जिसमें वापसी की धनराशि जमा होगी		
क0 सं0	शाखा का नाम व पता	खाते का प्रकार	खाता संख्या
i			
ii			
iii			
iv			

7-	करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी का विवरण					
क0 सं0	विवरण	औद्योगिक इकाई द्वारा घोषित		कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणित		यदि कोई भिन्नता हो तो (अलग शीट पर स्पष्ट करें)
i.	कर मुक्ति अथवा कर की दर में कमी की सुविधा, प्राप्ति के प्रारम्भ की तिथि					
ii.	कर मुक्ति अथवा कर की दर में कमी की सुविधा की अवधि	से	तक	से	तक	
iii.	स्थायी पूँजी निवेश					
iv.	करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी हेतु अनुमन्य स्थाई पूँजी निवेश					
v.	छूट की धनराशि					
vi.	छूट की अवधि					
vii.	01.01.08 के पूर्व उपभोग की गयी छूट की धनराशि					
viii.	01.01.08 को अवशेष छूट की धनराशि					
ix.	01.01.08 को अवशेष छूट की अवधि					
x.	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गयी जॉच की तिथि(यदिकोई हो)					
xi.	तलाशी/सर्वेक्षण की तिथि(यदिकोई हो)					
xii.	लेखापुस्तकों के अभिग्रहण की तिथि(यदिकोई हो)					
xiii.	माल के अभिग्रहण की तिथि(यदिकोई हो)					
xiv.	तलाशी/सर्वेक्षण का परिणाम					
xv.	लेखा पुस्तकों के अभिग्रहण का परिणाम					
xvi.	माल के अभिग्रहण का परिणाम					
xvii.	क्या किसी रुप में छूट का दुरुपयोग किया गया है(अलग शीट में विवरण दे)					
xviii.	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही					
xix.	करमुक्ति अथवा कर की दर में छूट के संबंध में अनुमन्य कमी संशोधित की गयी हो					
xx.	यदि XIX का उत्तर हॉ हो तो अपील/रिवीजन/रिट के परिणाम का पूर्ण विवरण (आख्या भेजने के पूर्व)					
xxi.	करमुक्ति/कर की दर में छूट/ छूट की अवधि/स्थायी पूँजी निवेश के संबंध में कोई विवाद सक्षम न्यायालय अथवा प्राधिकारी के समक्ष पेन्डिंग हो					
xxii.	यदि कॉलम–XXI का उत्तर हॉ हो तो अलग शीट पर पूर्ण विवरण आवश्यक कागजात के साथ संलग्न करें					

xxiii.	जहाँ पर छूट अथवा कर की दर में कमी पात्रता प्रमाण पत्र पर आधारित न हो			
xxiv.	यदि XXIV का उत्तर हॉ हो अलग शीट पर नोटिफिकेशन /निवेश की अवधि/छूट की अवधि/छूट की धनराशि तथा विवरण आवश्यक कागजात के साथ संलग्न करें			
xxv.	क्या व्यवहारी हकदारी प्रमाण पत्र के लिए पात्र है			
xxvi.	यदि XXV का उत्तर नही है तो अलग शीट पर विस्तृत विवरण आवश्यक कागजात के साथ दे			
xxvii.	पात्रता प्रमाण पत्र में उल्लिखित करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी की धनराशि			
xxviii.	पात्रता प्रमाण पत्र में उल्लिखित छूट की अवधि			
xxix.	पात्रता प्रमाण पत्र में उल्लिखित वस्तुओं का नाम			

यदि उपरोक्त में प्रदत्त जगह अपर्याप्त हो तो अलग शीट पर उक्त प्रारुप में विवरण संलग्न करें

कर निर्धारक प्राधिकारी के हस्ताक्षर
कर निर्धारक प्राधिकारी का नाम एवं मोहर

शिड्यूल–ख
फार्म इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है
प्रपत्र–छियालीस
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

(उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियम, 2008 के नियम–70 के उपनियम–3 को देखे)

हकदारी प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र पर कर निर्धारक प्राधिकारी की आख्या

सेवा में,

कमिश्नर वाणिज्य कर.
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

1·	व्यापारी का नाम व पता	-	

2·	करदाता पहचान संख्या (टिन)	
	कर कटौती संख्या (टी0डी0एन0)	
	सेवा प्रदायी संख्या (एस0पी0एन0)	

3·	मुख्य व्यापार स्थल/डिपो/शाखा/गोदाम/निर्माण स्थल(प्रान्त/प्रान्त बाहर)	
	विवरण	पता
क-	मुख्य व्यापार स्थल का पता	
ख-	शाखा/ गोदाम/डिपो आदि	
i		
ii		
iii		
iv		
ग-	निर्माण स्थल	

4-	व्यवहारी का संविधान (कृपया सही बाक्स में निशान लगाये)					
		स्वामित्व ☐	साझेदारी ☐	हिन्दू अविभाजित परिवार ☐	कम्पनी ☐	सोसाइटी ☐
		राज्य या केन्द्रीय ☐	क्लब ☐	एसोसियेशन ☐	अन्य कोई	

		सरकार का उपक्रम				

5-	साझेदार/स्वामी/डायरेक्टर/कर्ता/ट्रस्टी/मुख्याधिकारी, आदि का नाम व पता			
	नाम व पता	प्रास्थिति	कहाँ से	कहाँ तक
i				
ii				
iii				
iv				
v				

6-	बैंक खाते का विवरण जिसमें वापसी की धनराशि जमा होगी		
क0 सं0	शाखा का नाम व पता	खाते का प्रकार	खाता संख्या
i			
ii			
iii			
iv			

7-	करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी का विवरण					
क0 सं0	विवरण	औद्योगिक इकाई द्वारा घोषित		कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणित		यदि कोई भिन्नता हो तो (अलग शीट पर स्पष्ट करें)
i	कर मुक्ति अथवा कर की दर में कमी की सुविधा, प्राप्ति के प्रारम्भ की तिथि					
ii	कर मुक्ति अथवा कर की दर में कमी की सुविधा की अवधि	से	तक	से	तक	
iii	स्थायी पूँजी निवेश					
iv	करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी हेतु अनुमन्य स्थाई पूँजी निवेश					
v	छूट की धनराशि					
vi	छूट की अवधि					
vii	01.01.08 के पूर्व उपभोग की गयी छूट की धनराशि					
viii	01.01.08 को अवशेष छूट की धनराशि					
ix	01.01.08 को अवशेष छूट की अवधि					
x	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गयी जॉच की तिथि(यदिकोई हो)					
xi	तलाशी/सर्वेक्षण की तिथि(यदिकोई हो)					
xii	लेखापुस्तकों के अभिग्रहण की तिथि(यदिकोई हो)					
xiii	माल के अभिग्रहण की तिथि(यदिकोई हो)					
xiv	तलाशी/सर्वेक्षण का परिणाम					
xv	लेखा पुस्तकों के अभिग्रहण का परिणाम					
xvi	माल के अभिग्रहण का परिणाम					
xvii	क्या किसी रुप में छूट का दुरुपयोग किया गया है(अलग शीट में विवरण दे)					
xviii	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही					
xix	करमुक्ति अथवा कर की दर में छूट के संबंध में अनुमन्य कमी संशोधित की गयी हो					
xx	यदि XIX का उत्तर हॉं हो तो अपील/रिवीजन/रिट के परिणाम का पूर्ण विवरण (आख्या भेजने के पूर्व)					

xxi	करमुक्ति/कर की दर में छूट/ छूट की अवधि/स्थायी पूँजी निवेश के संबंध में कोई विवाद सक्षम न्यायालय अथवा प्राधिकारी के समक्ष पेन्डिंग हो			
xxii	यदि कॉलम–XXI का उत्तर हॉ हो तो अलग शीट पर पूर्ण विवरण आवश्यक कागजात के साथ संलग्न करें			
xxiii	जहॉ पर छूट अथवा कर की दर में कमी पात्रता प्रमाण पत्र पर आधारित न हो			
xxiv	यदि XXIV का उत्तर हॉ हो अलग शीट पर नोटिफिकेशन /निवेश की अवधि/छूट की अवधि/छूट की धनराशि तथा विवरण आवश्यक कागजात के साथ संलग्न करें			
xxv	क्या व्यवहारी हकदारी प्रमाण पत्र के लिए पात्र है			
xxvi	यदि XXV का उत्तर नही है तो अलग शीट पर विस्तृत विवरण आवश्यक कागजात के साथ दे			
xxvii	पात्रता प्रमाण पत्र में उल्लिखित करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी की धनराशि			
xxviii	पात्रता प्रमाण पत्र में उल्लिखित छूट की अवधि			
xxix	**हकदारी प्रमाण पत्र में अंकित की जाने वाली उत्पादित वस्तुयें**			
xxx	**हकदारी प्रमाण पत्र में अंकित की जाने वाली खरीदी गयी वस्तुयें**			
(क)	**कच्चा माल**			
(ख)	**प्रसंस्कृत माल**			
(ग)	**कन्ज्यूमेबल स्टोर**			
(घ)	**पेट्रोल एवं डीजल के अतिरिक्त ईंधन**			
(च)	**पैकिंग में प्रयुक्त माल**			
(छ)	**स्नेहक**			

नोट:– 1–यदि उपरोक्त में प्रदत्त जगह अपर्याप्त हो तो अलग शीट पर उक्त प्रारुप में विवरण संलग्न करें

2– यदि रिपोर्ट केवल हकदारी प्रमाण पत्र के संशोधन से संबंधित है तो संबंधित कम अथवा कालम में संशोधित विवरण लिखी जाएगी।

3– यदि निरसित अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना की शर्तो के अनुरुप छूट अवधि के प्रारम्भ के पश्चात स्थिर पूँजी निवेश किया गया है, संबंधित कालम में केवल निवेश की धनराशि अंकित की जाए।

कर निर्धारक प्राधिकारी के हस्ताक्षर
कर निर्धारक प्राधिकारी का नाम एवं मोहर

फार्म XLVII का संशोधन	38 ~~39.~~ उक्त नियमावली में, नीचे अनुसूची–क में दिये गये विद्यमान फार्म–XLVII के स्थान पर नीचे अनुसूची–ख में दिया गया फार्म रख दिया जाएगा, अर्थात :–

शिड्यूल–क

वर्तमान फार्म

फार्म–सैतालींस

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

(उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियम, 2008 के नियम–70 के उपनियम–4 को देखें)

हकदारी प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि औद्योगिक इकाई जिसके विवरण नीचे दिये गये हैं, जिसे निरसित अधिनियम के अंतर्गत करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी की सुविधा, निर्धारित अवधि एवं निर्धारित धनराशि जो पहले समाप्त हो, को निम्न प्रकार से वापसी की हकदार होंगे

सं0 .... दिनांक.................

1-	औद्योगिक इकाई का नाम व पता	-	
2-	करदाता पहचान संख्या [टिन]		
	करकटौती संख्या [टी0डी0एन0]		
	सेवा प्रदायी संख्या [एस0पी0एन0]		
3-	विवरण	पता	
क-	व्यापार का मुख्य स्थान		
ख-	निर्माण स्थल	1-	
		2-	
		3-	
4-	उत्पादित वस्तुओं का विवरण		
	क0सं0	उत्पादित वस्तुओं का नाम	
	i		
	ii		
	iii		
	iv		
	v		
	vi		
	vii		
	viii		
	ix		
	x		
5-	हकदारी की अवधि	01.01.2008 से	तक
6-	हकदारी वापसी की धनराशि		

शिड्यूल–ख
फार्म इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है
फार्म–सैतालींस
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश
(उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियम, 2008 के नियम–70 के उपनियम–4 को देखे)

हकदारी प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि औद्योगिक इकाई जिसके विवरण नीचे दिये गये हैं, जिसे निरसित अधिनियम के अंतर्गत करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी की सुविधा, निर्धारित अवधि एवं निर्धारित धनराशि जो पहले समाप्त हो, को निम्न प्रकार से वापसी की हकदार होंगे

सं0 .... दिनांक..................

1-	औद्योगिक इकाई का नाम व पता	-	
2-	करदाता पहचान संख्या [टिन]		
	करकटौती संख्या [टी0डी0एन0]		
	सेवा प्रदायी संख्या [एस0पी0एन0]		
3-	विवरण	पता	
क-	व्यापार का मुख्य स्थान		
ख-	निर्माण स्थल	1-	
		2-	
		3-	
4-	वस्तुओं का विवरण		
	क0सं0	**निर्मित वस्तुओं का विवरण**	**ई0आई0टी0सी0 के लिए क्रय की गयी वस्तुओं का नाम**
	i		
	ii		
	iii		
	iv		
	v		
	vi		
	vii		
	viii		
	ix		
	x		
5-	हकदारी की अवधि	01.01.2008 से	तक
6-	हकदारी वापसी की धनराशि		

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उ0प्र0

फार्म XLVIII का संशोधन

39 ~~40.~~ उक्त नियमावली में, नीचे अनुसूची–क में दिये गये विद्यमान फार्म–XLVIII के स्थान पर नीचे अनुसूची–ख में दिया गया फार्म रख दिया जाएगा, अर्थात :–

शिड्यूल–क

वर्तमान फार्म

फार्म–अड़तालीस

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

(उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियम, 2008 के नियम–70 के उपनियम–11 को देखें)

शुद्व देय कर का विवरण

1- औद्योगिक इकाई का नाम व पता...

2-करदाता पहचान संख्या [टिन] ....

3-प्रान्त के अंदर करअवधि के दौरान उत्पादित वैट वस्तुओं के बिकी पर देयकर की गणना

क0 सं0	वस्तु का नाम	मात्रा एवं माप	बिकी मूल्य	कर की दर	कर की राशि
i					
ii					
iii					
iv					
v					
vi					
vii					
viii					
	योग				

4- करअवधि में उत्पादित वैट वस्तुओं की अन्तर्प्रान्तीय वाणिज्य एवं व्यापार के दौरान बिकी पर देयकर की गणना

क0 सं0	वस्तु का नाम	मात्रा एवं माप	बिकी मूल्य	कर की दर	कर की राशि
i					
ii					
iii					
iv					
v					
vi					
vii					
viii					
	योग				

5- वैट वस्तुओं के निर्माण /प्रसंस्करण/पैकिंग में प्रयुक्त वस्तुओं की टैक्स पीरियड के दौरान प्रान्तीय बिकी पर आई0टी0सी0 की गणना

क0 सं0	वस्तु का नाम	मात्रा एवं माप	कय मूल्य(कर को छोडकर)		कर की दर	कर की राशि		योग
			पंजीकृत व्यवहारी से	पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से		पंजीकृत व्यापारी द्वारा जमा/देय	राज्य सरकार को भुगतान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i								
ii								
iii								
iv								
v								
vi								

vii								
viii								
	योग							

6- अन्तर्प्रान्तीय वाणिज्य एवं व्यापार के दौरान वैट वस्तुओं के निर्माण/प्रसंस्करण/पैकिंग के लिए प्रयुक्त वैट वस्तुओं की करअवधि के दौरान बिकी पर आई0टी0सी0 की गणना

क0 सं0	वस्तु का नाम	मात्रा एवं माप	कय मूल्य(कर को छोडकर)		कर की दर	कर की राशि		योग
			पंजीकृत व्यवहारी से	पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से		पंजीकृत व्यापारी द्वारा जमा/देय	पंजीकृत व्यवहारी से	पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i								
ii								
iii								
iv								
v								
	योग							

7क- पूर्ण करमुक्ति के मामले में शुद्व देयकर

क0सं0	विववरण	यू0पी0 वैट	केन्द्रीय बिकी कर
1-	देय कर		
2-	आई0टी0सी		
3-	शुद्व देयकर		

7ख- ऑशिक छूट के मामलों में शुद्व देयकर

क0सं0	विववरण	यू0पी0 वैट	केन्द्रीय बिकी कर
1-	देय कर		
2-	आई0टी0सी		
3-	शुद्व देयकर(7क के अनुसार)		
4-	निरसित अधिनियम के अंतर्गत छूट की प्रतिशत दर		
5-	क0सं0 7ख(4)में ऑशिक अन्तर की धनराशि		
6-	शुद्व देयकर		

8- करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी की अवशेष धनराशि

हकदारी प्रमाण पत्र की धनराशि	माह में कटौती की धनराशि	माह तक प्रगयात्मक कटौती की धनराशि	माह के अन्त में अवशेष धनराशि
1	2	3	4

9- वापसी/अग्रेनित की धनराशि.................................

10- कर अवधि के अन्त में छूट/डिफर्मेन्ट के लिए अवशेष उपलब्ध धनराशि...................

घोषणा

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... प्रास्थिति ....

अर्थात (स्वामी, निदेशक, साझेदार आदि जैसा निमय–32(6) में प्राविधानित है)
एतद द्वारा घोषणा सत्यापित करता हूँ कि दिये गये विवरण एवं ऑकडे मेरे विश्वास एवं जानकारी में सत्य एवं पूर्ण हैं तथा मेरे द्वारा जानबूझकर न तो अनदेखा किया गया है न तो छिपाया गया है न तो कहा गया है

दिनांक
स्थान

साझीदार/ स्वामी/कर्ता आदि के नाम व पता

प्रास्थिति

व्यापारी का नाम
करदाता पहचान संख्या (टिन)..

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम–32(6) के अंतर्गत अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही प्रार्थना पत्र हस्ताक्षरित किया जाएगा।

शिड्यूल–ख
फार्म इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है
फार्म–अड़तालीस
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश
(उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियम, 2008 के नियम–70 के उपनियम–11 को देखे)
शुद्व देय कर का विवरण

1- औद्योगिक इकाई का नाम व पता..

2-करदाता पहचान संख्या [टिन] ....

3-प्रान्त के अंदर करअवधि के दौरान उत्पादित वैट वस्तुओं के बिकी पर देयकर की गणना

क0 सं0	वस्तु का नाम	मात्रा एवं माप	बिकी मूल्य	कर की दर	कर की राशि
i					
ii					
iii					
iv					
v					
vi					
vii					
viii					
	योग				

4- करअवधि में उत्पादित वैट वस्तुओं की अन्तर्प्रान्तीय वाणिज्य एवं व्यापार के दौरान बिकी पर देयकर की गणना

क0 सं0	वस्तु का नाम	मात्रा एवं माप	बिकी मूल्य	कर की दर	कर की राशि
i					
ii					
iii					
iv					
v					
vi					
vii					
viii					
	योग				

5- वैट वस्तुओं के निर्माण /प्रसंस्करण/पैकिंग में प्रयुक्त वस्तुओं की टैक्स पीरियड के दौरान प्रान्तीय बिकी पर आई0टी0सी0 की गणना

क0 सं0	वस्तु का नाम	मात्रा एवं माप	कय मूल्य(कर को छोडकर)		कर की दर	कर की राशि		योग
			पंजीकृत व्यवहारी से	पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से		पंजीकृत व्यापारी द्वारा जमा/देय	राज्य सरकार को भुगतान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i								
ii								
iii								
iv								

v								
vi								
vii								
viii								
	योग							

6- अन्तर्प्रान्तीय वाणिज्य एवं व्यापार के दौरान वैट वस्तुओं के निर्माण/प्रसंस्करण/पैकिंग के लिए प्रयुक्त वैट वस्तुओं की करअवधि के दौरान बिकी पर आई0टी0सी0 की गणना

क0 सं0	वस्तु का नाम	मात्रा एवं माप	कय मूल्य(कर को छोडकर)		कर की दर	कर की राशि		योग
			पंजीकृत व्यवहारी से	पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से		पंजीकृत व्यापारी द्वारा जमा/देय	पंजीकृत व्यवहारी से	पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i								
ii								
iii								
iv								
v								
	योग							

7क- पूर्ण करमुक्ति के मामले में शुद्व देयकर

क0सं0	विववरण	यू0पी0 वैट	केन्द्रीय बिकी कर
1-	देय कर		
2-	आई0टी0सी		
3-	शुद्व देयकर		

7ख- ऑशिक छूट के मामलों में शुद्व देयकर

क0सं0	विववरण	यू0पी0 वैट	केन्द्रीय बिकी कर
1-	देय कर		
2-	आई0टी0सी		
3-	शुद्व देयकर(7क के अनुसार)		
4-	निरसित अधिनियम के अंतर्गत छूट की प्रतिशत दर		
5-	क0सं0 7ख(4)में ऑशिक अन्तर की धनराशि		
6-	शुद्व देयकर		

8(क)-- अर्जित इनपुट टैक्स केडिट की गणना (प्रांतीय अथवा अन्तर्प्रान्तीय वाणिज्य एवं व्यापार के दौरान अथवा भारत के बाहर निर्यात के दौरान वैट वस्तुओं के निर्माण/प्रसंस्करण/पैकिंग में प्रयुक्त वस्तुओं की बिकी)

क0 सं0	वस्तु का नाम	मात्रा/माप	कयमूल्य, (कर को छोड़कर)		कर की दर	कर की धनराशि		योग
			पंजीकृत व्यापारी से	पंजीकृत व्यापारी से भिन्न		पंजीकृत व्यापारी को भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य	राज्य सरकार को किया गया भुगतान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i								
ii								
iii								
iv								
v								
vi								
vii								
viii								
	योग							

8(ख)-अर्जित इनपुट टैक्स क्रेडिट की गणना (वैट गुड्स के निर्माण/प्रसंस्करण/पैकिंग में प्रयुक्त वस्तुओं की बिकी से अलग निस्तारण)

क0 सं0	वस्तु का नाम	मात्रा/माप	कयमूल्य, (कर को छोड़कर)		कर की दर	कर की धनराशि		रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि	ई0आई0 टी0सी0 (7+8-9)
			पंजीकृत व्यापारी से	पंजीकृत व्यापारी से भिन्न		पंजीकृत व्यापारी को भुगतान की गयी अथवा भुगतान योग्य धनराशि	राज्य सरकार को भुगतान की गयी धनराशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
i									
ii									
iii									
iv									
v									
vi									
vii									
viii									
	योग								

9- करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी की अवशेष धनराशि

हकदारी प्रमाण पत्र की कुल धनराशि	यू0पी0 वैट के अंतर्गत देयकर	केन्द्रीय बिकी कर के अंतर्गत देयकर	ई0आई0टी0सी0 की धनराशि	योग	करअवधि तक प्रगत्यात्मक कटौती की धनराशि	करअवधि के अन्त में अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7

10- रिफण्ड/डेफरमेण्ट की धनराशि................................

11- करअवधि के उपरांत छूट/डेफरमेण्ट हेतु उपलब्ध अवशेष धनराशि...................

घोषणा

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... प्रास्थिति ....

अर्थात (स्वामी, निदेशक, साझेदार आदि जैसा निमय–32(6) में प्राविधानित है)

एतद द्वारा घोषणा सत्यापित करता हूँ कि दिये गये विवरण एवं ऑकडे मेरे विश्वास एवं जानकारी में सत्य एवं पूर्ण हैं तथा मेरे द्वारा जानबूझकर न तो अनदेखा किया गया है न तो छिपाया गया है न तो कहा गया है

दिनांक

स्थान

साझीदार/ स्वामी/कर्ता आदि के नाम व पता

प्रास्थिति

व्यापारी का नाम

करदाता पहचान संख्या (टिन)...

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम–32(6) के अंतर्गत अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही प्रार्थना पत्र हस्ताक्षरित किया जाएगा।

फार्म L का बढ़ाया जाना

~~41.~~ 40 उक्त नियमावली में फार्म XLIX के बाद निम्नलिखित फार्म बढा दिया जाएगा, अर्थात् :–

फार्म – L

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम–28 देखें)

प्रांत के अंदर से वैट गुडस की कय पंजिका

(i)	केता व्यवहारी का नाम व पता	
(ii)	टिन	
(iii)	कर निर्धारण वर्ष	-
	कर अवधि के समापन का दनांक	

(iv)	विकेता व्यवहारी का नाम एवं पता	टिन	टैक्स/कय बीजक संख्या	दिनांक	वस्तु का विवरण			माल का करयोग्य मूल्य	वसूले गये कर की राशि अथवा देयकर	टैक्स/कय बीजक की कुल धनराशि
					नाम	कोड	मात्रा /माप			
1										
2										
3										
4										
5										

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का नाम व हस्ताक्षर
दिनांक

आज्ञा से,

(देश दीपक वर्मा)
प्रमुख सचिव।